



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

# विनियोग लेखे 2024-25



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार



विनियोग लेखे

वर्ष 2024-25

उत्तराखण्ड सरकार



	पृष्ठ सं०
विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	v
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xvi
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	6
03 मंत्रिपरिषद	8
04 न्याय प्रशासन	12
05 निर्वाचन	18
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	21
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें	31
08 आबकारी	70
09 लोक सेवा आयोग	72
10 पुलिस एवं जेल	75
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	85
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	117
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	135
14 सूचना	150
15 कल्याण योजनायें	156
16 श्रम और रोजगार	179
17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	185
18 सहकारिता	194
19 ग्राम्य विकास	199
20 सिंचाई एवं बाढ़	209
21 ऊर्जा	222
22 लोक निर्माण कार्य	233
23 उद्योग	243
24 परिवहन	250
25 खाद्य	260
26 पर्यटन	264
27 वन	268
28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य	274
29 औद्योगिक विकास	283
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	290
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	317

**परिशिष्ट**

<b>परिशिष्ट I</b>	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2024-2025 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई।	345
<b>परिशिष्ट II</b>	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	346
<b>परिशिष्ट III</b>	उच्चत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	348
<b>परिशिष्ट IV</b>	उच्चत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	349
<b>परिशिष्ट V</b>	उच्चत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	350

### प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किए विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुए 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं।

इस लेखे में-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं।

#### **टिप्पणियों पर चयन का मानक**

##### **बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:**

(अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो।

(ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो।

##### **आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:**

(अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है।

(ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रति शत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियां।



### अनुदानों की माँगों का शुद्ध आधार पर प्रस्तुतिकरण

संविधान के अनुच्छेद 204(3) में यह स्पष्ट है कि राज्य की समेकित निधि से कोई भी धनराशि तभी निकाली जा सकती है, जब वह विधि द्वारा किए गए विनियोग के अन्तर्गत हो, एवं अनुच्छेद 203 में यह प्रावधान है कि व्यय का अनुमान अनुदानों की मांग के रूप में विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अनुच्छेद 204 की उपधारा (3) के अनुपालन में, उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2024 तथा उत्तराखण्ड विनियोग (अनुपूरक) अधिनियम, 2024-25 अधिनियमित किए गए, जिनके अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की समेकित निधि से धनराशि के आहरण को अधिकृत किया गया। इन अधिनियमों की अनुसूचियों में विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदान-वार राशियाँ सम्मिलित है।

विनियोग अधिनियमों एवं संबंधित अनुदानों की विस्तृत माँगो (अनुदान संख्या 06 एवं 27) के परीक्षण में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि विधायी अनुमोदन शुद्ध आधार पर प्राप्त किया गया था, अर्थात् सकल व्यय को चालू वर्ष की वसूलियों से घटाकर।

स्थिति निम्न सारणी में दर्शायी गई है :

विवरण	(₹ करोड़ में)				टिप्पणियाँ
	विधानमंडल द्वारा अनुमोदित (₹)	सकल राशि (₹) (1)+(3)	वसूलियाँ-आरक्षित निधि से घटाने योग्य राशि (₹)	विनियोग लेखों के अनुसार चालू वर्ष का व्यय (₹)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मूल विनियोग	89,230.06	90,778.07	1,548.00	-	
अनुपूरक विनियोग	5,013.04	5,961.04	948.00	-	
कुल विनियोग	94,243.11	96,739.11	2,496.00	94,156.23	विधानमंडलीय अनुमोदन ₹ 24,96,00,03,000 से कम
<b>कुल विनियोग में से अनुदान-वार विवरण इस प्रकार है</b>					
अनुदान 6 – राजस्व (दत्तमत)	3,268.63	5,421.63	2,153.00	4,345.54	विधानमंडलीय अनुमोदन से अधिक व्यय ₹ 10,76,90,34,000
अनुदान 27 – राजस्व (दत्तमत)	977.66	1,320.66	343.00	1,163.63	विधानमंडलीय अनुमोदन से अधिक व्यय ₹ 1,85,97,90,000

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य की समेकित निधि से दो अनुदानों के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक धनराशि आहरित की गई। अनुदानों की माँगों तथा विनियोग अधिनियम का प्रस्तुतिकरण शुद्ध आधार के स्थान पर सकल आधार पर किया जाना अपेक्षित था। यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है।

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>01. विधान सभा</b>				
दत्तमत	1,27,54,03	11,19,01	1,10,33,90	8,93,50
भारित	5,56,00	--	4,68,58	--
<b>02. राज्यपाल</b>				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	16,62,75	--	14,54,91	--
<b>03. मंत्रिपरिषद्</b>				
दत्तमत	65,13,45	50,00,00	41,49,72	42,91,46
भारित	--	--	--	--
<b>04. न्याय प्रशासन</b>				
दत्तमत	3,72,18,42	66,45,00	2,92,03,19	62,65,45
भारित	92,01,01	--	65,72,13	--
<b>05. निर्वाचन</b>				
दत्तमत	2,26,60,14	2	1,76,60,54	--
भारित	--	--	--	--
<b>06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन</b>				
दत्तमत	32,68,63,68	6,20,50,03	43,45,54,02	5,25,25,81
भारित	6,41,00	--	1,28,70	--
<b>07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं</b>				
दत्तमत	1,37,66,62,75	28,45,80,11	1,27,33,25,77	16,15,69,95
भारित	69,91,44,36	1,91,39,63,03	59,28,32,35	2,89,94,13,82
<b>08. आवककारी</b>				
दत्तमत	45,49,18	--	38,88,52	--
भारित	--	--	--	--



अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>09. लोक सेवा आयोग</b>				
दत्तमत	14,14,01	8,00,00	13,04,81	2,37,07
भारित	73,66,00	--	52,30,43	--
<b>10. पुलिस एवं जेल</b>				
दत्तमत	28,08,37,89	1,55,11,01	25,37,39,64	1,54,90,00
भारित	--	--	--	--
<b>11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति</b>				
दत्तमत	1,15,72,63,33	6,75,93,40	1,06,30,84,20	5,42,34,23
भारित	--	--	--	--
<b>12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण</b>				
दत्तमत	43,38,43,94	2,06,14,23	36,78,18,47	1,60,65,58
भारित	--	--	--	--
<b>13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास</b>				
दत्तमत	13,47,71,93	17,89,01,10	10,32,06,35	15,11,60,20
भारित	--	--	--	--
<b>14. सूचना</b>				
दत्तमत	6,00,48,40	1,00,00	5,64,08,91	--
भारित	--	--	--	--
<b>15. कल्याण योजनाएं</b>				
दत्तमत	27,67,90,04	1,89,31,90	22,99,17,42	1,35,87,14
भारित	--	--	--	--
<b>16. श्रम और रोजगार</b>				
दत्तमत	3,91,23,81	77,00,01	3,34,58,96	63,06,43
भारित	--	--	--	--



अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>17. कृषि कर्म एवं अनुसंधान</b>				
दत्तमत	7,68,06,20	3,87,50,05	5,74,87,70	2,35,57,03
भारित	--	--	--	--
<b>18. सहकारिता</b>				
दत्तमत	1,68,59,65	1,05,75,03	1,44,88,85	1,02,30,00
भारित	--	--	--	--
<b>19. ग्राम्य विकास</b>				
दत्तमत	14,48,43,30	16,71,62,23	9,99,31,66	14,73,22,38
भारित	--	--	--	--
<b>20. सिंचाई एवं बाढ़</b>				
दत्तमत	6,66,66,95	15,52,00,02	5,98,58,16	10,86,80,15
भारित	2,00,00	--	1,12,69	--
<b>21. ऊर्जा</b>				
दत्तमत	38,38,76	15,21,41,02	27,55,33	11,71,50,42
भारित	--	--	--	--
<b>22. लोक निर्माण कार्य</b>				
दत्तमत	17,29,55,75	14,04,30,00	15,60,36,30	13,72,41,84
भारित	47,40,00	--	47,26,04	--
<b>23. उद्योग</b>				
दत्तमत	3,92,59,24	50,60,01	3,44,50,66	38,67,13
भारित	--	--	--	--
<b>24. परिवहन</b>				
दत्तमत	2,76,44,64	2,78,42,07	2,47,90,81	1,51,36,53
भारित	--	--	--	--



अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>25. खाद्य</b>				
दत्तमत	3,32,49,67	6,13,00,00	2,18,43,97	6,04,83,25
भारित	--	--	--	--
<b>26. पर्यटन</b>				
दत्तमत	1,98,94,58	2,57,75,02	1,86,64,10	2,15,59,21
भारित	--	--	--	--
<b>27. वन</b>				
दत्तमत	9,77,66,03	1,23,63,00	11,63,63,93	1,10,33,62
भारित	--	--	--	--
<b>28. पशुपालन संबंधी कार्य</b>				
दत्तमत	6,66,46,77	1,77,80,58	5,38,39,75	1,21,23,13
भारित	--	--	--	--
<b>29. औद्योगिक विकास</b>				
दत्तमत	4,45,97,11	1,31,00,00	3,17,78,42	52,43,95
भारित	3,17,36	--	2,54,55	--
<b>30. अनुसूचित जातियों का कल्याण</b>				
दत्तमत	18,97,26,74	3,97,16,15	10,76,34,38	2,71,07,25
भारित	--	--	--	--
<b>31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</b>				
दत्तमत	6,13,67,17	1,63,41,42	2,95,84,75	88,03,46
भारित	--	--	--	--
<b>योग</b>				
दत्तमत	5,23,34,37,56	1,55,30,82,42	4,71,22,63,19	1,19,21,66,17
भारित	72,38,28,48	1,91,39,63,03	61,17,80,38	2,89,94,13,82
<b>कुल योग</b>	<b>5,95,72,66,04</b>	<b>3,46,70,45,45</b>	<b>5,32,40,43,57</b>	<b>4,09,15,79,99</b>

का सारांश (क्रमशः)

कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	2024-25		2023-24	
(6)	(7)	(8)	(9)	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
		(₹ हजार में)		(10)	(11)	(12)	(13)
1,14,05,70	8,16,75	--	--	(-)34.30	(-)1.33	(-)64.71	(-)1.58
--	--	--	--	--	--	--	--
12,30,48	42,15,81	--	--	(-)6.19	(-)16.36	(-)3.61	(-)15.37
--	--	--	--	--	--	--	--
--	13,29,38	1,85,97,90	--	(+)19.02	(-)10.75	(-)34.20	(-)21.46
--	--	1,85,97,90,048	--	--	--	--	--
1,28,07,02	56,57,45	--	--	(-)19.22	(-)31.82	(-)13.53	(-)14.55
--	--	--	--	--	--	--	--
1,28,18,69	78,56,05	--	--	(-)28.74	(-)59.97	(-)39.84	(-)61.35
62,81	--	--	--	(-)19.79	--	(-)20.34	--
8,20,92,36	1,26,08,90	--	--	(-)43.27	(-)31.75	(-)33.30	(-)25.23
--	--	--	--	--	--	--	--
3,17,82,42	75,37,96	--	--	(-)51.79	(-)46.13	(-)38.86	(-)31.83
--	--	--	--	--	--	--	--
64,74,62,61	36,09,16,25	12,62,88,24	--	(-)9.96	(-)23.24	(-)15.66	(-)32.39
11,20,48,10	--	--	98,54,50,79	(-)15.48	(+)51.49	(-)18.50	(+)46.43
<b>75,95,10,71</b>	<b>36,09,16,25</b>	<b>12,62,88,24</b>	<b>98,54,50,79</b>	<b>(-)10.63</b>	<b>(+)18.01</b>	<b>(-)16.00</b>	<b>(+)5.81</b>

### विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित दत्तमत्त अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

#### राजस्व प्रभाग

06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

27-वन

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

#### पूंजीगत प्रभाग

07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 3,10,13,08 हजार सम्मिलित नहीं है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2024-25 में व्यय किए गए थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यौरे **परिशिष्ट-I** में दिये गए हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 3,08,80,75 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई। अनुदानों जिससे यह संबंधित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाये गए हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दर्शाये गए व्यय में ₹ 1,71,24,58 हजार की राशि शामिल है (यह अनुदानों के अंतर्गत भी दिखाया गया है, जिससे यह संबंधित है) जो 31.03.2025 तक डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़ी है। यह जानकारी राज्य सरकार के 65 सीसीओ में से 16 सीसीओ से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि, 65 सीसीओ में से 37 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि 12 ने 31.03.2025 को अपने डीडीओ के बैंक खातों में 'शून्य' राशि की सूचना दी है।

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (ब्यौरेवार **परिशिष्ट-II** में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं।

### विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2024-25 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है।

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	61,17,80,38	2,89,94,13,82	4,71,22,63,19	1,19,21,66,17
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ	...	...	32,24,85,16	1,25,16,33
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	61,17,80,38	2,89,94,13,82	4,38,97,78,03	1,17,96,49,84

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।



## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

### उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

#### अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खतों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही उत्तराखण्ड सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

#### अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

#### प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे उत्तराखण्ड सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खतों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।



### वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व


मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और उत्तराखण्ड सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

### वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(के. संजय मूर्ति)

दिनांक: 08 OCT 2025

स्थान: नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



**अनुदान सं० 01 विधान सभा**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2011</b>	<b>संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल</b>		
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	1,25,04,03		
		1,27,54,03	1,10,33,90
			(-)17,20,13
पूरक	2,50,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			13,46,34
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 1,30,74 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।			
<b>भारित-</b>			
मूल	4,56,00		
		5,56,00	4,68,58
			(-)87,42
पूरक	1,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			87,42
<b>पूँजीगत:</b>			
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	11,00,01		
		11,19,01	8,93,50
			(-)2,25,51
पूरक	19,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			2,25,51
<b>टिप्पणियां एवं टीकायें</b>			
<b>राजस्व:</b>			
<b>दत्तमत-</b>			
(i) ₹ 1,720.13 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,346.34 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।			

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(ii) ₹ 1,720.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 250.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	7,068.51	6,465.44	603.07
2020-21	6,702.44	5,974.19	728.25
2021-22	6,804.98	5,943.39	861.59
2022-23	8,228.63	6,724.42	1,504.21
2023-24	8,540.73	6,305.49	2,235.24

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2011 संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल**

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

103 विधान सचिवालय

(1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	1,057.00			
		870.66	870.66	0.00
पुनर्वि०	(-)186.34			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 186.34 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 03 विधान सभा सचिवालय

मूल	5,151.02			
पूरक	100.00	3,016.95	3,016.95	0.00
पुनर्वि०	(-)2,234.07			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को ₹ 1,100.00 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,134.07 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(3) 95 केंद्रीय पोषित योजना मे राज्यांश

मूल	118.00			
		96.74	96.74	0.00

पुनर्वि० (-)21.26

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 21.26 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 2011 संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

मूल	4,574.01			
पूरक	150.00	5,824.01	5,450.22	(-)373.79
पुनर्वि०	1,100.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2024 को ₹ 1,100.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

राजस्व:

भारित-

(vi) ₹ 87.42 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 87.42 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	224.82	223.80	1.02
2020-21	237.22	232.35	4.87
2021-22	255.76	219.26	36.50
2022-23	254.21	214.51	39.70
2023-24	303.01	205.82	97.19

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2011 संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल**

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

मूल	456.00			
पूरक	100.00	468.58	468.58	0.00
पुनर्वि०	(-)87.42			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 87.42 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।  
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

- (ix) ₹ 225.51 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 225.51 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (x) ₹ 225.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 19.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,560.00	1,200.09	359.91
2020-21	1,060.00	183.32	876.68
2021-22	1,300.00	195.00	1,105.00
2022-23	1,200.00	100.00	1,100.00
2023-24	750.00	180.18	569.82

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	198.00			
		0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)198.00			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 198.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 95 केंद्रीय पोषित योजना मे राज्यांश

मूल	22.00			
		0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)22.00			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 22.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 02 राज्यपाल

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक</b>			
<b>भारित-</b>			
मूल	16,62,75		
		16,62,75	(-)2,07,84
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			2,07,81

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

भारित-

- (i) ₹ 207.84 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 207.81 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।  
(ii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,293.19	930.99	362.20
2020-21	1,197.07	991.19	205.88
2021-22	1,190.68	1,108.70	81.98
2022-23	1,498.38	1,295.55	202.83
2023-24	1,622.15	1,408.88	213.27

- (iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक**

03 संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/प्रशासक

090 सचिवालय

अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

(1)	03 स्थापना व्यय			
	मूल	986.02		
			858.76	858.76
				0.00
	पुनर्वि०	(-)127.26		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 3.00 लाख की कमी कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 124.26 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

	101 संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल/प्रशासक की परिलब्धियाँ और भत्ते			
(2)	03 राज्यपाल			
	मूल	42.00		
			28.50	28.50
				0.00
	पुनर्वि०	(-)13.50		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 13.50 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

	105 चिकित्सकीय सुविधाएं			
(3)	03 चिकित्सा सम्बन्धी व्यय			
	मूल	95.03		
			66.82	66.82
				0.00
	पुनर्वि०	(-)28.21		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 2.50 लाख की कमी यात्रा व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 25.71 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद्**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2013 मंत्री परिषद्</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	61,86,45		
		65,13,45	41,49,72
			(-)23,63,73
पूरक	3,27,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			23,32,15
<b>पूँजीगत:</b>			
<b>4059 लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	50,00,00		
		50,00,00	42,91,46
			(-)7,08,54
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			5,20,73

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 2,363.73 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,332.15 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,363.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 327.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	4,651.90	3,670.68	981.22
2020-21	6,220.20	5,027.30	1,192.90
2021-22	18,327.56	7,508.67	10,818.89
2022-23	5,929.70	3,814.72	2,114.98
2023-24	5,963.21	4,141.24	1,821.97

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2013 मंत्री परिषद्**

00

101 मंत्रियों एवं उपमंत्रियों का वेतन

(1)	03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते				
	मूल	550.00			
			330.34	330.34	0.00
	पुनर्वि०	(-219.66)			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 219.66 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

104 मनोरंजन और सतकार व्यय

(2)	03 मनोरंजन एवं आतिथ्य व्यय				
	मूल	260.00			
			190.11	190.11	0.00
	पुनर्वि०	(-69.89)			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 69.89 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

(3)	03 मुख्यमंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान				
-----	--	--	--	--	--

## अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	4,000.00		
			2,521.21	2,521.21
				0.00

पुनर्वि० (-)1,478.79

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,478.79 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(4) 05 माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान

	मूल	500.00		
			127.92	127.92
				0.00

पुनर्वि० (-)372.08

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 372.08 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

108 दौरा खर्च

(5) 03 मंत्रियों एवं उपमंत्रियों का यात्रा व्यय

	मूल	100.00	100.00	68.42	(-)31.58
--	-----	--------	--------	-------	----------

800 अन्य व्यय

(6) 03 मंत्रियों एवं उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय

	मूल	475.95			
			330.74	330.74	0.00

पुनर्वि० (-)145.21

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 145.21 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(v) ₹ 708.54 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 520.73 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

**अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् समाप्त.**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(vi) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	6,000.00	4,207.90	1,792.10
2020-21	6,000.00	5,448.69	551.31
2021-22	13,920.55	11,118.99	2,801.56
2022-23	5,020.00	4,774.31	245.69
2023-24	6,510.00	5,987.26	522.74

(vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय**

60 अन्य इमारतें

800 अन्य व्यय

02 माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान

मूल 5,000.00

4,479.27 4,291.46 (-)187.81

पुनर्वि० (-)520.73

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 520.73 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2014 न्याय का प्रशासन</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	3,56,32,82		
		3,72,18,42	(-)80,15,23
पूरक	15,85,60		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 58,39 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।			
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,55 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।			
<b>भारित-</b>			
मूल	92,01,01		
		92,01,01	(-)26,28,88
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
<b>पूँजीगत:</b>			
<b>4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	63,25,00		
		66,45,00	(-)3,79,55
पूरक	3,20,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 8,015.23 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 8,015.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 1,585.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) ₹ 35.72 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- (iv) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	22,028.61	16,164.54	5,864.07
2020-21	24,710.55	18,047.03	6,663.52
2021-22	25,087.39	20,756.53	4,330.86
2022-23	30,035.56	25,401.21	4,634.35
2023-24	45,706.37	31,874.48	13,831.89

- (v) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय का प्रशासन

00

102 उच्च न्यायालय

(1) 03 उच्च न्यायालय

मूल 0.00

295.00 151.82 (-)143.18

पूरक 295.00

## अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	105 सिविल एवं सत्र न्यायालय				
(2)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	500.00	500.00	195.73	(-)304.27
(3)	03 जिला एवं सत्र न्यायाधीश				
	मूल	21,174.03	21,899.73	18,374.69	(-)3,525.04
	पूरक	725.70			
(4)	06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय				
	मूल	95.41	103.35	77.39	(-)25.96
	पूरक	7.94			
(5)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	60.16	60.16	0.15	(-)60.01
	108 दंड न्यायालय				
(6)	03 नियमित अधिष्ठान				
	मूल	3,807.23	3,906.43	2,881.36	(-)1,025.07
	पूरक	99.20			
	114 विधि सलाहकार और परामर्श परिषद्				
(7)	03 महाधिवक्ता				
	मूल	2,404.71	2,404.71	1,777.57	(-)627.14
(8)	04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता				
	मूल	1,435.48	1,435.48	1,166.66	(-)268.82

## अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	117 पारिवारिक न्यायालय			
(9)	04 पारिवारिक न्यायालय अधिष्ठान (20140010504 से स्थानांतरित)			
	मूल	2,137.13		
			2,327.60	1,779.70
				(-547.90)
	पूरक	190.47		
	800 अन्य व्यय			
(10)	04 लोक सेवा अधिकरण			
	मूल	747.75	747.75	480.93
				(-266.82)
(11)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	455.63		
			467.63	304.03
				(-163.60)
	पूरक	12.00		
(12)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	1,404.44		
			1,504.44	988.56
				(-515.88)
	पूरक	100.00		
(13)	07 महाप्रशासक कार्यालय, नैनीताल			
	मूल	25.96	25.96	18.05
				(-7.91)
(14)	10 लोक अदालत			
	मूल	710.89		
			715.39	219.84
				(-495.55)
	पूरक	4.50		

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

राजस्व:

भारित-

(vi) ₹ 2,628.88 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	4,725.64	3,644.96	1,080.68
2020-21	5,098.00	3,956.66	1,141.34
2021-22	5,948.95	4,799.23	1,149.72
2022-23	6,779.01	5,478.58	1,300.43
2023-24	12,228.46	7,246.10	4,982.36

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2014 न्याय का प्रशासन

00

102 उच्च न्यायालय

03 उच्च न्यायालय

मूल	9,201.01	9,201.01	6,572.13	(-)2,628.88
-----	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(ix) ₹ 379.55 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(x) ₹ 379.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 320.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

**अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xi) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	5,540.00	2,641.31	2,898.69
2020-21	5,580.00	2,463.43	3,116.57
2021-22	5,530.00	1,403.12	4,126.88
2022-23	15,865.50	9,603.62	6,261.88
2023-24	17,200.01	1,907.87	15,292.14

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय**

60 अन्य इमारतें

051 निर्माण

95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	500.00			
		512.67	512.67	0.00
पुनर्वि०	12.67			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को ₹ 12.67 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2015 निर्वाचन</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	2,23,54,14		
		2,26,60,14	(-)49,99,60
पूरक	3,06,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			21,36,94
<b>पूँजीगत:</b>			
<b>4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	2		
		2	(-)2
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			2

## टिप्पणियां एवं टीकायें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- (i) ₹ 4,999.60 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,136.94 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 4,999.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 306.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

## अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	15,198.97	11,972.30	3,226.67
2020-21	4,540.63	3,733.67	806.96
2021-22	13,755.21	11,473.95	2,281.26
2022-23	9,496.15	8,203.01	1,293.14
2023-24	8,601.48	6,580.71	2,020.77

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं मुद्रण

(1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	110.00			
		74.73	74.73	0.00

पुनर्वि० (-)35.27

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2024 को ₹ 20.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 15.27 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 03 विधान सभा और संसद (50 प्रतिशत के०पो०)

मूल	1,255.70			
		1,088.40	1,088.40	0.00

पुनर्वि० (-)167.30

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 167.30 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

	105 संसद के चुनाव कराने के लिए के लिए प्रभार			
(3)	03 सामान्य निर्वाचन			
	मूल	15,200.01		
			13,494.09	0.00
	पुनर्वि०	(-),705.92		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1705.92 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

	109 पंचायतों/स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए के लिए प्रभार			
(4)	03 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय			
	मूल	3,235.23		
			3,221.96	(-),2,851.12
	पुनर्वि०	(-),13.27		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2025 को ₹ 13.27 लाख की कमी यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(v) ₹ 0.02 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 0.02 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2029 भू राजस्व			
2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएँ			
2053 जिला प्रशासन			
2062 सतर्कता			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत			
2506 भूमि सुधार			

**दत्तमत -**

मूल	23,08,96,17			
		32,68,63,68	43,45,54,02	(+)10,76,90,34
पूरक	9,59,67,51			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 74,47 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 3,88,58 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

**भारित-**

मूल	6,41,00			
		6,41,00	1,28,70	(-)5,12,30
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)				...

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------	-------	------------	---------------	---------------------------------------

## पूँजीगत:

- 4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय  
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

## दत्तमत -

मूल	6,00,50,03			
		6,20,50,03	5,25,25,81	(-95,24,22)
पूरक	20,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)				...

## टिप्पणियां एवं टीकायें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- (i) राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,07,690.34 लाख (₹ 10,76,90,33,831) का व्ययाधिक्य है, जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है। उक्त व्ययाधिक्य मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत शुद्ध बजटन के कारण हुआ है।  
(ii) ₹ 1,07,690.34 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 95,967.51 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।  
(iii) ₹ 2,15,300.00 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।  
(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2029 भू राजस्व

00

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

- |     |                                      |        |        |        |          |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| (1) | 03 भूमि अधिग्रहण-सामान्य राजस्व व्यय |        |        |        |          |
|     | मूल                                  | 466.08 | 466.08 | 381.85 | (-84.23) |
| (2) | 05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण         |        |        |        |          |
|     | मूल                                  | 17.51  | 17.51  | 6.25   | (-11.26) |

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	103 भू-अभिलेख			
(3)	07 राजस्व पुलिस एवं भुलेख प्रशिक्षण केंद्र			
	मूल	193.95	193.95	104.41
				(-89.54)
	<b>2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएँ</b>			
	00			
	099 राजस्व मंडल			
(4)	02 राजस्व आयुक्त स्थापना			
	मूल	645.54		
			719.92	522.66
				(-197.26)
	पुनर्वि०	74.38		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर 2024 को ₹ 44.38 लाख, दिनांक 31 जनवरी 2025 को ₹ 20.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि अनुरक्षण, पारिश्रमिक तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	<b>2053 जिला प्रशासन</b>			
	00			
	093 जिला स्थापनाएं			
(5)	03 कलकटरी स्थापना			
	मूल	20,310.00		
			20,480.00	17,733.33
				(-2,746.67)
	पुनर्वि०	170.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2024 को ₹ 200.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2025 को ₹ 20.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 10.00 लाख की कमी कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय में हुई बचत के कारण की गई।			
(6)	05 जिला चमोली के तहसील गैरसैण (भराडीसैण) में विधान सभा सत्र के दौरान व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में			
	मूल	150.00	150.00	115.35
				(-34.65)

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 आयुक्त				
(7)	03 मुख्य कार्यालय				
	मूल	643.34	643.34	516.07	(-)127.27
	<b>2062 सतर्कता</b>				
	00				
	105 अन्य सतर्कता एजेंसियां				
(8)	03 सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग / सतर्कता विभाग में रिर्वॉल्विंग फंड				
	मूल	400.00	400.00	200.00	(-)200.00
(9)	04 सेवा का अधिकार आयोग				
	मूल	352.11	352.11	301.91	(-)50.20
	<b>2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ</b>				
	00				
	106 सिविल सुरक्षा				
(10)	03 स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)				
	मूल	111.10			
			120.40	93.00	(-)27.40
	पूरक	9.30			
	107 होम गार्ड				
(11)	04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत)				
	मूल	1,640.76			
			1,661.26	1,493.75	(-)167.51
	पूरक	20.50			

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	05 लोक सभा निर्वाचन				
	मूल	0.00			
			882.00	753.05	(-)128.95
	पूरक	882.00			
	800 अन्य व्यय				
(13)	13 सूचना आयोग की स्थापना				
	मूल	649.12	649.12	471.10	(-)178.02
(14)	16 सेना भर्ती रैली एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन				
	मूल	70.00	70.00	60.19	(-)9.81
<b>2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत</b>					
05 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष					
101 आरक्षित निधि और जमा खातों में स्थानांतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि					
(15)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	86,800.00			
			1,51,456.01	86,800.00	(-)64,656.01
	पूरक	64,656.01			
(16)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	9,600.00			
			16,784.00	9,600.00	(-)7,184.00
	पूरक	7,184.00			

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(17)	97 बाह्य सहायतित योजना				
	मूल	1,800.00	1,800.00	1,300.00	(-500.00)
	80 सामान्य				
	102 प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएँ				
(18)	02 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण				
	मूल	808.24			
			888.24	456.64	(-431.60)
	पूरक	80.00			
(19)	07 जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण				
	मूल	408.04			
			435.74	355.47	(-80.27)
	पुनर्वि०	27.70			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2025 को ₹ 20.20 लाख तथा दिनांक 05 फरवरी 2025 को ₹ 7.50 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(20)	10 राज्य राहत निधि				
	मूल	10.00	10.00	0.34	(-9.66)
(21)	13 उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र				
	मूल	572.23			
	पूरक	100.00	591.53	364.10	(-227.43)
	पुनर्वि०	(-80.70)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2025 को ₹ 61.20 लाख तथा दिनांक 05 फरवरी 2025 को ₹ 19.50 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गई।				

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2506 भूमि सुधार</b>			
	00			
	102 चकबंदी			
(22)	03 खेतों की चकबंदी			
	मूल	1,664.85	1,664.85	1,333.09
				(-331.76)
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।			
	(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	<b>2029 भू राजस्व</b>			
	00			
	103 भू-अभिलेख			
(1)	09 राजस्व अभिलेखों का आधुनिकरण			
	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00
				(-5,000.00)
	<b>2053 जिला प्रशासन</b>			
	00			
	093 जिला स्थापनाएं			
(2)	07 विशिष्ट अतिथि सत्कार			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-100.00)
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	<b>2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत</b>			
	80 सामान्य			
	102 प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाएँ			
(3)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	300.00	300.00	0.00
				(-300.00)
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(4)	14 जोशीमठ एवं अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का प्रबंधन			
	मूल	20,000.00	20,000.00	0.00
				(-)20,000.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**राजस्व-  
भारित-**

(vi) ₹ 512.30 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	282.50	209.51	72.99
2020-21	367.25	198.48	168.77
2021-22	244.55	197.44	47.11
2022-23	262.78	244.49	18.29
2023-24	369.55	204.11	165.44

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2062 सतर्कता**

00

103 लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त

02 लोकायुक्त संगठन

मूल	641.00	641.00	128.70	(-)512.30
-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

पूँजीगत:

दत्तमत-

(ix) ₹ 9,524.22 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(x) ₹ 9,524.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 2,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	41,025.01	19,790.25	21,234.76
2020-21	35,396.73	17,776.12	17,620.61
2021-22	40,014.01	37,009.86	3,004.15
2022-23	27,435.01	23,419.94	4,015.07
2023-24	1,11,176.01	10,946.07	1,00,229.94

(xii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

101 प्राकृतिक आपदाएं

01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	40,000.00	40,000.00	30,750.00	(-9,250.00)
-----	-----------	-----------	-----------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय**

60 अन्य इमारतें

051 निर्माण

(1) 16 एटीआई में निर्माण कार्य

मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
-----	--------	--------	------	-----------

**4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय**

00

101 प्राकृतिक आपदाएं

(2) 02 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2030	स्टाम्प और पंजीकरण		
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार		
2045	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और प्रभार		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय - सामान्य सेवाएँ		
2054	कोषागार तथा लेखा प्रशासन		
2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ		
2075	विविध सामान्य सेवाएँ		
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ		
3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी		
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ		
3604	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		

दत्तमत -

मूल	1,35,88,60,38		
		1,37,66,62,75	1,27,33,25,77 (-)10,33,36,98
पूरक	1,78,02,37		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			1,30,79,46

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 1,00,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
<b>भारित-</b>				
	मूल	69,90,44,35		
			69,91,44,36	59,28,32,35 (-)10,63,12,01
	पूरक	1,00,01		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			1,93,74
<b>पूँजीगत:</b>				
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय			
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम			
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण			
7615	विविध ऋण			
<b>दत्तमत -</b>				
	मूल	28,17,70,11		
			28,45,80,11	16,15,69,95 (-)12,30,10,16
	पूरक	28,10,00		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			14,63,36
<p>अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,81,25 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।</p>				
<b>भारित-</b>				
	मूल	1,91,39,63,03		
			1,91,39,63,03	2,89,94,13,82 (+)98,54,50,79
	पूरक	...		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,03,336.98 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 13,079.46 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,03,336.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 17,802.37 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) ₹ 401.03 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- (iv) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	9,55,441.34	8,14,942.08	1,40,499.26
2020-21	9,79,184.66	9,09,188.07	69,996.59
2021-22	10,80,082.81	9,35,487.12	1,44,595.69
2022-23	11,21,076.76	10,37,873.67	83,203.09
2023-24	12,75,720.54	11,43,630.53	1,32,090.01

- (v) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2030 स्टाम्प और पंजीकरण

01 स्टाम्प-न्यायिक

102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

(1) 03 न्यायिक स्टाम्प

मूल	80.00			
पूरक	141.00	80.00	74.58	(-)5.42
पुनर्वि०	(-)141.00			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 अक्तूबर 2024 को ₹ 141.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 03 मुख्यालय

मूल	2,225.65			
पूरक	2,758.00	5,223.65	2,882.59	(-2,341.06)
पुनर्वि०	240.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2025 को ₹ 240.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 04 जिला व्यय

मूल	1,350.62			
		1,120.62	909.78	(-210.84)
पुनर्वि०	(-230.00)			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2025 को ₹ 230.00 लाख की कमी लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण की गई।

2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर

00

800 अन्य व्यय

(4) 05 वैट के अंतर्गत वापसी

मूल	1,000.00	1,000.00	174.38	(-825.62)
-----	----------	----------	--------	-----------

2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	03 अधिष्ठान			
	मूल	3,905.61		
	पूरक	250.00	3,739.57	1,750.08
	पुनर्वि०	(-416.04)		(-1,989.49)
	<p>प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर 2024 को ₹ 143.50 लाख, दिनांक 03 जनवरी 2025 को ₹ 244.48 लाख, दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 5.06 लाख तथा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 30.21 लाख की कमी व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा अनुरक्षण में हुई बचत के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 7.21 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>			
(6)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना			
	मूल	150.00		
			79.00	79.00
	पुनर्वि०	(-71.00)		0.00
	<p>प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2025 को ₹ 71.00 लाख की कमी इन्शोरेंस पॉलिसी /प्रीमियम में हुई बचत के कारण की गई।</p>			
	101 संग्रहण प्रभार			
(7)	03 वाणिज्यिक कर अधिष्ठान			
	मूल	11,458.50		
			11,802.04	10,059.76
	पुनर्वि०	343.54		(-1,742.28)
	<p>प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2025 को ₹ 244.48 लाख, दिनांक 17 जनवरी 2025 को ₹ 71.00 लाख, दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 5.06 लाख तथा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 30.21 लाख की वृद्धि मजदूरी, यात्रा व्यय, प्रशिक्षण व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व, उपयोगिता बिलों का भुगतान तथा अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 7.21 लाख की कमी प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण की गई।</p>			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और प्रभार</b>			
	00			
	103 संग्रहण प्रभार-विद्युत प्रभार			
(8)	03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय			
	मूल	453.74	453.74	282.02
				(-171.72)
	<b>2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएँ</b>			
	00			
	090 सचिवालय			
(9)	05 रैसिडेंट कमिश्नर, नई दिल्ली अधिष्ठान			
	मूल	219.16		
	पूरक	5.00	187.17	187.17
	पुनर्वि०	(-36.99)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 36.99 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान का अधिष्ठान			
	मूल	40.57		
			20.46	20.46
	पुनर्वि०	(-20.11)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 20.11 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(11)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
	मूल	89.14		
			58.12	58.12
	पुनर्वि०	(-31.02)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 31.02 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	19 गोपन विभाग (ई-मंत्रिमंडल)			
	मूल	10.00		
			0.71	0.71
	पुनर्वि०	(-)9.29		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 9.29 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(13)	21 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न आयोजनों / कार्यक्रमों से सम्बंधित			
	मूल	100.00		
	पूरक	900.00	962.00	514.96
	पुनर्वि०	(-)38.00		(-)447.04
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को ₹ 30.00 लाख तथा दिनांक 03 जनवरी 2025 को ₹ 8.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
(14)	22 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार			
	मूल	7.00	7.00	1.24
				(-)5.76
(15)	23 उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ			
	मूल	100.00	100.00	69.13
				(-)30.87
	091 संलग्न कार्यालय			
(16)	04 बजट राजकोषीय नियोजन और संसाधन निदेशालय			
	मूल	312.61		
			174.89	174.89
	पुनर्वि०	(-)137.72		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 137.72 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना			
	मूल	36.70		
			8.77	0.00
	पुनर्वि०	(-)27.93		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 27.93 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(18)	10 वित्त आयोग निदेशालय			
	मूल	216.07		
			169.48	0.00
	पुनर्वि०	(-)46.59		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 46.59 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(19)	12 वित्त लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना			
	मूल	86.89		
			77.04	0.00
	पुनर्वि०	(-)9.85		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 9.85 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(20)	13 कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रकोष्ठ			
	मूल	20.00		
	पूरक	10.72	2.42	0.00
	पुनर्वि०	(-)28.30		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 28.30 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(21)	15 वेतन आयोग सेल की स्थापना			
	मूल	99.20		
	पूरक	5.60	67.96	0.00
	पुनर्वि०	(-)36.84		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 36.84 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

## 092 अन्य कार्यालय

(22)	02 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के तहत भुगतान			
	मूल	100.00		
			46.90	46.90
				0.00
	पुनर्वि०	(-)53.10		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 53.10 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## 2054 कोषागार तथा लेखा प्रशासन

00

## 095 लेखा तथा कोषागार निदेशालय

(23)	02 विभागों में ई-प्रोक्योरमेंट योजना का लागू किया जाना			
	मूल	94.60		
			15.69	15.69
				0.00
	पुनर्वि०	(-)78.91		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 78.91 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## (24) 05 विभागीय लेखा अधिष्ठान

	मूल	324.63		
			216.59	216.59
				0.00
	पुनर्वि०	(-)108.04		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 108.04 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## 097 कोषागार स्थापना

## (25) 03 कोषागार अधिष्ठान

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	9,287.00		
		9,182.50	7,434.30	(-),748.20

पुनर्वि० (-)104.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मई 2024 को ₹ 53.00 लाख तथा दिनांक 27 अगस्त 2024 को ₹ 61.50 लाख की कमी वेतन तथा लेखन सामग्री एवं छपाई में हुई बचत के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

098 स्थानीय निधि लेखापरीक्षा

(26)	05 जिला पंचायतों एवं क्षेत्रीय समितियों का लेखा संगठन			
	मूल	369.51		
		295.60	295.60	0.00

पुनर्वि० (-)73.91

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 73.91 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

2071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

01 सिविल

	101 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते			
(27)	07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी			
	मूल	100.00		
		62.39	62.39	0.00

पुनर्वि० (-)37.61

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 37.61 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य

(28)	04 पूर्ववर्ती यूपी राज्य विद्युत बोर्ड			
------	--	--	--	--

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	3,500.00		
		2,567.14	2,567.14	0.00
	पुनर्वि०	(-932.86)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 850.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 82.86 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
104 उपदान				
(29)	04 पूर्ववर्ती यूपी स्टेट विद्युत बोर्ड			
	मूल	3,500.00		
		2,912.19	2,912.19	0.00
	पुनर्वि०	(-587.81)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 500.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 87.81 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
200 अन्य पेंशन				
(30)	06 नई पेंशन योजना के तहत सीआरए को भुगतान			
	मूल	300.00		
		154.26	154.26	0.00
	पुनर्वि०	(-145.74)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 1.50 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 123.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 21.24 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
800 अन्य व्यय				
(31)	04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखंड)			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	350.00			
			62.08	62.08	0.00
	पुनर्वि०	(-287.92)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 87.92 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
	<b>2075 विविध सामान्य सेवाएँ</b>				
	00				
	911 कटौती - अधिक भुगतान की वसूली				
(32)	03 तीन वर्ष से अधिक समय से पीएलए में जमा अप्रयुक्त धन का रिफंड				
	मूल	(-0.01)	(-0.01)	(-200.45)	(-200.44)
	<b>2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
	107 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना				
(33)	02 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन (अनु० 15 के 2235601070357 से स्थानांतरित)				
	मूल	2,400.00			
			1,924.31	1,924.31	0.00
	पुनर्वि०	(-475.69)			
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 475.69 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
	<b>2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>				
	00				
	911 घटायें- अतिरिक्त भुगतान की वसूली				
(34)	43 एस.एच.जी. उत्पादों का विपणन एवं ब्रांडिंग				
	मूल	0.00	0.00	(-200.58)	(-200.58)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

00

092 अन्य कार्यालय

(35) 04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन/सूचना तंत्र का सुदृढीकरण/डी0पी0आर0 निर्माण

मूल	500.00			
		322.75	322.75	0.00

पुनर्वि० (-)177.25

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2024 को ₹ 250.00 लाख की कमी व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 27.25 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(36) 13 उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ०)

मूल	5,000.00			
पूरक	5,200.00	5,500.00	5,500.00	0.00

पुनर्वि० (-)4,700.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 4,700.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(37) 14 परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड

मूल	0.00			
पूरक	820.00	261.07	261.08	(+)0.01

पुनर्वि० (-)558.93

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 558.93 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(38)	15 सेतु आयोग			
	मूल	0.00		
	पूरक	789.00	202.40	202.40
	पुनर्वि०	(-586.60)		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की कमी कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 486.60 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

**3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी**

02 सर्वेक्षण और सांख्यिकी

112 आर्थिक सलाह और सांख्यिकी

(39)	03 अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी की स्थापना			
	मूल	3,071.82		
	पूरक	10.00	2,480.41	2,480.41
	पुनर्वि०	(-601.41)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 601.41 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

(40)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की स्थापना			
	मूल	176.17		
			143.84	143.84
	पुनर्वि०	(-32.33)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 32.33 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

800 अन्य व्यय

(41)	05 जीआईएस सेल एवं जीओ पोर्टल की स्थापना			
------	---	--	--	--

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	82.56		
		69.92	69.92	0.00

पुनर्वि० (-)12.64

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 12.64 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

**3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ**

00

200 अन्य व्यावसायिक उपक्रमों का विनियमन

(42)	02 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फंड्स अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान (20470080003 से स्थानांतरित)			
	मूल	228.93		
	पूरक	7.00	99.78	99.78
	पुनर्वि०	(-)136.15		0.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 136.15 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

**3604 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**

00

200 अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

(43)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,37,409.00		
			1,24,209.00	57,483.82
	पुनर्वि०	(-)13,200.00		(-)66,725.18

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 13,200.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2030 स्टाम्प और पंजीकरण**

01 स्टाम्प-न्यायिक

101 स्टाम्पों की लागत

(1) 03 न्यायिक स्टाम्प

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 05 स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प पंजीकरण का मुआवजा

मूल	10.00			
		0.00	0.00	0.00

पुनर्वि० (-)10.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2025 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएँ**

00

090 सचिवालय

(3) 13 सभा सचिवों के निजी कर्मचारियों हेतु मानदेय

मूल	5.00			
		0.00	0.00	0.00

पुनर्वि० (-)5.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	091 संलग्न कार्यालय			
(4)	18 राजकीय विभागों में नव प्रवर्तन एवं सुधार			
	मूल	10,000.00		
			9,850.40	(-)9,850.40
	पुनर्वि०	(-)149.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 नवंबर 2024 को ₹ 149.60 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	092 अन्य कार्यालय			
(5)	04 विभिन्न विभागों में डी पी आर निर्माण			
	मूल	0.00		
			1,000.00	(-)1,000.00
	पूरक	1,000.00		
	2054 कोषागार तथा लेखा प्रशासन			
	00			
	003 प्रशिक्षण			
(6)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	4,000.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)4,000.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 3,000.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ</b>				
01 सिविल				
105 पारिवारिक पेंशन				
(7)	06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-100.00)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
800 अन्य व्यय				
(8)	09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता			
	मूल	5.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-5.00)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9)	10 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त लाभ (एक बार)			
	मूल	20,000.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-20,000.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2024 को ₹ 1,300.00 लाख तथा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 18,600.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

**2075 विविध सामान्य सेवाएँ**

00

800 अन्य व्यय

(10)	02 व्यपगत जमा धनराशियों की अदायगियाँ			
	मूल	300.00		
			0.00	0.00

पुनर्वि० (-)300.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 300.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ**

00

092 अन्य कार्यालय

(11)	12 वेब पोर्टलों का विकास एवं रख-रखाव			
	मूल	10.00		
			0.00	0.00

पुनर्वि० (-)10.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2024 को ₹ 10.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी**

02 सर्वेक्षण और सांख्यिकी

112 आर्थिक सलाह और सांख्यिकी

(12)	05 राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली			
	मूल	5.00		
			0.00	0.00

पुनर्वि० (-)5.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**2030 स्टाम्प और पंजीकरण**

02 स्टाम्प-गैर-न्यायिक

101 स्टाम्पों की लागत

(1) 03 गैर अदालती स्टाम्प-

मूल 150.00

291.00 290.55 (-)0.45

पुनर्वि० 141.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 अक्तूबर 2024 को ₹ 141.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार**

00

800 अन्य व्यय

(2) 02 राज्य का जी०एस०टी०-एन० में अंश

मूल 650.00

793.50 793.00 (-)0.50

पुनर्वि० 143.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर 2024 को ₹ 143.50 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएँ**

00

091 संलग्न कार्यालय

(3) 05 जिलों में विभिन्न विभागों के अधिशेष (सरपल्स स्टाफ) के लिए एकमुश्त व्यवस्था

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

मूल	0.05			
		46.87	46.87	0.00

पुनर्वि०	46.82			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मई 2024 को ₹ 53.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 6.18 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				

(4) 07 निरीक्षण कार्यालय

मूल	0.05			
		38.05	31.69	(-)6.36

पुनर्वि०	38.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को ₹ 30.00 लाख तथा दिनांक 03 जनवरी 2025 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

2054 कोषागार तथा लेखा प्रशासन

00

095 लेखा तथा कोषागार निदेशालय

(5) 07 वित्तीय डेटा सेंटर

मूल	596.00			
		1,861.01	1,861.01	0.00

पुनर्वि०	1,265.01			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2024 को ₹ 1,300.00 लाख की वृद्धि कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 34.99 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				

2071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

01 सिविल

101 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते

(6) 03 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	2,05,000.00		
			2,19,255.50	2,25,789.88
				(+)6,534.38
	पुनर्वि०	14,255.50		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 18,000.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 3,000.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 744.50 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण की गई।			
(7)	04 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड			
	मूल	27,500.00		
			27,665.96	27,665.96
				0.00
	पुनर्वि०	165.96		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 400.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 700.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 134.04 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	104 उपदान			
(8)	03 उपादान			
	मूल	81,500.01		
			83,948.41	83,948.41
				0.00
	पुनर्वि०	2,448.40		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 2,450.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1.60 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	105 पारिवारिक पेंशन			
(9)	03 पारिवारिक पेंशन			

## अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	1,31,500.00		
			1,44,076.10	0.00
	पुनर्वि०	12,576.10		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 12,000.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 608.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 31.90 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	04 पूर्ववर्ती यूपी राज्य विद्युत बोर्ड			
	मूल	9,500.00		
			10,089.22	0.00
	पुनर्वि०	589.22		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 600.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 10.78 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी व्यय			
(11)	03 पेंशन और ग्रेच्युटी में योगदान			
	मूल	200.01	200.01	(+)35.98
	109 राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन			
(12)	03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
	मूल	60,000.01		
			65,570.27	0.00
	पुनर्वि०	5,570.26		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 5,550.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 71.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 0.74 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षको/गैर शिक्षण कर्मचारियों को पेंशन			
	मूल	17,500.01		
			18,880.35	0.00
	पुनर्वि०	1,380.34		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 1,400.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 19.66 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(14)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षको/गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ			
	मूल	57,500.01		
			63,369.62	0.00
	पुनर्वि०	5,869.61		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 6,000.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 130.39 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	111 विधायकों को पेंशन			
(15)	03 विधायको को पेंशन - राज्य विधान मण्डल के सदस्य			
	मूल	915.00		
			977.25	0.00
	पुनर्वि०	62.25		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 64.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1.75 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकार का अंशदान			
(16)	03 राज्य सरकार का योगदान			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

	मूल	95,000.00		
			1,07,322.79	1,07,322.79
				0.00

	पुनर्वि०	12,322.79		
--	----------	-----------	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 12,000.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 323.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तीक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 0.21 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

800 अन्य व्यय

(17) 08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा उपचार सहायता

	मूल	50.00		
			53.00	54.30
				(+)1.30

	पुनर्वि०	3.00		
--	----------	------	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2025 को ₹ 1.50 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

राजस्व:

भारित-

(viii) ₹ 1,06,312.01 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 193.74 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(ix) ₹ 1,06,312.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 100.01 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	5,67,569.45	4,65,478.86	1,02,090.59
2020-21	6,04,573.95	4,92,435.83	1,12,138.12
2021-22	6,55,612.62	5,14,856.06	1,40,756.56
2022-23	6,47,134.57	5,21,768.14	1,25,366.43
2023-24	6,46,336.30	5,30,291.31	1,16,044.99

## अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

(xi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2049 ब्याज अदायगियां

## 01 आंतरिक ऋण पर ब्याज

## 101 बाजार ऋण पर ब्याज

(1)	33 वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	49,724.50	49,724.50	26,683.68
				(-)23,040.82

(2)	34 वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	51,248.00	51,248.00	34,391.65
				(-)16,856.35

## 115 भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज

(3)	02 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज			
	मूल	6,000.00	6,000.00	3,144.49
				(-)2,855.51

## 123 राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज

(4)	03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज (20490310706 से स्थानांतरित)			
	मूल	70,000.00		
			62,389.70	43,939.97
				(-)18,449.73
	पुनर्वि०	(-)7,610.30		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 7,610.30 लाख की कमी ब्याज / लाभांश में हुई बचत के कारण की गई।

## 200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज

(5)	03 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
	मूल	5,000.00	5,000.00	1,800.05
				(-)3,199.95

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण एवं अन्य पर ब्याज			
	मूल	25,000.00		
			24,941.04	14,358.03
				(-)10,583.01
	पुनर्वि०	(-)58.96		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2024 को ₹ 14.97 लाख, दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को ₹ 22.07 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 21.92 लाख की कमी ब्याज / लाभांश में हुई बचत के कारण की गई।			
	305 ऋण का प्रबंधन			
(7)	03 ऋण प्रबंधन पर व्यय			
	मूल	1,600.00	1,600.00	1,326.63
				(-)273.37
	03 लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधि पर ब्याज			
(8)	03 भविष्य निधि			
	मूल	81,950.01	81,950.01	66,491.76
				(-)15,458.25
(9)	04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज			
	मूल	450.00	450.00	329.69
				(-)120.31
	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	101 जमाओं पर ब्याज			
(10)	03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी०एल०ए० में) अवशेष			
	मूल	7,500.00	7,500.00	6,154.19
				(-)1,345.81
	701 विविध			
(11)	03 मृत्यु और सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	50.00		
			29.25	29.25
				0.00

पुनर्वि० (-)20.75

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 20.75 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

**2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएँ**

00

092 अन्य कार्यालय

(12) 03 माननीय न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से संबंधित धनराशि

	मूल	400.00			
	पूरक	100.00	332.01	332.01	0.00
	पुनर्वि०	(-)167.99			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 167.99 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2049 ब्याज अदायगियां**

01 आंतरिक ऋण पर ब्याज

101 बाजार ऋण पर ब्याज

(1) 35 वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में प्राप्त बाजार ऋण

	मूल	35,000.00			
			19,116.60	0.00	(-)19,116.60
	पुनर्वि०	(-)15,883.40			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 9,688.00 लाख तथा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 6,195.40 लाख की कमी ब्याज / लाभांश में हुई बचत के कारण की गई।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज

(2)	12 आरईसी से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
	मूल	700.00	700.00	0.00
				(-)700.00

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

60 अन्य दायित्वों पर ब्याज

701 विविध

(3)	04 पेंशन/छुट्टी नकदीकरण के देर से अदायगी के कारण ब्याज आदि का भुगतान			
	मूल	5.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.00		

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(4)	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज			
	मूल	22.00	22.00	0.00
				(-)22.00

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**2049 ब्याज अदायगियां**

01 आंतरिक ऋण पर ब्याज

101 बाज़ार ऋण पर ब्याज

(1)	27 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुआ			
	मूल	40,795.90	40,795.90	44,009.20
				(+)3,213.30

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	28 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुआ			
	मूल	51,489.40	51,489.40	57,642.90
				(+)6,153.50
(3)	30 वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	37,067.00	37,067.00	42,137.00
				(+)5,070.00
	200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज			
(4)	13 नेशनल हाऊसिंग बैंक (यू०आई०डी०एफ०) से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
	मूल	0.00		
			58.96	58.96
				0.00
	पुनर्वि०	58.96		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 सितम्बर 2024 को ₹ 14.97 लाख, दिनांक 19 दिसम्बर 2024 को ₹ 22.07 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 21.92 लाख की वृद्धि ब्याज / लाभांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	03 लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज			
	108 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज			
(5)	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज			
	मूल	350.00		
			10,038.00	10,038.00
				0.00
	पुनर्वि०	9,688.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 9,688.00 लाख की वृद्धि ब्याज / लाभांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	05 रिज़र्व फण्ड पर ब्याज			
	105 सामान्य एवं अन्य रिज़र्व फण्ड पर ब्याज			
(6)	02 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष पर ब्याज (20496070107 से स्थानांतरित)			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

मूल	0.01			
		7,610.31	7,610.30	(-)0.01

पुनर्वि० 7,610.30

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 7,610.30 लाख की वृद्धि ब्याज / लाभांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(7) 03 कैम्पा निधि के ब्याज का अंतरण (20496070108 से स्थानांतरित)

मूल	15,000.00			
		21,195.40	21,195.40	0.00

पुनर्वि० 6,195.40

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 6,195.40 लाख की वृद्धि ब्याज / लाभांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**पूंजीगत:**

**दत्तमत-**

(xiv) ₹ 1,23,010.16 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,463.36 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(xv) ₹ 1,23,010.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 2,810.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(xvi) ₹ 108.27 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

(xvii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	29,655.47	9,030.27	20,625.20
2020-21	58,467.02	44,532.07	13,934.95
2021-22	1,14,093.98	51,675.58	62,418.40
2022-23	1,53,613.02	1,16,841.43	36,771.59
2023-24	2,45,594.23	2,24,177.87	21,416.36

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(xviii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

25 यू०आई०आई०डी०बी० द्वारा भारत सरकार से एस०ए०एस०सी०आई० के अंतर्गत आईकोनिक सिटी ऋषिकेश ऋषिकेश राफिटिंग बेस स्टेशन का क्रियान्वयन

मूल 0.00

6,600.00 6,600.00 0.00

पुनर्वि० 6,600.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 6,600.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(xix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 05 जनपदों में केंद्रीकृत रिकॉर्ड रूम

मूल 1,300.00

1,300.00 394.00 (-)906.00

800 अन्य व्यय

(2) 17 महत्वपूर्ण स्थापना कार्य

मूल 12,500.00

12,500.00 5,178.91 (-)7,321.09

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(3)	24 सार्वजनिक वन			
	मूल	1,000.00	1,000.00	16.21
				(-)983.79

**4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय**

01 सरकारी आवासीय भवन

700 अन्य आवास

(4)	02 सचिव/ अपर सचिव स्तर के आवासीय भवन का निर्माण			
	मूल	500.00		
			62.37	62.37
				0.00
	पुनर्वि०	(-)437.63		

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 437.63 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xx) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय**

01 कार्यालय भवनों

051 निर्माण

(1)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान			
	मूल	20.00		
			0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00		

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	80 सामान्य			
	051 निर्माण			
(2)	03 कारागार हेतु आवासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	300.00	300.00	0.00
				(-300.00)
	800 अन्य व्यय			
(3)	20 यू०आई०आई०डी०बी० द्वारा क्रियान्वित योजनाओ से प्राप्त धनराशियो से अवस्थापना सुविधाओ का विकास			
	मूल	10,000.00		
			3,400.00	0.00
				(-3,400.00)
	पुनर्वि०	(-6,600.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 6,600.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4)	21 जलवायु परिवर्तन शमन			
	मूल	5,500.00	5,500.00	0.00
				(-5,500.00)
(5)	23 विभिन्न विभागों के अधीन मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु			
	मूल	85,000.00		
			35,000.00	0.00
				(-35,000.00)
	पुनर्वि०	(-50,000.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 50,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।			
	<b>4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
(6)	03 स्क्रेप नीति के अंतर्गत वाहन क्रय			
	मूल	5,000.00	5,000.00	0.00
				(-5,000.00)
	<b>4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	02 शहरी आवास			
	800 अन्य व्यय			
(7)	17 रायपुर (देहरादून) में सचिवालय भवन (चरण-1) का निर्माण			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

	मूल	500.00		
			0.00	0.00

पुनर्वि० (-)500.00  
दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(8) 19 जनपद चमोली के भराडीसेण (गैरसेण) में मिनी सचिवालय का निर्माण

	मूल	500.00		
			0.00	0.00

पुनर्वि० (-)500.00  
दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण**

00

201 गृह निर्माण अग्रिम

(9) 03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/ मरम्मत के लिए अग्रिम का भुगतान

	मूल	0.00		
			100.00	0.00
				(-)100.00

पूरक 100.00  
वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**7615 विविध ऋण**

00

200 विविध ऋण

(10) 02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

	मूल	0.00		
		10.00	0.00	(-)10.00

पूरक 10.00

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(11) 03 विधायकों को आवास हेतु ऋण (76150020001 से स्थानांतरित)

	मूल	0.00		
		100.00	0.00	(-)100.00

पूरक 100.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**पूंजीगत:**

**भारित-**

(xxi) पूंजीगत भारित विनियोग के अंतर्गत ₹ 9,85,450.79 लाख (₹ 98,54,50,79,227) का व्ययाधिक्य है, जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है। उक्त व्ययाधिक्य राज्य सरकार की अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस) योजना के अंतर्गत हुआ है, जिसमे तरलता की अस्थायी कमी को दूर करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अल्पकालिक कोष प्राप्त किये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय से सम्बंधित व्यय अनुमोदित प्रावधान से अधिक दर्ज किया गया है।

(xxii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण**

00

110 भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम

(1) 03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान

	मूल	15,00,000.00	15,00,000.00	25,07,296.00	(+)10,07,296.00
--	-----	--------------	--------------	--------------	-----------------

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	111 केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ			
(2)	03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान			
	मूल	75,000.00	75,000.00	77,068.68
				(+)2,068.68
	<b>6004 केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम</b>			
	09 विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र / राज्य योजनाओं के लिए अन्य ऋण			
	101 ब्लॉक ऋण			
(3)	03 एकमुश्त उधार			
	मूल	1,000.00	1,000.00	2,151.01
				(+)1,151.01
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।			
	(xxiii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	<b>6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण</b>			
	00			
	105 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण			
(1)	03 नाबार्ड को ऋण वापसी			
	मूल	85,000.00	85,000.00	68,833.11
				(-)16,166.89
	<b>6004 केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम</b>			
	01 आयोजकेत्तर ऋण			
	800 अन्य ऋण			
(2)	03 पूर्वोत्तर उ0प्र0 के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी			
	मूल	110.00	110.00	42.26
				(-)67.74

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	-------------	------------------	--------------------------------------

02 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश योजना योजनाओं के लिए ऋण

101 ब्लॉक ऋण

(3) 03 एकमुश्त उधार

मूल	7,500.00	7,500.00	4,022.77	(-)3,477.23
-----	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xxiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण**

00

101 बाजार ऋण

(1) 04 गैर ब्याज बाजार ऋण का भुगतान

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण

(2) 04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान

मूल	5,000.00	5,000.00	0.00	(-)5,000.00
-----	----------	----------	------	-------------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

800 अन्य ऋण

(3) 03 अन्य ऋण

मूल	22.00	22.00	0.00	(-)22.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	-------------	------------------	--------------------------------------

**6004 केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम**

04 केंद्र पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण

800 अन्य ऋण

(4) 03 सहकारिता

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण**

00

201 गृह निर्माण अग्रिम

(5) 03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/ मरम्मत के लिए अग्रिम का भुगतान

मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
-----	--------	--------	------	-----------

(6) 04 राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण /मरम्मत के लिए अग्रिम का भुगतान

मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
-----	--------	--------	------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 08 आबकारी

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2039 राज्य उत्पाद प्रभार</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	43,19,18		
		45,49,18	(-)6,60,66
पूरक	2,30,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			6,60,59

## टिप्पणियां एवं टीकायें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- (i) ₹ 660.66 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 660.59 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 660.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 230.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	2,963.39	2,539.78	423.61
2020-21	3,305.07	2,757.91	547.16
2021-22	3,690.15	2,983.26	706.89
2022-23	3,842.00	3,248.21	593.79
2023-24	8,176.01	3,432.60	4,743.41

## अनुदान सं० 08 आबकारी समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2039 राज्य उत्पाद प्रभार

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 अधिष्ठान

मूल	969.17			
पूरक	210.00	855.19	855.19	0.00
पुनर्वि०	(-323.98)			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 323.98 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2051 लोक सेवा आयोग</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	14,14,01		
		14,14,01	13,04,81
			(-)1,09,20
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।			
<b>भारित-</b>			
मूल	73,66,00		
		73,66,00	52,30,43
			(-)21,35,57
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
<b>पूँजीगत:</b>			
<b>4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	8,00,00		
		8,00,00	2,37,07
			(-)5,62,93
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

## अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

## टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

(i) ₹ 109.20 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

राजस्व:

भारित-

(ii) ₹ 2,135.57 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	2,764.02	1,915.18	848.84
2020-21	3,271.43	1,737.00	1,534.43
2021-22	2,698.01	2,279.28	418.73
2022-23	4,813.51	3,989.21	824.30
2023-24	11,371.00	8,739.40	2,631.60

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल	7,366.00	7,366.00	5,230.43	(-)2,135.57
-----	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 562.93 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय**

60 अन्य इमारतें

051 निर्माण

(1)	02 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हेतु अनावासीय भवन निर्माण				
	मूल	300.00	300.00	187.00	(-)113.00
(2)	03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/ अनावासीय भवन निर्माण				
	मूल	500.00	500.00	50.07	(-)449.93

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2055 पुलिस			
2056 जेलें			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	26,94,43,91		
		28,08,37,89	(-)2,70,98,25
पूरक	1,13,93,98		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			2,54,01,55
<b>पूँजीगत:</b>			
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	1,02,11,00		
		1,55,11,01	(-)21,01
पूरक	53,00,01		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			21,00

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 25,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 25,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 27,098.25 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 25,401.55 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 27,098.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 11,393.98 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,97,056.34	1,82,088.34	14,968.00
2020-21	2,14,274.66	1,86,514.58	27,760.08
2021-22	2,25,431.64	2,02,804.67	22,626.97
2022-23	2,40,145.64	2,18,600.99	21,544.65
2023-24	2,53,175.44	2,34,738.03	18,437.41

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 06 जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान

मूल 263.60

177.02 177.02 0.00

पुनर्वि० (-)86.58

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 86.58 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## (2) 09 राज्य मानवाधिकार आयोग

मूल	485.00			
पूरक	29.70	433.61	433.61	0.00
पुनर्वि०	(-)81.09			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 81.09 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## (3) 13 अभियोजन अधिष्ठान

मूल	1,901.70			
		1,520.40	1,520.33	(-)0.07
पुनर्वि०	(-)381.30			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 381.30 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## (4) 14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो

मूल	291.41			
		208.27	208.27	0.00
पुनर्वि०	(-)83.14			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 83.14 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## 003 शिक्षा और प्रशिक्षण

## (5) 04 शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुख्य

मूल	2,103.00			
पूरक	5.71	1,802.31	1,802.31	0.00
पुनर्वि०	(-)306.40			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 6.00 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 300.40 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(6)	06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदृढीकरण			
	मूल	176.70		
			152.46	0.00
	पुनर्वि०	(-24.24)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 24.24 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	104 विशेष पुलिस			
(7)	03 राज्य शस्त्र कांस्टेबुलरी-मुख्य			
	मूल	31,359.00		
			26,669.00	0.00
	पुनर्वि०	(-4,690.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 1,816.00 लाख की कमी वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 2,874.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	05 एस०टी०एफ०			
	मूल	607.44		
	पूरक	11.98	551.89	0.00
	पुनर्वि०	(-67.53)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 67.53 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	108 राज्य मुख्यालय पुलिस			
(9)	07 संशोधित आईपीसी, सीआरपीसी एवं साक्ष्य अधिनियम हेतु प्रशिक्षण			
	मूल	2,100.00		
			580.59	0.00
	पुनर्वि०	(-1,519.41)		

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,519.41 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण				
(10)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	363.60		
	पूरक	7,321.00	584.60	162.50
	पुनर्वि०	(-),7,100.00		(-),422.10

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 7,100.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(11)	02 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण			
	मूल	200.00		
			93.36	93.36
	पुनर्वि०	(-),106.64		0.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 106.64 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

117 आंतरिक सुरक्षा				
(12)	04 ई०आर०एस०एस० अधिष्ठान			
	मूल	149.50		
			31.69	31.69
	पुनर्वि०	(-),117.81		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 1.50 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 116.31 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2055 पुलिस

00

113 पुलिस कर्मियों का कल्याण

(1) 10 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य के लिए पुलिस बल को सहायता/पुरस्कार

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2) 11 अर्ध सैनिक बल कल्याण परिषद

मूल	15.96	15.96	0.00	(-)15.96
-----	-------	-------	------	----------

115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण

(3) 95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	40.40			
-----	-------	--	--	--

पूरक	814.00	65.40	0.00	(-)65.40
------	--------	-------	------	----------

पुनर्वि०	(-)789.00			
----------	-----------	--	--	--

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 789.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

117 आंतरिक सुरक्षा

(4) 02 आंतरिक सुरक्षा आदि के लिए केन्द्रीय पुलिस बल आदि को भुगतान

मूल	670.00			
-----	--------	--	--	--

		458.31	0.00	(-)458.31
--	--	--------	------	-----------

पुनर्वि०	(-)211.69			
----------	-----------	--	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2024 को ₹ 81.00 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 130.69 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

## 2056 जेलें

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(5) 06 कारागार से मृतक बंदियों के विधिक आश्रितों को प्रतिकर

मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
-----	--------	--------	------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	0.02			
		3.79	3.79	0.00

पुनर्वि० 3.77

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 5.69 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1.92 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 04 अग्नि से संरक्षण एवं नियंत्रण अधिष्ठान

मूल	10,140.05			
पूरक	15.00	10,441.00	10,441.00	0.00
पुनर्वि०	285.95			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 891.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 605.05 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(3)	05 आपराधिक अन्वेषण			
	मूल	1,716.98		
			1,728.30	1,728.20
				(-)0.10
	पुनर्वि०	11.32		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 72.00 लाख की वृद्धि वेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 60.68 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	104 विशेष पुलिस			
(4)	04 इंडिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना			
	मूल	14,520.76		
			14,650.51	14,650.51
				0.00
	पुनर्वि०	129.75		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 775.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 645.25 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	108 राज्य मुख्यालय पुलिस			
(5)	02 निर्वाचन			
	मूल	2,000.00		
			2,099.86	2,099.86
				0.00
	पुनर्वि०	99.86		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 0.14 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	05 यूनिफार्म सिविल कोड			
	मूल	100.00		
	पूरक	101.24	214.71	214.71
	पुनर्वि०	13.47		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2024 को ₹ 81.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 67.53 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	109 जिला पुलिस			
(7)	04 रेडियो अधिष्ठान			
	मूल	5,988.01		
			6,438.47	6,438.47
	पुनर्वि०	450.46		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 830.45 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 379.99 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	113 पुलिस कर्मियों का कल्याण			
(8)	04 चिकित्सालय व्यय			
	मूल	359.19		
			361.46	361.46
	पुनर्वि०	2.27		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 39.50 लाख की वृद्धि वेतन तथा महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 37.23 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 21.01 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 21.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	5,372.65	3,606.51	1,766.14
2020-21	5,050.00	3,173.90	1,876.10
2021-22	5,250.00	4,850.58	399.42
2022-23	4,650.00	4,605.73	44.27
2023-24	9,615.00	9,607.83	7.17

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	--

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेलकूद और युवा सेवाएँ		
2205	कला तथा संस्कृति		

दत्तमत -

मूल	1,06,56,39,22		
		1,15,72,63,33	1,06,30,84,20
			(-)9,41,79,13
पूरक	9,16,24,11		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			65,60,23

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 8,28,88 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 19,87 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
------	---	--	--

दत्तमत -

मूल	5,88,42,16		
		6,75,93,40	5,42,34,23
			(-)1,33,59,17
पूरक	87,51,24		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			12,11

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 35,36,37 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 94,179.13 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 6,560.23 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 94,179.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 91,624.11 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) ₹ 15,923.35 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- (iv) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	8,37,976.63	7,40,291.24	97,685.39
2020-21	9,03,510.19	7,79,175.03	1,24,335.16
2021-22	9,11,104.87	8,15,496.10	95,608.77
2022-23	10,09,717.02	9,10,325.97	99,391.05
2023-24	10,14,833.97	9,51,412.91	63,421.06

- (v) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारंभिक शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 निदेशालय अधिष्ठान

मूल	693.72			
पूरक	7.50	698.03	531.01	(-)167.02
पुनर्वि०	(-)3.19			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 3.19 लाख की कमी लेखन सामग्री एवं छपाई तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण की गई।

101	राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(2)	08 ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूल			
	मूल	190.00	190.00	120.26
				(-69.74)
(3)	12 प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
	मूल	2,743.10		
			2,309.10	2,261.44
				(-47.66)
	पुनर्वि०	(-434.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 34.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख की कमी अनुरक्षण में हुई बचत के कारण की गई।			
(4)	13 कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था			
	मूल	2,500.00		
			2,233.31	2,149.69
				(-83.62)
	पुनर्वि०	(-266.69)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 266.69 लाख की कमी सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण की गई।			
102	गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(5)	18 शिक्षामित्रों को मानदेय का भुगतान			
	मूल	1,164.00		
			1,070.95	957.09
				(-113.86)
	पुनर्वि०	(-93.05)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 93.05 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गई।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	104 निरीक्षण			
(6)	05 विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना			
	मूल	4,690.05	4,690.05	3,865.16
				(-)824.89
	02 माध्यमिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(7)	03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान			
	मूल	1,089.07		
	पूरक	20.00	1,130.67	844.56
	पुनर्वि०	21.60		(-)286.11
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 17.90 लाख तथा दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 3.70 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, प्रशिक्षण व्यय, कार्यालय व्यय तथा अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	06 अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय			
	मूल	141.60	141.60	119.89
				(-)21.71
(9)	16 राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, 2020			
	मूल	33.50		
			35.50	20.04
				(-)15.46
	पूरक	2.00		
(10)	17 आई०सी०टी०			
	मूल	0.00		
			500.00	257.59
				(-)242.41
	पूरक	500.00		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	18 विद्या समीक्षा केंद्र				
	मूल	0.00			
			500.00	113.34	(-386.66)
	पूरक	500.00			
	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण				
(12)	03 सीमेट की स्थापना				
	मूल	197.70			
			207.70	186.79	(-20.91)
	पूरक	10.00			
(13)	05 एस.सी.ई.आर.टी. की स्थापना				
	मूल	1,439.09			
			1,600.09	1,247.46	(-352.63)
	पूरक	161.00			
	101 निरीक्षण				
(14)	04 विकास खंड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना				
	मूल	5,659.71	5,659.71	4,858.20	(-801.51)
	105 शिक्षक प्रशिक्षण				
(15)	02 प्रशिक्षण के लिए डीईआईटी का सशक्तिकरण				
	मूल	65.50	65.50	41.22	(-24.28)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	106 पाठ्य पुस्तक			
(16)	02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तक			
	मूल	3,000.00		
			4,500.00	3,554.13
				(-)945.87
	पूरक	1,500.00		
	108 परीक्षा			
(17)	04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान			
	मूल	1,265.48		
	पूरक	2.45	1,280.91	1,075.06
				(-)205.85
	पुनर्वि०	12.98		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 12.98 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय तथा उपयोगिता बिलों का भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(18)	03 बालक एवं बालिका विद्यालय			
	मूल	3,68,212.50		
	पूरक	1,073.00	3,67,991.55	3,29,823.23
				(-)38,168.32
	पुनर्वि०	(-)1,293.95		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 12.98 लाख, दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 538.86 लाख, दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 17.90 लाख, दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 3.70 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 88.35 लाख, दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 325.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 307.16 लाख की कमी पारिश्रमिक तथा अनुमन्यता संबंधी व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
(19)	07 राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	3,509.20		
	पूरक	301.00	3,898.55	2,931.93
				(-)966.62
	पुनर्वि०	88.35		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(20)	15 राजीव गांधी अभिनव विद्यालयों की स्थापना				
	मूल	76.40	76.40	56.62	(-)19.78
(21)	16 विजीटिंग शिक्षकों का मानदेय				
	मूल	12,000.00	12,000.00	10,776.22	(-)1,223.78
(22)	17 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना (माध्यमिक)				
	मूल	145.00	145.00	102.95	(-)42.05
(23)	20 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार				
	मूल	25.00	25.00	17.36	(-)7.64
(24)	21 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना				
	मूल	1,500.00	1,500.00	1,345.83	(-)154.17
(25)	27 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना				
	मूल	810.40			
			836.85	463.96	(-)372.89
	पूरक	26.45			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	113 समग्र शिक्षा				
(26)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	35,160.00			
			1,00,480.00	88,122.98	(-)12,357.02
	पूरक	65,320.00			
	800 अन्य व्यय				
(27)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,705.00			
			5,116.00	2,597.50	(-)2,518.50
	पूरक	3,411.00			
(28)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	189.44			
			568.44	288.61	(-)279.83
	पूरक	379.00			
	03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(29)	03 उच्च शिक्षा निदेशालय				
	मूल	804.51			
			716.69	716.69	0.00
	पुनर्वि०	(-)87.82			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2025 को ₹ 6.00 लाख की वृद्धि गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 25.00 लाख की कमी कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 68.82 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
(30)	12 शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोडा			
	मूल	4,500.00		
			4,261.95	4,010.65
				(-)251.30
	पुनर्वि०	(-)238.05		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को ₹ 188.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 50.05 लाख की कमी वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई।			
	103 राजकीय कॉलेज और संस्थान			
(31)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	900.00	900.00	97.35
				(-)802.65
(32)	03 राजकीय उपाधि महाविद्यालय			
	मूल	43,204.41		
	पूरक	99.84	37,680.62	37,680.62
				0.00
	पुनर्वि०	(-)5,623.63		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2025 को ₹ 41.35 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 24.00 लाख की कमी यात्रा व्यय तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 5,558.28 लाख के अभ्यर्षण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(33)	12 एन०डी०ए० एवं आई०एम०ए० में चयनित छात्र / छात्राओं को पुरस्कार			
	मूल	75.00		
	पूरक	50.00	99.50	99.50
				0.00
	पुनर्वि०	(-)25.50		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 25.50 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(34)	20 राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना			
	मूल	50.00		
			27.95	0.00
	पुनर्वि०	(-)22.05		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 22.05 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
(35)	27 नैक ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन			
	मूल	314.00		
			60.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)254.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 254.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
(36)	28 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना			
	मूल	10.00		
			2.86	0.00
	पुनर्वि०	(-)7.14		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 7.14 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	05 भाषा विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(37)	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	106.02	106.02	(-)21.08

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का सम्वर्धन				
(38)	04 उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिष्ठान				
	मूल	200.00			
			400.00	175.00	(-)225.00
	पूरक	200.00			
	103 संस्कृत शिक्षा				
(39)	03 सरकारी संस्कृत विद्यालय				
	मूल	113.15	113.15	93.27	(-)19.88
(40)	06 जिला स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण				
	मूल	204.12	204.12	172.52	(-)31.60
(41)	08 उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन				
	मूल	107.63			
			114.63	86.43	(-)28.20
	पूरक	7.00			
	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(42)	03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान				
	मूल	196.34			
			200.59	111.11	(-)89.48
	पुनर्वि०	4.25			

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 नवंबर 2024 को ₹ 4.25 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण व्यय, लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण तथा आतिथ्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(43)	04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल			
	मूल	3,487.70		
			3,466.28	3,071.64
				(-)394.64
	पुनर्वि०	(-)21.42		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 नवंबर 2024 को ₹ 21.42 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			

## 003 प्रशिक्षण

(44)	02 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (2202800030191 से स्थानांतरित)			
	मूल	155.51		
			155.76	117.75
				(-)38.01
	पूरक	0.25		
(45)	03 सरकारी प्रशिक्षण संस्थान (प्राथमिक) (पुरुष)			
	मूल	147.78	147.78	99.13
				(-)48.65

## 2203 तकनीकी शिक्षा

00

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

(46)	02 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद			
	मूल	242.78	242.78	177.52
				(-)65.26

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(47)	03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय			
	मूल	556.45	556.45	421.21
				(-)135.24
(48)	04 संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ			
	मूल	221.82		
			241.82	197.87
				(-)43.95
	पूरक	20.00		
	105 बहुशिल्प			
(49)	03 सामान्य बहुशिल्प			
	मूल	16,084.22		
			17,284.22	15,492.90
				(-)1,791.32
	पूरक	1,200.00		
	112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान			
(50)	04 इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा			
	मूल	1,900.00		
			1,800.00	1,300.00
				(-)500.00
	पुनर्वि०	(-)100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गई।			

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2204 खेलकूद और युवा सेवाएँ</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(51)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	58.90	58.90	31.03
				(-27.87)
(52)	03 खेलकूद निदेशालय			
	मूल	1,386.57		
	पूरक	20.02	1,417.84	1,228.81
				(-189.03)
	पुनर्वि०	11.25		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2024 को ₹ 11.25 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(53)	05 उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद			
	मूल	76.02	76.02	65.52
				(-10.50)
(54)	10 निर्वाचन, चारधाम, कुम्भ मेला व आपदा आदि हेतु पी0आर0डी0 स्वयं सेवको की बजट व्यवस्था			
	मूल	3,400.00		
			3,101.21	2,987.99
				(-113.22)
	पुनर्वि०	(-298.79)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 196.82 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 101.97 लाख की कमी मजदूरी तथा यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(55)	18 युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल महाकुम्भ का आयोजन			
	मूल	2,700.00		
			2,519.53	(-)105.67
	पुनर्वि०	(-)180.47		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 180.47 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
(56)	19 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण			
	मूल	150.00		
			115.85	(-)1.84
	पुनर्वि०	(-)34.15		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 34.15 लाख की कमी प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
(57)	20 पी०आर०डी० स्वयंसेवकों को अर्धसैनिक प्रशिक्षण			
	मूल	50.00		
	पूरक	150.00	50.00	(-)0.44
	पुनर्वि०	(-)150.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 150.00 लाख की कमी प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
	104 खेलकूद और क्रीड़ा			
(58)	12 प्रदेशीय क्रीड़ा संघो, क्लबो एवं अन्य क्रीड़ा संघो आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान			
	मूल	50.00	50.00	(-)35.50
(59)	14 प्रतियोगिताओं का आयोजन			
	मूल	30.00	30.00	(-)18.16

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(60)	15 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन				
	मूल	488.00			
			988.00	718.33	(-)269.67
	पूरक	500.00			
(61)	21 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट मे पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता				
	मूल	800.00	800.00	700.00	(-)100.00
(62)	30 पं. नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र				
	मूल	66.32	66.32	49.42	(-)16.90
(63)	32 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज				
	मूल	213.00			
			263.00	231.23	(-)31.77
	पूरक	50.00			
<b>2205 कला तथा संस्कृति</b>					
00					
101 ललित कला शिक्षा					
(64)	03 भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय				
	मूल	315.64			
			317.59	256.53	(-)61.06
	पूरक	1.95			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्धन			
(65)	04 स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान			
	मूल	13.86	13.86	4.01
				(-)9.85
(66)	06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना			
	मूल	20.00	20.00	7.85
				(-)12.15
(67)	09 वृद्ध कलाकारों एवं लेखकों को मासिक पेंशन			
	मूल	65.00		
			52.03	45.15
				(-)6.88
	पुनर्वि०	(-)12.97		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 12.97 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।			
(68)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन			
	मूल	28.00	28.00	17.28
				(-)10.72
(69)	41 प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों व देवालयों तथा धार्मिक स्थलों, तीर्थों का रख-रखाव व जीर्णोद्धार			
	मूल	20.00	20.00	14.07
				(-)5.93
	103 पुरातत्त्व विज्ञान			
(70)	02 पुरावशेष और मूल्यवान कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन			
	मूल	14.77	14.77	6.84
				(-)7.93

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	104 अभिलेखागार				
(71)	03 राज्य अभिलेख				
	मूल	175.94			
			176.94	154.54	(-)22.40
	पूरक	1.00			
	105 सार्वजनिक पुस्तकालय				
(72)	03 केंद्रीय राज्य पुस्तकालय				
	मूल	290.38	290.38	188.06	(-)102.32
	107 संग्रहालय				
(73)	03 अधिष्ठान व्यय				
	मूल	161.83	161.83	122.95	(-)38.88
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।				

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2202 सामान्य शिक्षा***01 प्रारंभिक शिक्षा*

	112 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम पोषण)				
(1)	03 मध्याह्न भोजन योजना का सुदृढीकरण				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
(2)	04 बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए मोटे अनाज का प्रावधान				
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	05 भोजन माताओं हेतु कल्याण कोष			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा			
	103 राजकीय कॉलेज और संस्थान			
(4)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	105 संकाय विकास कार्यक्रम			
(5)	04 प्रदेश मे अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानो के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति			
	मूल	15.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)15.00		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 15.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	107 छात्रवृत्तियां			
(6)	08 मुख्यमंत्री शेवेनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियां			
	मूल	200.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)200.00		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2203 तकनीकी शिक्षा</b>			
	00			
	105 बहुशिल्प			
(7)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	300.00	300.00	0.00
				(-)300.00
	112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान			
(8)	11 मेधावी वाणिज्यिक एवं तकनीकी संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कार			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
	<b>2204 खेलकूद और युवा सेवाएँ</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(9)	06 युवा छात्रावासों का विकास			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-)10.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(10)	09 युवा दलो को आर्थिक सहायता			
	मूल	35.00	35.00	0.00
				(-)35.00
(11)	22 मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वालंबन योजना			
	मूल	500.00		
			466.71	0.00
				(-)466.71
	पुनर्वि०	(-)33.29		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 33.29 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।

104 खेलकूद और क्रीड़ा

(12)	03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों एवं पहलवानों को वित्तीय सहायता			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				(-)20.00

(13)	07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार			
	मूल	30.00	30.00	0.00
				(-)30.00

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(14)	11 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00

(15)	36 निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी की स्थापना			
	मूल	50.00		
			38.75	0.00
				(-)38.75

पुनर्वि० (-)11.25

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2024 को ₹ 11.25 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

2205 कला तथा संस्कृति

00

102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्धन

(16)	34 धार्मिक यात्राओ हेतु प्रदेश के स्थानीय निवासियों को आर्थिक सहायता			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-)10.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(17) 43 राज्योत्सव (राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन)

मूल	5.00			
		0.66	0.00	(-)0.66

पुनर्वि० (-)4.34

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 4.34 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 2202 सामान्य शिक्षा

### 01 प्रारंभिक शिक्षा

102 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(1) 07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और केजी/नर्सरी स्कूलों को सहायता

मूल	12,500.00			
पूरक	600.00	14,063.69	13,981.65	(-)82.04
पुनर्वि०	963.69			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 963.69 लाख की वृद्धि वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2) 20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

मूल	900.00			
पूरक	2,400.00	3,566.69	3,529.20	(-)37.49
पुनर्वि०	266.69			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 266.69 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

106 शिक्षक एवं अन्य सेवाएँ

(3)	02 शिक्षा पोर्टल			
	मूल	4.80		
	पूरक	6.00	13.99	13.98
	पुनर्वि०	3.19		(-)0.01

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 3.19 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों का भुगतान, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

02 माध्यमिक शिक्षा

107 छात्रवृत्ति

(4)	20 समस्त छात्रवृत्तियां (2202021070013, 15, 16, 17, 18 एवं 19 से स्थानांतरित)			
	मूल	1,242.00		
			1,579.64	1,521.99
	पुनर्वि०	337.64		(-)57.65

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 337.64 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(5)	19 ब्लॉक/जिला/राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी			
	मूल	100.00		
			196.22	162.24
	पुनर्वि०	96.22		(-)33.98

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 96.22 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा			
	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
(6)	05 दून विश्वविद्यालय			
	मूल	2,050.00		
			2,288.05	2,288.05
	पुनर्वि०	238.05		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 फरवरी 2025 को ₹ 188.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 50.05 लाख की वृद्धि वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान तथा पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	107 छात्रवृत्तियां			
(7)	07 शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति			
	मूल	1,000.00		
	पूरक	100.00	1,107.01	1,107.01
	पुनर्वि०	7.01		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2025 को ₹ 35.35 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 28.34 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8)	05 एयर स्क्वाड्रन एन०सी०सी० की स्थापना			
	मूल	93.60		
			110.77	103.61
	पुनर्वि०	17.17		(-7.16)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 नवंबर 2024 को ₹ 17.17 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, मानदेय, पारिश्रमिक, लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व, उपयोगिता बिलों का भुगतान, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

2204 खेलकूद और युवा सेवाएँ

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(9) 25 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं विभिन्न दिवसों का आयोजन

मूल 60.00

93.29 93.19 (-)0.10

पुनर्वि० 33.29

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 33.29 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

104 खेलकूद और क्रीड़ा

(10) 31 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन

मूल 25,000.00

26,250.68 26,250.68 0.00

पुनर्वि० 1,250.68

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,250.68 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(11) 35 मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना

मूल 200.00

पूरक 24.32

550.82 550.25 (-)0.57

पुनर्वि० 326.50

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 346.82 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 20.32 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।

**2205 कला तथा संस्कृति**

00

102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्धन

(12) 51 प्रेक्षा गृहों का संचालन

मूल	2.01			
पूरक	2.00	6.01	5.70	(-0.31)
पुनर्वि०	2.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(viii) ₹ 13,359.17 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 12.11 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(ix) ₹ 13,359.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 8,751.24 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	44,723.43	25,791.14	18,932.29
2020-21	42,421.28	35,253.08	7,168.20
2021-22	58,778.64	30,714.75	28,063.89
2022-23	52,249.67	41,490.71	10,758.96
2023-24	69,253.35	45,905.41	23,347.94

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	17,500.00		
			19,494.00	14,643.07
				(-4,850.93)
	पूरक	1,994.00		
(2)	11 राजकीय हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेजो के भवन हीन/ जीर्णशीर्ण भवन/ अवस्थापना सुविधाओ का निर्माण			
	मूल	2,000.00	2,000.00	1,478.36
				(-521.64)
(3)	18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	26.48
				(-23.52)
(4)	30 मॉडल स्कूलो में भवन निर्माण			
	मूल	300.00	300.00	207.43
				(-92.57)
(5)	37 माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय			
	मूल	4,000.00	4,000.00	1,734.36
				(-2,265.64)
(6)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	2,000.00	2,000.00	1,627.01
				(-372.99)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	98 नाबार्ड पोषित				
	मूल	6,500.00	6,500.00	4,189.27	(-),310.73
	203 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा				
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	2,500.00	2,500.00	758.85	(-),741.15
(9)	16 संस्कृत विश्वविद्यालय				
	मूल	200.00	200.00	109.98	(-),90.02
	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ				
	102 खेलकूद स्टेडिआ				
(10)	06 सिविल सेवा संस्थान की स्थापना				
	मूल	0.01			
			57.50	36.57	(-),20.93
	पूरक	57.49			
(11)	10 युवा कल्याण निदेशालय के आवासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य)				
	मूल	0.00			
			15.00	8.69	(-),6.31
	पूरक	15.00			
(12)	21 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य				
	मूल	10.00	10.00	4.61	(-),5.39

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	800 अन्य व्यय			
(13)	03 साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण			
	मूल	25.00		
			53.16	37.17
				(-15.99)
	पूरक	28.16		

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

## 01 सामान्य शिक्षा

## 203 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(1)	17 मुक्त विश्वविद्यालय			
	मूल	400.00		
			0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	(-400.00)		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 जून 2024 को ₹ 400.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण की गई।

(2)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	250.00	250.00	0.00
				(-250.00)

## 205 भाषा विकास

(3)	04 भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	0.00
				(-200.00)

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	600 सामान्य			
(4)	02 एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
(5)	03 एन०सी०सी० कार्यालय भवन निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ			
	102 खेलकूद स्टेडिआ			
(6)	08 खेल निदेशालय की स्थापना			
	मूल	200.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)200.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2024 को ₹ 100.00 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(7)	24 पं. नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				(-)20.00
(8)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	200.00	200.00	0.00
				(-)200.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

04 कला और संस्कृति

106 संग्रहालय

(9)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(10)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				(-)20.00
	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

203 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(1)	15 दून विश्वविद्यालय			
	मूल	0.01		
	पूरक	250.00	650.01	650.01
				0.00
	पुनर्वि०	400.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 जून 2024 को ₹ 400.00 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ			
	102 खेलकूद स्टेडिआ			
(2)	04 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नया कार्य)			
	मूल	800.00		
			900.00	0.00
	पुनर्वि०	100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2024 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	16 इनडोर हॉल और मिनी स्टेडियम का निर्माण			
	मूल	500.00		
			628.66	0.00
	पुनर्वि०	128.66		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 128.66 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	26 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन			
	मूल	1,000.00		
	पूरक	1,000.00	2,100.00	0.00
	पुनर्वि०	100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	39,86,45,98		
		43,38,43,94	36,78,18,47
			(-)6,60,25,47
पूरक	3,51,97,96		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			1,23,79,37
<p>अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 2,60,18 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।</p>			
<b>पूँजीगत:</b>			
4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	1,45,49,23		
		2,06,14,23	1,60,65,58
			(-)45,48,65
पूरक	60,65,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			2,97,82
<p>अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 9,20,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।</p>			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

(i) ₹ 66,025.47 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 12,379.37 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 66,025.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 35,197.96 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	2,30,224.31	1,78,243.01	51,981.30
2020-21	2,38,341.58	2,09,904.32	28,437.26
2021-22	3,19,846.44	2,47,475.50	72,370.94
2022-23	4,03,193.40	3,48,809.45	54,383.95
2023-24	4,36,705.91	3,50,644.65	86,061.26

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी

110 अस्पताल एवं औषधालय

(1) 05 क्षय रोग चिकित्सालयों का अधिष्ठान

मूल	3,312.63			
पूरक	5.99	2,963.50	2,963.50	0.00
पुनर्वि०	(-)355.12			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 355.12 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	153.27		
	पूरक	25.00	141.33	0.00
	पुनर्वि०	(-)36.94		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 36.94 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	14 विधानसभा में रा0एलो0 औषधालय की स्थापना			
	मूल	131.40		
			95.74	0.00
	पुनर्वि०	(-)35.66		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 35.66 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	20 महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	143.41		
			123.05	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.36		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 20.36 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	23 गांधी सेंचुरी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना			
	मूल	176.51		
			42.73	0.00
	पुनर्वि०	(-)133.78		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2025 को ₹ 33.75 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों का भुगतान तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 167.53 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	24 उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अधिष्ठान			
	मूल	458.51		
			260.18	0.00
	पुनर्वि०	(-)198.33		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 198.33 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(7)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	10,574.01		
	पूरक	1,057.00	8,030.01	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)3,601.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2024 को ₹ 500.00 लाख, दिनांक 07 फरवरी 2025 को ₹ 500.00 लाख, दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख, दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख, दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 1,100.00 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 92.78 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 508.22 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ			
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	173.53		
			141.09	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)32.44		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 32.44 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(9)	05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण			
	मूल	64.00		
			11.32	0.00
	पुनर्वि०	(-)52.68		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 52.68 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ			
	101 आयुर्वेद			
(10)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	8,000.00	8,000.00	3,519.25
				(-4,480.75)
(11)	03 निदेशन एवं प्रशासन			
	मूल	2,142.10		
			2,897.10	2,229.73
				(-667.37)
	पूरक	755.00		
	102 होम्योपैथी			
(12)	04 अस्पताल एवं औषधालय			
	मूल	1,417.24		
			1,443.65	1,188.22
				(-255.43)
	पुनर्वि०	26.41		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 26.41 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी			
	101 स्वास्थ्य उपकेंद्र			
(13)	03 दूरस्थ क्षेत्रों के उपकेन्द्रों में फार्मासिस्टों का अधिष्ठान			
	मूल	6,939.77		
			5,696.55	5,696.55
				0.00
	पुनर्वि०	(-1,243.22)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,243.22 लाख के अभ्यर्षण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	110 अस्पताल एवं औषधालय				
(14)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	72,500.00			
			76,595.00	50,672.00	(-)25,923.00
	पूरक	4,095.00			
	800 अन्य व्यय				
(15)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	155.17			
	पूरक	36.40	142.51	142.46	(-)0.05
	पुनर्वि०	(-)49.06			
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 49.06 लाख के अभ्यर्षण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ				
	102 होम्योपैथी				
(16)	03 अस्पताल एवं औषधालय				
	मूल	3,115.31			
			3,063.10	2,526.38	(-)536.72
	पुनर्वि०	(-)52.21			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 52.21 लाख की कमी यात्रा व्यय तथा पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गई।				

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

## 05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

## 105 एलोपैथी

## (17) 04 मेडिकल कॉलेज

मूल	57,009.46			
पूरक	4,740.51	57,994.47	49,277.43	(-)8,717.04
पुनर्वि०	(-)3,755.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 3,600.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 155.50 लाख की कमी पारिश्रमिक तथा मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र में हुई बचत के कारण की गई।

## (18) 05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा

मूल	3,291.84			
पूरक	177.88	3,625.22	2,629.86	(-)995.36
पुनर्वि०	155.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 155.50 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, उपयोगिता बिलों का भुगतान, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद तथा अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## (19) 09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय

मूल	358.85			
पूरक	70.00	4,028.85	316.07	(-)3,712.78
पुनर्वि०	3,600.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 3,600.00 लाख की वृद्धि मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

06 लोक स्वास्थ्य

003 प्रशिक्षण

(20) 03 संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठान

मूल	415.41			
पूरक	65.01	427.26	427.26	0.00
पुनर्वि०	(-)53.16			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 58.16 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

101 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण

(21) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	97.26			
		2,347.26	83.04	(-)2,264.22
पूरक	2,250.00			

(22) 05 मातृत्व एवं बाल कल्याण का अधिष्ठान

मूल	5,875.01			
		3,821.38	3,821.38	0.00
पुनर्वि०	(-)2,053.63			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2024 को ₹ 500.00 लाख तथा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 45.00 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,508.63 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(23)	06 कुष्ठ चिकित्सालयों का अधिष्ठान			
	मूल	1,025.76		
			837.52	0.00
	पुनर्वि०	(-188.24)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 1.38 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 189.62 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(24)	08 राज्य एड्स एवं रक्त संचरण परिषद हेतु (राज्यांश)			
	मूल	100.00		
			60.00	0.00
	पुनर्वि०	(-40.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2025 को ₹ 33.75 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 6.25 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(25)	10 दैवीय आपदाओं से बचाव एवं प्रचार प्रसार (महामारियों)			
	मूल	20.00		
	पूरक	300.00	149.96	0.00
	पुनर्वि०	(-170.04)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 170.04 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(26)	12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना / अधिष्ठान			
	मूल	150.50		
	पूरक	18.62	115.81	0.00
	पुनर्वि०	(-53.31)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 53.31 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(27)	14 राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना			
	मूल	800.00		
			506.57	0.00
	पुनर्वि०	(-293.43)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 293.43 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

102 खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम

(28)	04 उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिष्ठान			
	मूल	1,321.01		
	पूरक	30.00	1,215.71	0.00
	पुनर्वि०	(-135.30)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 135.30 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

**2211 परिवार कल्याण**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(29)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,636.73		
			1,639.73	(-1,030.58)
	पुनर्वि०	3.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2025 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

## अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## 003 प्रशिक्षण

(30)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	355.84		
			294.57	294.57
	पुनर्वि०	(-)61.27		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को ₹ 1.90 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 63.17 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## 101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ

(31)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16,114.01		
	पूरक	5.00	11,308.09	11,308.09
	पुनर्वि०	(-)4,810.92		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2025 को ₹ 3.00 लाख तथा दिनांक 25 फरवरी 2025 को ₹ 1.90 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 4,806.02 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## 102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ

(32)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	505.01		
			276.63	276.63
	पुनर्वि०	(-)228.38		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 228.38 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**

06 लोक स्वास्थ्य

101 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण

(1)	13 दुर्लभ बिमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	0.00		
	पूरक	250.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)250.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2025 को ₹ 250.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

800 अन्य व्यय

(3)	17 जनपदों में महिला लिंगानुपात बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि			
	मूल	5.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.00		

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी

110 अस्पताल एवं औषधालय

(1) 03 एलोपैथी चिकित्सालयो एवं औषधालयो का अधिष्ठान

मूल	40,611.73			
पूरक	2,054.55	43,104.31	43,104.31	0.00
पुनर्वि०	438.03			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2024 को ₹ 500.00 लाख तथा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक तथा मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 111.97 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 25 अस्पतालों में बायोमेडिकल अपशिष्ट का निस्तारण

मूल	250.00			
		323.93	323.93	0.00
पुनर्वि०	73.93			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 77.78 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 3.85 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ

(3) 03 राज्य में अंधेपन की रोकथाम (राज्य पोषित)

मूल	526.01			
		906.63	906.63	0.00
पुनर्वि०	380.62			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2024 को ₹ 500.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 119.38 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(4)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना			
	मूल	413.46		
			441.73	0.00

पुनर्वि० 28.27

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 45.00 लाख की वृद्धि वेतन तथा महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 16.73 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ

102 होम्योपैथी

(5)	03 निदेशन तथा प्रशासन			
	मूल	271.71		
	पूरक	12.00	309.51	(-)23.74
	पुनर्वि०	25.80		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 25.80 लाख की वृद्धि विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय तथा कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी

104 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

(6)	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान			
	मूल	18,464.43		
	पूरक	750.00	19,443.19	0.00
	पुनर्वि०	228.76		

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2025 को ₹ 200.00 लाख तथा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 171.24 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

110 अस्पताल एवं औषधालय

(7) 95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	7,950.02			
पूरक	614.00	9,914.02	8,958.71	(-)955.31
पुनर्वि०	1,350.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 1,350.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(vii) ₹ 4,548.65 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 297.82 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	18,821.65	9,759.50	9,062.15
2020-21	30,543.42	17,294.21	13,249.21
2021-22	48,064.24	31,319.47	16,744.77
2022-23	39,507.42	29,837.44	9,669.98
2023-24	67,560.37	66,315.72	1,244.65

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय**

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ

110 अस्पताल एवं औषधालय

(1) 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था

मूल 700.00

पूरक 200.00 746.42 746.42 0.00

पुनर्वि० (-)153.58

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 153.58 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ

103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(2) 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (अनावासीय)

मूल 500.00

355.81 355.81 0.00

पुनर्वि० (-)144.19

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 144.19 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान

105 एलोपैथी

(3) 10 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (अनावासीय)

मूल 1,000.00

3,500.00 271.18 (-)3,228.82

पूरक 2,500.00

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(4)	13 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (चंपावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी) (अनावासीय)			
	मूल	500.00		
			1,000.00	171.38
				(-)828.62
	पूरक	500.00		

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय**

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान

105 एलोपैथी

(1)	11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना (अनावासीय)			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	12 अल्मोडा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना (अनावासीय)			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-)10.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	14 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का भवन निर्माण (अनावासीय)			
	मूल	11.18	11.18	0.00
				(-)11.18

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय**

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ

110 अस्पताल एवं औषधालय

(1) 04 ब्लड बैंक, आई सी यु इत्यादि का निर्माण कार्य

मूल 50.00

101.40 101.40 0.00

पुनर्वि० 51.40

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 51.40 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ

103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(2) 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु भूमि क्रय

मूल 0.01

5.60 5.60 0.00

पुनर्वि० 5.59

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 को ₹ 5.59 लाख की वृद्धि भूमि क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता			
2216 आवास			
2217 शहरी विकास			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	12,06,73,93		
		13,47,71,93	10,32,06,35 (-)3,15,65,58
पूरक	1,40,98,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 4,95,97 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।			
<b>पूँजीगत:</b>			
4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय			
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
6216 आवास के लिए ऋण			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	13,58,60,10		
		17,89,01,10	15,11,60,20 (-)2,77,40,90
पूरक	4,30,41,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 31,565.58 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 31,565.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 14,098.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	68,149.01	52,075.06	16,073.95
2020-21	1,74,320.61	1,01,260.98	73,059.63
2021-22	92,416.47	56,811.33	35,605.14
2022-23	98,304.93	88,808.89	9,496.04
2023-24	1,38,411.88	1,18,896.08	19,515.80

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

01 जलापूर्ति

052 मशीनरी और उपकरण

- (1) 03 पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष पम्पों का अधिष्ठान
- |     |        |        |        |          |
|-----|--------|--------|--------|----------|
| मूल | 220.00 | 220.00 | 187.14 | (-)32.86 |
|-----|--------|--------|--------|----------|
- 101 शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम
- (2) 95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश
- |     |        |        |       |          |
|-----|--------|--------|-------|----------|
| मूल | 100.00 | 100.00 | 86.63 | (-)13.37 |
|-----|--------|--------|-------|----------|

## अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	500.00	500.00	170.00
				(-330.00)
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम			
(4)	04 जल स्रोतों का रखरखाव और पुनर्जीवन			
	मूल	100.00	100.00	33.00
				(-67.00)
(5)	07 केन्द्र पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान			
	मूल	20,000.00		
			7,560.54	7,560.54
				0.00
	पुनर्वि०	(-12,439.46)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 936.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 11,503.46 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।			
	02 जल-मल निकासी एवं स्वच्छता			
	105 स्वच्छता सेवाएँ			
(6)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	108.82	108.82	10.76
				(-98.06)
(7)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	12.09	12.09	0.54
				(-11.55)

## अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2216 आवास</b>			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8)	02 उत्तराखंड भूसंपदा अपीलीय अधिकरण			
	मूल	207.56	207.56	171.52
				(-36.04)
	<b>2217 शहरी विकास</b>			
	03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(9)	06 नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिष्ठान			
	मूल	720.80	720.80	521.21
				(-199.59)
	051 निर्माण			
(10)	03 डी०पी०आर० निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	175.79
				(-24.21)
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार मंडलों आदि को सहायता।			
(11)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16,003.00		
			9,065.92	5,611.80
				(-3,454.12)
	पुनर्वि०	(-6,937.08)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 6,937.08 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			

## अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(12)	03 नगरो का समेकित विकास				
	मूल	2,070.00			
	पूरक	100.00	2,167.50	1,419.72	(-747.78)
	पुनर्वि०	(-)2.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2024 को ₹ 2.50 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।				
(13)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	2,709.50	2,709.50	924.97	(-1,784.53)
(14)	97 बाह्य सहायतित योजना				
	मूल	5,475.00	5,475.00	3,669.50	(-1,805.50)
	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(15)	03 नगर पंचायतों का चुनाव				
	मूल	2,083.70			
			2,755.70	2,190.82	(-564.88)
	पूरक	672.00			
(16)	04 उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग				
	मूल	89.59	89.59	27.88	(-61.71)
(17)	05 शहरी भूमि सीमा रोपण				
	मूल	19.88	19.88	7.73	(-12.15)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(18)	06 उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद			
	मूल	143.50	143.50	89.16
				(-54.34)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता**

01 जलापूर्ति

102 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

(1)	09 रीवर बैंक फिल्टरेशन तकनीक पर विभिन्न निष्क्रिय स्रोतों के तीर्णोद्धार हेतु अनुदान			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)
(2)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	300.00	300.00	0.00
				(-300.00)
(3)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00
				(-1,000.00)
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता			
(4)	07 के०एफ०डब्ल्यू० परियोजना का संचालन राज्य द्वारा वहन किया जाता है			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-100.00)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

**2216 आवास**

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

(5)	04 यूनिटी मोल / प्लाजा निर्माण			
	मूल	260.00	260.00	0.00

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(6)	05 ग्रीन फील्ड / ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**2217 शहरी विकास**

03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार मंडलों आदि को सहायता।

(7)	06 सड़क पर रेडी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वालो, सपेरा आदि हेतु सहायता			
	मूल	10.00	10.00	0.00

वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(8)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता**

*01 जलापूर्ति*

101 शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

(1) 05 नगरीय पेय जल

मूल	36,290.01			
पूरक	1,500.00	57,166.55	38,699.27	(-)18,467.28
पुनर्वि०	19,376.54			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 936.00 लाख, दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 11,503.46 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 6,937.08 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों का भुगतान तथा सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**2217 शहरी विकास**

*03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास*

800 अन्य व्यय

(2) 19 नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने हेतु जमा धनराशि की वापसी

मूल	50.00			
पूरक	50.00	102.50	102.36	(-)0.14
पुनर्वि०	2.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2024 को ₹ 2.50 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**पूंजीगत:**

**दत्तमत-**

(vii) ₹ 27,740.90 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,43,214.01	1,01,540.98	41,673.03
2020-21	1,73,380.60	1,10,040.43	63,340.17
2021-22	2,30,585.60	1,33,642.61	96,942.99
2022-23	1,51,396.26	1,03,565.60	47,830.66
2023-24	2,71,891.52	1,60,552.98	1,11,338.54

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय**

01 जलापूर्ति

101 शहरी जल आपूर्ति

(1) 03 नगरीय पेयजल

मूल 10,500.00

22,500.00 20,167.73 (-)2,332.27

पूरक 12,000.00

(2) 07 पेयजल /जलोत्सारण योजनाओ हेतु भूमि क्रय

मूल 100.00

1,058.00 224.42 (-)833.58

पूरक 958.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(3)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	13,400.00		
			3,400.00	3,906.68
				(+)506.68

पुनर्वि० (-)10,000.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 10,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।

02 सीवरेज एवं स्वच्छता

	106 मलजल सेवाएँ			
(4)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,000.00		
			1,250.12	487.80
				(-)762.32

पुनर्वि० (-)3,749.88

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 3,749.88 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

(5)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	500.00		
			20.92	20.92
				0.00

पुनर्वि० (-)479.08

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 479.08 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

02 शहरी आवास

800 अन्य व्यय

## अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	6,700.00		
			13,600.00	6,800.00
				(-)6,800.00
	पूरक	6,900.00		
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
(7)	02 अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
	मूल	13,000.00		
			11,300.00	11,293.68
				(-)6.32
	पुनर्वि०	(-)1,700.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 1,700.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।			
	<b>4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
	051 निर्माण			
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	13,800.01		
	पूरक	400.00	13,979.61	4,204.74
				(-)9,774.87
	पुनर्वि०	(-)220.40		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 अक्तूबर 2024 को ₹ 220.40 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
(9)	05 गैरसैण में अवस्थापना कार्य			
	मूल	2,000.00	2,000.00	486.28
				(-)1,513.72

## अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(10)	07 आवारा पशुओ एवं गौ सदनों हेतु आश्रय निर्माण			
	मूल	1,500.00	1,500.00	367.27
				(-),1,132.73

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता।

(11)	03 नगरो का समेकित विकास			
	मूल	500.00	500.00	442.57
				(-),57.43

800 अन्य व्यय

(12)	07 हरिद्वार कुम्भ मेला अवशेष स्थायी कार्यों का भुगतान			
	मूल	300.00	300.00	117.82
				(-),182.18

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

#### 4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय

##### 01 जलापूर्ति

##### 101 शहरी जल आपूर्ति

(1)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	2,000.00		
			0.00	0.00
				0.00

पुनर्वि० (-),2,000.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 2,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।

## अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(2)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	3,420.01		
			0.01	0.00
				(-0.01)
	पुनर्वि०	(-3,420.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 3,420.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
	<b>4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	02 शहरी आवास			
	800 अन्य व्यय			
(3)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	5,000.00		
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-5,000.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 5,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
(4)	06 ग्रीन सिटी /ब्राउन सिटी निर्माण			
	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00
				(-2,000.00)
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(5)	94 राष्ट्रीय आवास बैंक			
	मूल	5,000.00		
			33.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)4,967.00		(-)33.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 1,667.00 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 3,300.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।			

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

01 राज्य की राजधानी का विकास

051 निर्माण

(6)	02 मेट्रो रेल का निर्माण			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00
				(-)1,000.00
	वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता।

(7)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	1,200.00	1,200.00	0.00
				(-)1,200.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय

01 जलापूर्ति

102 ग्रामीण जल आपूर्ति

**अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.02		
		19,648.98	19,648.96	(-)0.02
	पुनर्वि०	19,648.96		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 15,420.00 लाख, दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 479.08 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 3,749.88 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	<b>4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
	051 निर्माण			
(2)	94 राष्ट्रीय आवास बैंक			
	मूल	10.00		
		1,693.60	1,693.60	0.00
	पुनर्वि०	1,683.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 1,667.00 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 16.60 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	30,000.00		
	पूरक	19,200.00	59,200.00	0.00
	पुनर्वि०	10,000.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 10,000.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

## अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2220 सूचना एवं प्रचार</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	3,73,78,40		
		6,00,48,40	5,64,08,91
			(-36,39,49)
पूरक	2,26,70,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			9,15,10

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,81,41,62 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

**पूंजीगत:****4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय****दत्तमत -**

मूल	1,00,00		
		1,00,00	...
			(-1,00,00)
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

**टिप्पणियां एवं टीकायें****राजस्व:****दत्तमत-**

(i) ₹ 3,639.49 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 915.10 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

## अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	7,604.13	5,599.57	2,004.56
2020-21	13,129.42	10,643.21	2,486.21
2021-22	39,514.93	38,340.93	1,174.00
2022-23	17,878.88	16,726.24	1,152.64
2023-24	27,242.06	25,911.65	1,330.41

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2220 सूचना एवं प्रचार

01 फिल्म

105 फ़िल्मों का निर्माण

(1) 06 फ़िल्म परिषद की स्थापना

मूल	1,100.00			
		393.42	393.42	0.00
पुनर्वि०	(-706.58)			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 466.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय तथा सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 240.58 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	60 अन्य			
	102 सूचना केन्द्र			
(2)	03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान			
	मूल	87.66		
			58.50	0.00
	पुनर्वि०	(-)29.16		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 29.16 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	106 क्षेत्र प्रचार			
(3)	03 अधिष्ठान			
	मूल	693.65		
			499.42	0.00
	पुनर्वि०	(-)194.23		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 73.50 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 267.73 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	109 फोटो सेवाएँ			
(4)	03 अधिष्ठान			
	मूल	169.91		
			149.64	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.27		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 20.27 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

800 अन्य व्यय

(5) 03 स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस सम्बन्धी उत्सवो आदि पर व्यय (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर)

मूल	200.00			
		156.29	156.29	0.00

पुनर्वि० (-)43.71

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 43.71 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(6) 06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

मूल	60.00			
		46.92	46.92	0.00

पुनर्वि० (-)13.08

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 3.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 10.08 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(7) 07 राज्य में मीडिया सलाहकार समिति का गठन

मूल	50.00			
		6.72	6.72	0.00

पुनर्वि० (-)43.28

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 43.28 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 2220 सूचना एवं प्रचार

60 अन्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 अधिष्ठान व्यय

मूल	2,414.20			
पूरक	150.00	2,788.72	2,788.72	0.00
पुनर्वि०	224.52			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 406.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 181.48 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

110 प्रकाशन

(2) 03 अधिष्ठान

मूल	3,774.77			
पूरक	20.00	3,859.91	3,859.91	0.00
पुनर्वि०	65.14			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को ₹ 10.50 लाख की कमी कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 24.36 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

## अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 4059 लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य इमारतें

051 निर्माण

04 मीडिया से सम्बंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
2251	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ		

**दत्तमत -**

मूल	25,92,07,68		
		27,67,90,04	22,99,17,42
			(-)4,68,72,62
पूरक	1,75,82,36		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			7,87,18

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 30,35,03 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 71,70 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

**पूँजीगत:**

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत -**

मूल	1,64,25,89		
		1,89,31,90	1,35,87,14
			(-)53,44,76
पूरक	25,06,01		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------	-------	------------	---------------	---------------------------------------

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,42,76,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 46,872.62 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 787.18 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 46,872.62 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 17,582.36 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) ₹ 5,493.92 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- (iv) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,85,921.41	1,44,405.00	41,516.41
2020-21	1,97,295.72	1,49,445.28	47,850.44
2021-22	2,34,344.19	1,64,571.09	69,773.10
2022-23	2,98,585.90	2,28,499.98	70,085.92
2023-24	2,81,277.37	2,43,929.69	37,347.68

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(v) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

## 01 अनुसूचित जाति का कल्याण

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	03 मुख्यालय एवं मंडलीय अधिष्ठान			
	मूल	805.92		
			807.92	590.60
				(-217.32)
	पूरक	2.00		
(2)	05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान			
	मूल	2,031.31		
			2,132.65	1,525.48
				(-607.17)
	पूरक	101.34		
(3)	06 आई०टी० सैल			
	मूल	148.02	148.02	126.93
				(-21.09)
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(4)	04 उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन			
	मूल	105.12		
			109.62	71.32
				(-38.30)
	पूरक	4.50		

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 आर्थिक विकास				
(5)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	2,509.63			
			3,165.63	1,753.70	(-1,411.93)
	पूरक	656.00			
(6)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	0.00			
			250.00	151.65	(-98.35)
	पूरक	250.00			
	277 शिक्षा				
(7)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	214.50	214.50	72.00	(-142.50)
(8)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	235.95	235.95	8.00	(-227.95)
	04 अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(9)	02 उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को सहायता				
	मूल	200.00	200.00	28.00	(-172.00)
(10)	03 प्रांतीय हज समिति को अनुदान				
	मूल	115.55	115.55	49.40	(-66.15)

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	04 अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान मूल	116.90	116.90	61.81 (-55.09)
(12)	05 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय मूल	169.82	169.82	142.19 (-27.63)
(13)	06 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान मूल	190.82	190.82	170.55 (-20.27)
277 शिक्षा				
(14)	02 अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति मूल	203.00	196.45	9.60 (-186.85)
	पुनर्वि०	(-6.55)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2025 को ₹ 6.55 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन में हुई बचत के कारण की गई।			
(15)	06 मदरसा अरबी फ़ारसी बोर्ड मूल	127.75	127.75	67.38 (-60.37)
800 अन्य व्यय				
(16)	02 मदरसों का आधुनिकीकरण मूल	200.00	200.00	71.70 (-128.30)
(17)	09 वक्फ ट्रिब्यूनलों के लिए सहायता मूल	31.45	31.45	4.33 (-27.12)

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
02 समाज कल्याण				
101 विकलांगों का कल्याण				
(18)	04 विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण केंद्र			
	मूल	150.45	150.45	88.65
				(-)61.80
(19)	07 दिव्यांग युवक/युवतियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन			
	मूल	25.00	25.00	6.50
				(-)18.50
(20)	11 दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय			
	मूल	45.20	45.20	32.25
				(-)12.95
(21)	16 राज्य में समस्त जिला मुख्यालयों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र			
	मूल	150.00	150.00	124.29
				(-)25.71
(22)	19 कृत्रिम भागों, श्रवण यंत्र आदि की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।			
	मूल	50.00	50.00	33.41
				(-)16.59
102 बाल कल्याण				
(23)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	48,035.28		
			60,614.36	28,764.17
				(-)31,850.19
	पूरक	12,579.08		

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(24)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र			
	मूल	407.06		
	पूरक	4.00	417.59	353.12
	पुनर्वि०	6.53		(-)64.47
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 6.53 लाख की वृद्धि गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(25)	05 बाल कल्याण न्यायालय बोर्ड की स्थापना			
	मूल	57.56	57.56	39.40
				(-)18.16
(26)	06 बाल कल्याण की विविध योजनाएँ			
	मूल	144.30		
			154.30	108.81
	पूरक	10.00		(-)45.49
(27)	07 संस्थानों/घरों का संचालन			
	मूल	985.61		
			979.08	808.69
	पुनर्वि०	(-)6.53		(-)170.39
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 6.53 लाख की कमी भोजन व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
(28)	15 निदेशालय			
	मूल	2,859.65		
			2,861.65	1,931.57
	पुनर्वि०	2.00		(-)930.08

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(29)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	5,973.92		
			6,605.13	2,827.46
				(-3,777.67)
	पूरक	631.21		
	103 महिला कल्याण			
(30)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	676.68		
			1,167.08	76.78
				(-1,090.30)
	पूरक	490.40		
(31)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना			
	मूल	160.30		
			165.30	85.97
				(-79.33)
	पूरक	5.00		
(32)	13 कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन, बल विवाह और घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा			
	मूल	50.00	50.00	44.32
				(-5.68)
(33)	19 महिला कल्याण निदेशालय			
	मूल	257.89		
			263.85	169.65
				(-94.20)
	पुनर्वि०	5.96		

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2025 को ₹ 5.96 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(34)	29 नंदा गौरा योजना			
	मूल	19,500.00		
			19,332.57	17,111.72
				(-),220.85
	पुनर्वि०	(-),167.43		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 167.43 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।			
(35)	32 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना			
	मूल	3,000.00	3,000.00	2,376.78
				(-),623.22
(36)	35 मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना			
	मूल	1,488.04		
			2,088.04	1,863.33
				(-),224.71
	पूरक	600.00		
(37)	37 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
	मूल	0.00		
			100.00	77.32
				(-),22.68
	पूरक	100.00		

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	104 वृद्धों, अशक्तों और निराश्रितों का कल्याण			
(38)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	208.18		
			191.63	(-181.02)
	पुनर्वि०	(-16.55)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 को ₹ 16.55 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
(39)	03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह			
	मूल	97.41		
			103.41	(-55.37)
	पूरक	6.00		
(40)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण			
	मूल	113.97	113.97	(-55.60)
	107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
(41)	03 मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थानों को अनुदान			
	मूल	35.01	35.01	(-15.90)
	200 अन्य कार्यक्रम			
(42)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	604.76		
			1,376.87	(-756.38)
	पूरक	772.11		

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(43)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	32.70		
	पूरक	53.65	78.22	53.87
	पुनर्वि०	(-)8.13		(-)24.35
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 12.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2025 को ₹ 3.87 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(44)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	27,078.00		
			24,662.23	23,106.86
	पुनर्वि०	(-)2,415.77		(-)1,555.37
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को ₹ 42.54 लाख, दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 638.65 लाख, दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 114.51 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 0.21 लाख, दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 1,615.99 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2025 को ₹ 3.87 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गई।			
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
	200 अन्य कार्यक्रम			
(45)	03 सैनिक कल्याण			
	मूल	4,225.29		
			4,335.29	3,843.52
	पूरक	110.00		(-)491.77

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(46) 07 राज्य आंदोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कॉर्पस फंड की स्थापना

मूल	4,800.00			
		4,034.78	4,034.78	0.00

पुनर्वि० (-)765.22

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 765.22 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

**2251 सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ**

00

092 अन्य कार्यालय

(47) 05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान एवं अन्य सहायता

मूल	35.00			
		19.50	19.50	0.00

पुनर्वि० (-)15.50

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 15.50 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(48) 08 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

मूल	6.00			
		2.42	0.16	(-)2.26

पुनर्वि० (-)3.58

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 3.58 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 05 ओबीसी कल्याण परिषद का गठन

मूल	59.22	59.22	0.00	(-)59.22
-----	-------	-------	------	----------

800 अन्य व्यय

(2) 07 गोरखा कल्याण परिषद

मूल	59.23	59.23	0.00	(-)59.23
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

277 शिक्षा

(3) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	239.78	239.78	0.00	(-)239.78
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(4) 95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

800 अन्य व्यय

(5) 03 पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	मूल	17.00	17.00	0.00	(-)17.00
	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(6)	05 अल्पसंख्यक अधिकार दिवस				
	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00
(7)	07 उत्तराखंड वक्फ विकास परिषद				
	मूल	15.01	15.01	0.00	(-)15.01
	वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(8)	08 उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद				
	मूल	6.75	6.75	0.00	(-)6.75
	वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>					
<i>02 समाज कल्याण</i>					
101 विकलांगों का कल्याण					
(9)	09 दिव्यांग के लिए छात्रवृत्तियां/वजीफा				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
(10)	23 राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड				
	मूल	6.52	6.52	0.00	(-)6.52
	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(11)	24 रुद्रपुर मे मानसिक रोगियों हेतु पुनर्वास				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 बाल कल्याण			
(12)	17 किशोर न्याय कोष की स्थापना			
	मूल	5.00	5.00	0.00
				(-)5.00
	103 महिला कल्याण			
(13)	22 परित्यक्तता महिलाओं की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
	वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(14)	36 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना (विदेशी मदिरा से प्राप्त सेस के सापेक्ष)			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00
				(-)1,000.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(15)	38 मुख्यमंत्री बल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि (आबकारी सेस के सापेक्ष)			
	मूल	0.00		
			800.00	0.00
				(-)800.00
	पूरक	800.00		
(16)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	0.00		
			7.07	0.00
				(-)7.07
	पूरक	7.07		
	200 अन्य कार्यक्रम			
(17)	06 दिव्यांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना			

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	मूल	8.01	8.01	0.00	(-)8.01
	वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(18)	08 वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति				
	मूल	20.01	20.01	0.00	(-)20.01
(19)	09 सामाजिक कल्याण योजनाओं की अनुश्रवण समिति				
	मूल	20.01	20.01	0.00	(-)20.01
	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(20)	11 मा० मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (समाज कल्याण)				
	मूल	10.01	10.01	0.00	(-)10.01
	वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(21)	13 नशा मुक्ति केंद्र का संचालन				
	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00
	800 अन्य व्यय				
(22)	14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन				
	मूल	9.72	9.72	0.00	(-)9.72
	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
	102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन				
(23)	07 पर्वतीय शेत्र में 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितो के लिए पेंशन योजना				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
--	-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(24) 08 डंगरियो एवं जगरियों को मासिक पेंशन

	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
--	-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण**

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

277 शिक्षा

(1) 05 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना

	मूल	376.10			
			382.65	381.40	(-)1.25

	पुनर्वि०	6.55			
--	----------	------	--	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2025 को ₹ 6.55 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण**

02 समाज कल्याण

101 विकलांगों का कल्याण

(2) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	0.02		
		16.57	16.56	(-)0.01
	पुनर्वि०	16.55		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 को ₹ 16.55 लाख की वृद्धि लघु निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	08 दिव्यांग शिविरों/सेमिनारों का आयोजन			
	मूल	5.00		
		17.00	7.90	(-)9.10
	पुनर्वि०	12.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 12.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	102 बाल कल्याण			
(4)	18 मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना			
	मूल	1,000.00		
	पूरक	200.00	1,365.43	0.00
	पुनर्वि०	165.43		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 165.43 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	103 महिला कल्याण			
(5)	15 निराश्रित विधवा पेंशन			
	मूल	27,207.70		
		27,322.21	27,285.45	(-)36.76
	पुनर्वि०	114.51		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 114.51 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

## 03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(6)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,917.62		
			9,576.36	9,267.64
				(-308.72)

पुनर्वि० 1,658.74

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को ₹ 42.54 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 0.21 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 1615.99 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय तथा सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

	102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन			
(7)	05 सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन			
	मूल	52,862.04		
			53,500.69	53,442.75
				(-57.94)

पुनर्वि० 638.65

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 638.65 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

(viii) ₹ 5,344.76 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ix) ₹ 5,344.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 2,506.01 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(x) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	10,936.07	7,014.21	3,921.86
2020-21	15,198.16	7,275.05	7,923.11
2021-22	10,760.28	3,371.59	7,388.69
2022-23	13,488.68	6,208.94	7,279.74
2023-24	31,182.34	19,162.71	12,019.63

(xi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय**

*02 समाज कल्याण*

102 बाल कल्याण

(1) 04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय ग्रहो का निर्माण

मूल	200.00	200.00	49.04	(-)150.96
-----	--------	--------	-------	-----------

(2) 08 नशा मुक्ति केंद्र

मूल	0.00	100.00	16.72	(-)83.28
-----	------	--------	-------	----------

पूरक	100.00			
------	--------	--	--	--

103 महिला कल्याण

(3) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	2,133.34			
			3,168.34	1,149.30	(-),019.04
	पूरक	1,035.00			
(4)	09 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों/महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय उत्तर रक्षा आवासों का निर्माण				
	मूल	0.00			
			490.00	353.07	(-),136.93
	पूरक	490.00			
(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	200.00			
			337.00	127.70	(-),209.30
	पूरक	137.00			
	104 वृद्धों, असहायों और निराश्रितों का कल्याण				
(6)	08 राजकीय वृद्धाश्रम के भवन का निर्माण				
	मूल	500.00			
			1,000.00	540.17	(-),459.83
	पूरक	500.00			
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
	800 अन्य व्यय				
(7)	03 सैनिक कल्याण				
	मूल	719.17	719.17	606.60	(-),112.57

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(8)	04 शौर्य स्थल			
	मूल	3,000.00	3,000.00	1,500.00
				(-),500.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय**

**03 पिछड़े वर्गों का कल्याण**

**277 शिक्षा**

(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	50.01	50.01	0.00
				(-),50.01

वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	5.01		
			249.01	0.00
				(-),249.01

पूरक 244.00

वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय**

**02 समाज कल्याण**

**102 बाल कल्याण**

(3)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
-----	------------------------------------	--	--	--

## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	50.03			
			50.04	0.00	(-)50.04
	पूरक	0.01			
(4)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	18.23	18.23	0.00	(-)18.23
<b>4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>					
00					
203 रोजगार					
(5)	02 अल्पसंख्यकों के लिए स्वरोजगार योजना				
	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	3,75,37,15		
		3,91,23,81	3,34,58,96
			(-)56,64,85
पूरक	15,86,66		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
<b>पूँजीगत:</b>			
4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय			
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	77,00,01		
		77,00,01	63,06,43
			(-)13,93,58
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

## टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(i) ₹ 5,664.85 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

## अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(ii) ₹ 5,664.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 1,586.66 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	43,522.46	28,877.70	14,644.76
2020-21	49,059.96	33,485.12	15,574.84
2021-22	39,566.11	33,602.75	5,963.36
2022-23	56,119.50	34,605.31	21,514.19
2023-24	55,832.61	52,376.24	3,456.37

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

## 01 श्रम

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

## (1) 03 श्रम विभाग का अधिष्ठान

मूल	499.55	499.55	399.19	(-)100.36
-----	--------	--------	--------	-----------

## 101 औद्योगिक संबंध

## (2) 03 विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन (22300110307 सम्मिलित)

मूल	1,107.35			
		1,117.35	955.83	(-)161.52

पूरक	10.00			
------	-------	--	--	--

## अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड			
	मूल	94.89		
			99.89	(-)66.70
	पूरक	5.00		
(4)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना			
	मूल	473.71		
			506.61	(-)103.66
	पूरक	32.90		
	102 काम करने की स्थितियाँ और सुरक्षा			
(5)	03 निरीक्षण अधिष्ठान			
	मूल	209.95	209.95	(-)100.89
	103 सामान्य श्रमिक कल्याण			
(6)	03 श्रमिक कल्याण/कल्याण केन्द्र की विभिन्न योजनाएँ			
	मूल	75.60	75.60	(-)32.22
	02 रोजगार सेवा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(7)	03 रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान			
	मूल	1,460.27		
			1,524.97	(-)375.65
	पूरक	64.70		

## अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 रोजगार सेवाएँ			
(8)	03 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	118.04	118.04	100.84
				(-)17.20
(9)	09 विदेशी रोजगार सेल			
	मूल	69.04	69.04	17.90
				(-)51.14
	03 प्रशिक्षण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(10)	03 प्रशिक्षण एवं रोजगार संबंधी स्थापना			
	मूल	906.07	906.07	667.93
				(-)238.14
	003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(11)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान			
	मूल	13,368.01		
			13,572.06	11,922.65
				(-)1,649.41
	पूरक	204.05		
(12)	11 कर्मचारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों के प्रौद्योगिकी अध्ययन भ्रमण			
	मूल	0.00		
			320.00	88.82
				(-)231.18
	पूरक	320.00		

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

## 01 श्रम

## 103 सामान्य श्रमिक कल्याण

## (1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

## 03 प्रशिक्षण

## 003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

## (2) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल	530.00	530.00	0.00	(-)530.00
-----	--------	--------	------	-----------

## 102 शिशुता प्रशिक्षण

## (3) 04 राज्य कौशल विकास कार्यक्रम

मूल	1,600.00	1,600.00	0.00	(-)1,600.00
-----	----------	----------	------	-------------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(vi) ₹ 1,393.58 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

**अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(vii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,534.49	421.74	1,112.75
2020-21	4,500.01	3,585.31	914.70
2021-22	11,701.00	5,114.99	6,586.01
2022-23	6,877.11	4,833.67	2,043.44
2023-24	8,400.00	7,215.69	1,184.31

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 07 अंतरराज्यीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण

मूल	200.00	200.00	83.58	(-)116.42
-----	--------	--------	-------	-----------

003 प्रशिक्षण

(2) 98 नाबार्ड पोषित

मूल	7,500.00	7,500.00	6,222.85	(-)1,277.15
-----	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2401 फसल कृषिकर्म			
2415 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	6,82,91,18		
		7,68,06,20	(-)1,93,18,50
पूरक	85,15,02		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 23,56,64 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

**पूंजीगत:**

- 4401 फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय  
6401 फसल कृषिकर्म के लिए ऋण

**दत्तमत -**

मूल	3,62,50,05		
		3,87,50,05	(-)1,51,93,02
पूरक	25,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

- (i) ₹ 19,318.50 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 19,318.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 8,515.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) ₹ 20.00 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- (iv) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,20,727.53	88,889.38	31,838.15
2020-21	1,17,645.59	98,847.75	18,797.84
2021-22	1,14,145.81	1,00,785.18	13,360.63
2022-23	1,19,393.55	95,941.13	23,452.42
2023-24	1,22,260.20	80,609.92	41,650.28

- (v) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2401 फसल कृषिकर्म**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	15,778.00			
पूरक	2,663.40	18,926.45	10,971.44	(-),955.01
पुनर्वि०	485.05			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को ₹ 48.57 लाख, दिनांक 06 फरवरी 2025 को ₹ 109.16 लाख, दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 171.77 लाख, दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 111.11 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 44.44 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	04 कृषि विभाग की सामान्य स्थापना				
	मूल	13,661.25	13,661.25	11,080.20	(-),581.05
(3)	06 जलागम प्रबंध निदेशालय/पी०एम०के०एस०वाई०				
	मूल	721.62			
			726.62	253.99	(-),472.63
	पूरक	5.00			
(4)	11 राज्यस्तरीय जलागम अनुश्रवण परिषद				
	मूल	50.10	50.10	29.63	(-),20.47
(5)	23 जलागम प्रबंध निदेशालय/राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (सारा)				
	मूल	1,900.00	1,900.00	750.00	(-),1,150.00
(6)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	1,599.41			
	पूरक	288.71	1,400.45	916.21	(-),484.24
	पुनर्वि०	(-),487.67			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को ₹ 48.57 लाख, दिनांक 06 फरवरी 2025 को ₹ 109.16 लाख, दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 171.77 लाख, दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 111.11 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 2.62 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 44.44 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

## अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	3,825.52		
			5,835.52	2,798.64
				(-3,036.88)
	पूरक	2,010.00		
	108 वाणिज्यिक फसलें			
(8)	03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग की स्थापना			
	मूल	2,916.18		
			2,952.18	2,609.73
				(-342.45)
	पूरक	36.00		
	109 विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण			
(9)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,190.40		
	पूरक	2,414.00	6,821.18	4,627.02
	पुनर्वि०	216.78		(-2,194.16)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को ₹ 29.00 लाख, दिनांक 22 जनवरी 2025 को ₹ 43.00 लाख, दिनांक 05 फरवरी 2025 को ₹ 110.00 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 34.78 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	365.60		
	पूरक	346.00	494.82	302.47
	पुनर्वि०	(-216.78)		(-192.35)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को ₹ 29.00 लाख, दिनांक 22 जनवरी 2025 को ₹ 43.00 लाख, दिनांक 05 फरवरी 2025 को ₹ 110.00 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 34.78 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			

## अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	110 फसल बीमा			
(11)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	110.00		
			63.34	53.34
				(-10.00)

पुनर्वि० (-)46.66

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2024 को ₹ 11.06 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 35.60 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

	111 कृषि अर्थ व्यवस्था और सांख्यिकी			
(12)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	100.00	100.00	20.01
				(-79.99)

	114 तिलहन विकास			
(13)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	86.00		
			88.78	42.53
				(-46.25)

पुनर्वि० 2.78

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को ₹ 0.16 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 2.62 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

### 2401 फसल कृषिकर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

## अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	12 आयोग / परिषदों के भुगतान			
	मूल	55.50	55.50	0.00
				(-55.50)
	102 खाद्यान्न फसलें			
(2)	03 स्थानीय फसलों के लिए प्रोत्साहन योजना			
	मूल	575.00	575.00	0.00
				(-575.00)
	111 कृषि अर्थ व्यवस्था और सांख्यिकी			
(3)	02 कृषि बीमा सर्वेक्षण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**2401 फसल कृषिकर्म**

00

## 110 फसल बीमा

## 03 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (राज्य योजना)

मूल	0.00			
पूरक	0.01	46.67	46.66	(-0.01)
पुनर्वि०	46.66			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2024 को ₹ 11.06 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 35.60 लाख की वृद्धि इन्शोरेंस पॉलिसी /प्रीमियम हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

पूँजीगत:

दत्तमत-

(viii) ₹ 15,193.02 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ix) ₹ 15,193.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 2,500.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) ₹ 2,647.37 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

(xi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4401 फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय**

00

107 वनस्पति संरक्षण

(1) 03 कीटनाशकों औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रीएंट की लगत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है

मूल	1,500.00			
		900.00	849.99	(-)50.01

पुनर्वि० (-)600.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को ₹ 600.00 लाख की कमी सामाग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण की गई।

119 बागवानी और सब्जी फसलें

(2) 02 भरसार विश्वविद्यालय के लिए बुनियादी ढांचे का विकास

मूल	500.00	500.00	337.78	(-)162.22
-----	--------	--------	--------	-----------

800 अन्य व्यय

(3) 05 विभागीय भवनों का निर्माण

मूल	50.00	50.00	44.09	(-)5.91
-----	-------	-------	-------	---------

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	10 स्प्रिंग एवं रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण				
	मूल	5,000.00	5,000.00	2,000.00	(-)3,000.00
(5)	98 नाबार्ड पोषित				
	मूल	3,000.00	3,000.00	2,540.71	(-)459.29
<b>6401 फसल कृषिकर्म के लिए ऋण</b>					
00					
109 वाणिज्यिक फसलें					
(6)	10 उत्तराखंड सहकारी क्षेत्रों/निगमों की मिलों को ऋण				
	मूल	24,500.00	24,500.00	13,184.82	(-)11,315.18

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4401 फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय**

00

113 कृषि इंजीनियरिंग

02 गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के लिए विशेष अनुदान

मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**4401 फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय**

00

103 बीज

03 प्रासंगिक व्यय के साथ खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत

मूल 1,500.00

2,100.00 2,099.63 (-)0.37

पुनर्वि० 600.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को ₹ 600.00 लाख की वृद्धि सामाग्री एवं सम्पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2425 सहकारिता			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	1,41,83,67		
		1,68,59,65	1,44,88,85
			(-23,70,80)
पूरक	26,75,98		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
<p>अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,36 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।</p> <p>अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 23,10,44 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।</p>			
<b>पूंजीगत:</b>			
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425 सहकारिता हेतु ऋण			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	1,00,00,03		
		1,05,75,03	1,02,30,00
			(-3,45,03)
पूरक	5,75,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

## अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

(i) ₹ 2,370.80 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2425 सहकारिता

00

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

## (1) 03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

मूल 3,884.01

3,902.01 3,332.38 (-)569.63

पूरक 18.00

## (2) 05 सहकारिता न्यायाधिकरण

मूल 187.55

210.55 114.30 (-)96.25

पूरक 23.00

## (3) 06 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण

मूल 84.70

94.30 46.88 (-)47.42

पूरक 9.60

## (4) 07 सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन

मूल 40.00

40.00 20.00 (-)20.00

## अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	107 ऋण सहकारी समितियों को सहायता			
(5)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	277.02		
			703.76	(-689.23)
	पूरक	426.74		
(6)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	3.02		
			65.65	(-64.04)
	पूरक	62.63		
	108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता			
(7)	05 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु अनुदान			
	मूल	20.00	20.00	(-10.00)
	800 अन्य व्यय			
(8)	05 एम पैक्स के माध्यम से जन औषधि केंद्र की स्थापना			
	मूल	0.01		
			50.00	(-38.00)
	पूरक	49.99		
(9)	36 मोटर साइकिल, टैक्सी हेतु सब्सिडी			
	मूल	25.00	25.00	(-18.00)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2425 सहकारिता

00

106 बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता

06 बंजर भूमि को सामूहिक कृषि मॉडल में विकसित किया जाना

मूल	700.00			
		700.01	0.00	(-)700.01

पूरक 0.01

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

(iv) ₹ 345.03 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(v) ₹ 18.38 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

(vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	10,000.01	9,997.99	2.02
2020-21	10,000.00	0.00	10,000.00
2021-22	8,000.00	0.00	8,000.00
2022-23	8,700.00	7,300.00	1,400.00
2023-24	20,300.01	800.00	19,500.01

अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6425 सहकारिता हेतु ऋण

00

108 अन्य सहकारी समितियों को ऋण

04 काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण

मूल 0.00

575.00 230.00 (-)345.00

पूरक 575.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2505	ग्रामीण रोजगार		
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
<b>दत्तमत -</b>			
	मूल	14,11,46,44	
		14,48,43,30	9,99,31,66 (-)4,49,11,64
	पूरक	36,96,86	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)		53,70
<b>पूँजीगत:</b>			
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		
<b>दत्तमत -</b>			
	मूल	14,98,76,14	
		16,71,62,23	14,73,22,38 (-)1,98,39,85
	पूरक	1,72,86,09	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)		...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 29,86,08 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 25,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 44,911.64 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 53.70 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 44,911.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 3,696.86 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,02,613.11	68,316.43	34,296.68
2020-21	1,02,482.02	77,291.18	25,190.84
2021-22	1,04,666.13	75,873.15	28,792.98
2022-23	1,41,178.62	1,15,636.18	25,542.44
2023-24	1,79,214.90	1,19,052.32	60,162.58

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06 स्व-रोजगार कार्यक्रम

102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- (1) 02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत गठित प्रकोष्ठ

मूल	42.15	42.15	23.29	(-)18.86
-----	-------	-------	-------	----------

## 2505 ग्रामीण रोजगार

02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ

101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	23,541.01	23,541.01	16,160.55	(-7,380.46)
(3)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	5,500.00	5,500.00	4,269.76	(-1,230.24)
<b>2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>					
00					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(4)	04 पंचायती राज निदेशालय की स्थापना				
	मूल	389.70			
			394.70	307.75	(-86.95)
	पूरक	5.00			
003 प्रशिक्षण					
(5)	03 (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान) के कर्मचारियों को प्रशिक्षण				
	मूल	1,300.08			
			1,310.08	1,097.90	(-212.18)
	पूरक	10.00			
101 पंचायती राज					
(6)	03 पंचायती राज अधिष्ठान				
	मूल	2,129.75	2,129.75	1,830.45	(-299.30)

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	17 वन पंचायत			
	मूल	30.16	30.16	19.72
				(-10.44)
(8)	18 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ			
	मूल	109.89		
			111.89	100.22
				(-11.67)
	पूरक	2.00		
(9)	20 क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)			
	मूल	9,200.00	9,200.00	7,684.42
				(-1,515.58)
	102 सामुदायिक विकास			
(10)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	23,566.83		
	पूरक	3,000.00	25,458.41	2,781.50
				(-22,676.91)
	पुनर्वि०	(-1,108.42)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 1,108.42 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
(11)	03 जनपद / विकास खण्ड अधिष्ठान			
	मूल	20,353.64	20,353.64	16,808.05
				(-3,545.59)
(12)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना			
	मूल	8,541.00		
			8,566.00	7,477.78
				(-1,088.22)
	पूरक	25.00		

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल की स्थापना			
	मूल	49.78	49.78	0.25
				(-)49.53
(14)	26 डीआरडीए सेल			
	मूल	72.44	72.44	50.77
				(-)21.67
(15)	28 इंदिरा अम्मा भोजनालय योजनान्तर्गत सब्सिडी का भुगतान			
	मूल	100.00		
			160.00	143.02
	पूरक	60.00		(-)16.98
(16)	32 गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
	मूल	1,326.42	1,326.42	880.36
				(-)446.06
(17)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	2,729.97		
	पूरक	446.31	3,056.57	431.15
	पुनर्वि०	(-)119.71		(-)2,625.42

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 119.71 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

00

101 पंचायती राज

(1)	09 निर्वाचित प्रतिनिधि एवं कर्मचारी प्रशिक्षण			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-10.00)

102 सामुदायिक विकास

(2)	39 ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर (RBI)			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00
				(-1,000.00)

(3)	43 एस०एच०जी० उत्पादों का विपणन एवं ब्रांडिंग			
	मूल	400.00	400.00	0.00
				(-400.00)

(4)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	2,151.30	2,151.30	0.00
				(-2,151.30)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06 स्व-रोजगार कार्यक्रम

102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
-----	------------------------------------	--	--	--

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	9,475.00		
			10,583.42	0.00

पुनर्वि० 1,108.42

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 1,108.42 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

	मूल	1,034.00		
			1,153.71	0.00

पुनर्वि० 119.71

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 119.71 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

(vii) ₹ 19,839.85 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) ₹ 19,839.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 17,286.09 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(ix) ₹ 2,987.08 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

(x) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

00

101 पंचायती राज

(1) 03 गौ सदन का निर्माण

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	0.00		
		3,200.00	26.45	(-)3,173.55
	पूरक	3,200.00		
	102 सामुदायिक विकास			
(2)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	92,606.34		
	पूरक	11,606.33	1,01,901.79	87,527.31
	पुनर्वि०	(-)2,310.88		(-)14,374.48
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 2,310.88 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
	103 ग्रामीण विकास			
(3)	02 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	175.72
				(-)24.28
(4)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	6,500.00	6,500.00	5,678.92
				(-)821.08

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 सामुदायिक विकास

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण / एन0पी0वी0 का भुगतान

मूल	5,000.00			
		335.30	0.00	(-335.30)

पुनर्वि० (-)4,664.70

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 4,664.70 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 सामुदायिक विकास

(1) 12 मेरा गाँव मेरी सड़क

मूल	800.00			
		1,030.45	1,030.45	0.00

पुनर्वि० 230.45

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 230.45 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	10,379.77			
पूरक	1,379.76	14,070.41	13,155.35	(-915.06)

पुनर्वि० 2,310.88

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 2310.88 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	0.01		
		4,664.71	4,664.70	(-0.01)
	पुनर्वि०	4,664.70		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 4664.70 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2700 मुख्य सिंचाई			
2701 मध्यम सिंचाई			
2702 लघु सिंचाई			
2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	6,23,64,91		
		6,66,66,95	5,98,58,16 (-)68,08,79
पूरक	43,02,04		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			7,66,57
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,06,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।			
<b>भारित-</b>			
मूल	2,00,00		
		2,00,00	1,12,69 (-)87,31
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
<b>पूँजीगत:</b>			
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	दत्तमत -			
	मूल	15,02,00,02		
			10,86,80,15	(-)4,65,19,87
		50,00,00		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			27,71,02

## टिप्पणियां एवं टीकायें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- (i) ₹ 6,808.79 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 766.57 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 6,808.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 4,302.04 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) ₹ 79.58 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- (iv) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	57,771.57	42,394.43	15,377.14
2020-21	55,926.05	43,072.99	12,853.06
2021-22	52,041.81	44,536.08	7,505.73
2022-23	56,631.84	49,417.53	7,214.31
2023-24	59,285.33	52,051.62	7,233.71

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 कार्यकारी अधिष्ठान

मूल 31,023.00

पूरक 200.00 31,225.69 26,190.16 (-)5,035.53

पुनर्वि० 2.69

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 2.69 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों का भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2) 04 दैनिक वेतन भोगियो और कार्यशालाओ के कार्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितो) के लिए एकमुश्त व्यवस्था

मूल 150.00 150.00 120.87 (-)29.13

(3) 06 उत्तराखंड जल संसाधन प्रबंधन एवं रेगुलेटरी कमीशन

मूल 57.00 57.00 10.13 (-)46.87

005 सर्वेक्षण

(4) 02 डी०पी०आर० हेतु निर्माण

मूल 200.00 200.00 72.34 (-)127.66

## 2701 मध्यम सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(5) 02 ट्यूबवेल, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	100.00		
--	-----	--------	--	--

		300.00	183.23	(-)116.77
--	--	--------	--------	-----------

	पूरक	200.00		
--	------	--------	--	--

## 2702 लघु सिंचाई

02 भूजल

005 अन्वेषण

(6) 03 भूमिगत जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण

	मूल	4,485.00		
--	-----	----------	--	--

		3,731.51	3,731.51	0.00
--	--	----------	----------	------

	पुनर्वि०	(-)753.49		
--	----------	-----------	--	--

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 753.49 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

80 सामान्य

005 अन्वेषण

(7) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

	मूल	385.00		
--	-----	--------	--	--

		372.73	85.00	(-)287.73
--	--	--------	-------	-----------

	पुनर्वि०	(-)12.27		
--	----------	----------	--	--

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 12.27 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

05 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान

मूल	13.50	13.50	0.00	(-)13.50
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

राजस्व:

भारित-

(vii) ₹ 87.31 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 कार्यकारी अधिष्ठान

मूल	200.00	200.00	112.69	(-)87.31
-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(ix) ₹ 46,519.87 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,771.02 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(x) ₹ 46,519.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 5,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(xi) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	63,999.05	33,427.95	30,571.10
2020-21	71,995.08	25,917.79	46,077.29
2021-22	81,265.45	25,417.35	55,848.10
2022-23	75,987.03	35,494.38	40,492.65
2023-24	86,157.12	60,454.75	25,702.37

(xii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 जमरानी बांध

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 63,000.00

66,500.00 41,500.00 (-)25,000.00

पुनर्वि० 3,500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 3,500.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	7,000.00		
			3,500.00	0.00
	पुनर्वि०	(-3,500.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 3,500.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
	13 सौंग बांध का निर्माण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(3)	02 अन्य व्यय			
	मूल	30,000.00		
			15,850.20	(-11,850.20)
	पुनर्वि०	(-14,149.80)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2024 को ₹ 11,842.20 लाख, दिनांक 02 जनवरी 2025 को ₹ 807.60 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 1,500.00 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण की गई।			
	18 बाँध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकरण / पुनरोद्धार			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(4)	02 अन्य व्यय			
	मूल	1,000.00	1,000.00	(-140.63)
	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	05 निरीक्षण/कार्यालय भवनो का निर्माण			
	मूल	200.00	200.00	(-51.39)

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	08 नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य (47010000105 से स्थानान्तरित)			
	मूल	1,000.00	1,000.00	71.20
				(-)928.80
	005 सर्वेक्षण और अन्वेषण			
(7)	03 निर्माण कार्य			
	मूल	100.00	100.00	45.58
				(-)54.42
	<b>4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	101 सतही जल			
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,500.00		
			6,063.75	6,063.75
				0.00
	पुनर्वि०	(-)1,436.25		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,436.25 लाख के अभ्यर्ण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(9)	04 ड्रिप एवं स्प्रिंकलो का निर्माण			
	मूल	100.00		
			30.57	30.57
				0.00
	पुनर्वि०	(-)69.43		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 69.43 लाख के अभ्यर्ण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(10)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	800.00		
			679.27	428.94
				(-)250.33
	पुनर्वि०	(-)120.73		

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 120.73 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

	102 भूजल			
(11)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	550.00		
	पूरक	1,000.00	905.41	905.41
	पुनर्वि०	(-644.59)		0.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 644.59 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

01 बाढ़ नियंत्रण

	103 सिविल निर्माण कार्य			
(12)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,000.00	5,000.00	1,250.00
				(-3,750.00)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	500.01	500.01	0.00
				(-500.01)

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

**4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण

## (2) 04 प्रशिक्षण केन्द्र का उच्चिकरण / अनुसंधान कार्य

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय**

00

102 भूजल

## (3) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	500.00			
		0.00	0.00	0.00

पुनर्वि० (-)500.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय**

01 बाढ़ नियंत्रण

103 सिविल निर्माण कार्य

## (4) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xiv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

02 नलकूप, नहर एवं लघुझाल नहर निर्माण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 02 राज्य पोषित ट्यूबवेल और नहर निर्माण

मूल 650.00

1,130.03 963.68 (-)166.35

पुनर्वि० 480.03

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2025 को ₹ 480.03 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 04 जमरानी बांध परियोजना हेतु एन०पी०वी०/भूमि अधिग्रहण हेतु निधि

मूल 1,000.00

12,810.23 12,742.20 (-)68.03

पुनर्वि० 11,810.23

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 अगस्त 2024 को ₹ 31.97 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2024 को ₹ 11,842.20 लाख की वृद्धि भूमि क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 07 जल संवर्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण (47010000102 से स्थानान्तरित)

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	100.00		
			131.97	131.96
				(-)0.01

पुनर्वि० 31.97

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 अगस्त 2024 को ₹ 31.97 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01 बाढ़ नियंत्रण

103 सिविल निर्माण कार्य

(4) 98 नाबार्ड पोषित

	मूल	4,000.00		
			6,750.00	6,721.82
				(-)28.18

पुनर्वि० 2,750.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2024 को ₹ 2,750.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

03 जलनिकास

103 सिविल निर्माण कार्य

(5) 02 अन्य रखरखाव कार्य

	मूल	250.00		
			577.57	565.09
				(-)12.48

पुनर्वि० 327.57

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2025 को ₹ 327.57 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(xv) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2024-25 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III एवं IV में दिया गया है।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2801 शक्ति			
2810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	37,28,51		
		38,38,76	27,55,33 (-)10,83,43
पूरक	1,10,25		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 45,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

**पूंजीगत:**

4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
4810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण

**दत्तमत -**

मूल	13,37,41,02		
		15,21,41,02	11,71,50,42 (-)3,49,90,60
पूरक	1,84,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 1 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,083.43 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,083.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 110.25 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,420.13	1,263.81	156.32
2020-21	2,431.70	2,054.48	377.22
2021-22	1,421.54	1,310.32	111.22
2022-23	3,130.34	1,666.64	1,463.70
2023-24	3,623.67	3,061.58	562.09

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2801 शक्ति

05 प्रेषण एवं वितरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 02 ऊर्जा विकास निधि का प्रबंधन

मूल	0.00			
		60.25	27.66	(-32.59)
पूरक	60.25			

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

## 2810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा

00

	102 ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय शक्ति			
(2)	03 सोलर फोटो वोल्टाइक कार्यक्रम में सोलर पालिसी के अनुसार प्रतिपूर्ति एवं डेटाबेस तैयार करने हेतु			
	मूल	800.00		
			181.00	161.00
				(-)20.00
	पुनर्वि०	(-)619.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 जनवरी 2025 को ₹ 619.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।			
	800 अन्य व्यय			
(3)	04 प्रशासनिक व्यय (उरेडा को अनुदान)			
	मूल	1,454.00	1,454.00	978.09
				(-)475.91
(4)	07 लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना			
	मूल	660.00	660.00	155.07
				(-)504.93

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा

00

- 105 सहायक कार्यक्रम
- 97 बाह्य सहायतित योजना

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	0.00		
		50.00	0.00	(-)50.00

पूरक 50.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 2810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा

00

101 ग्रिड इंटरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय शक्ति

03 घरेलू उपभोक्ताओं को वाटर हीटर प्लांट, रूफ टॉप सोलर प्लांट हेतु उरेडा को सहायता

	मूल	814.50		
		1,433.50	1,433.50	0.00

पुनर्वि० 619.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 जनवरी 2025 को ₹ 619.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 34,990.60 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) ₹ 34,990.60 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 18,400.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

## 01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश

## (1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	20,000.00	20,000.00	8,329.99	(-)11,670.01
-----	-----------	-----------	----------	--------------

## 05 प्रेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश

## (2) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल	27,040.98			
		17,888.38	5,527.00	(-)12,361.38

पुनर्वि० (-)9,152.60

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2025 को ₹ 297.60 लाख, दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 7,663.00 लाख, दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 352.00 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2025 को ₹ 840.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान तथा निवेश में हुई बचत के कारण की गई।

## 800 अन्य व्यय

## (3) 03 यू.पी.सी.एल (आर०डी०एस०एस०)

मूल	10,000.00			
		4,925.61	2,806.00	(-)2,119.61

पुनर्वि० (-)5,074.39

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2025 को ₹ 499.72 लाख, दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 1,132.67 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 3,442.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण की गई।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	36,000.00		
			28,800.00	(-1,800.00)
	पुनर्वि०	(-7,200.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 7200.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान तथा निवेश में हुई बचत के कारण की गई।			
	<b>6801 बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण</b>			
	00			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण			
(5)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	7,000.00		
			4,273.00	(-1,490.95)
	पुनर्वि०	(-2,727.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 दिसंबर 2024 को ₹ 2,727.00 लाख की कमी ऋण में हुई बचत के कारण की गई।			
	205 पारेषण और वितरण			
(6)	03 पिटकुल में ऋण (बाह्य सहायतित परियोजना लागत का 8%)			
	मूल	3,000.00		
			2,305.60	(-1,691.60)
	पुनर्वि०	(-694.40)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2025 को ₹ 694.00 लाख की कमी ऋण में हुई बचत के कारण की गई।			
	800 विद्युत बोर्डों को अन्य ऋण			
(7)	03 यू.पी.सी.एल- (बाह्य सहायतित परियोजना लागत का 8%)			

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	4,000.00		
			3,169.00	3,000.00
				(-)169.00

पुनर्वि० (-)831.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 831.00 लाख की कमी ऋण में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन

	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
--	-----	--------	--------	------	-----------

(2) 06 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड में निवेश

	मूल	2,500.00			
			17.00	0.00	(-)17.00

पुनर्वि० (-)2,483.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 दिसंबर 2024 को ₹ 1,183.00 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 1,300.00 लाख की कमी निवेश में हुई बचत के कारण की गई।

(3) 12 त्यूनी आराकोट, प्लासू जल विद्युत परियोजना में निवेश

	मूल	1,000.00			
			800.00	0.00	(-)800.00

पुनर्वि० (-)200.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 200.00 लाख की कमी निवेश में हुई बचत के कारण की गई।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	13 टी एच डी सी आई एल एवं यू जे वी एन एल संयुक्त उपक्रम (पिट हैथ थर्मल प्रोजेक्ट)			
	मूल	500.00	500.00	0.00
				(-)500.00
(5)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	5,000.00		
			1,500.00	0.00
				(-)1,500.00
	पुनर्वि०	(-)3,500.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 3,500.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
	05 प्रेषण एवं वितरण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(6)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	300.00	300.00	0.00
				(-)300.00
	<b>4810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय</b>			
	00			
	600 अन्य			
(7)	02 सुपर एनर्जी कन्जर्वेसन बिल्डिंग मॉडल			
	मूल	100.00		
			22.91	0.00
				(-)22.91
	पुनर्वि०	(-)77.09		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर 2024 को ₹ 77.09 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।			

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

## 01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 14 यू०जे०वी०एन०एल० में निवेश (एस०ए०एस०सी०आई०)

मूल	0.00			
पूरक	2,600.00	5,283.00	5,283.00	0.00
पुनर्वि०	2,683.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 दिसंबर 2024 को ₹ 1,183.00 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि निवेश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 05 प्रेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश

(2) 11 यू पी सी एल परियोजनाओं में निवेश (एस ए एस सी आई)

मूल	0.00			
पूरक	2,600.00	6,541.72	6,541.72	0.00
पुनर्वि०	3,941.72			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2025 को ₹ 499.72 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 3,442.00 लाख की वृद्धि निवेश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 12 पिटकुल में निवेश (एस ए एस सी आई)

मूल	0.00			
		2,954.60	2,940.10	(-)14.50
पुनर्वि०	2,954.60			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2025 को ₹ 297.60 लाख, दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 2,299.00 लाख, दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 106.00 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2025 को ₹ 252.00 लाख की वृद्धि निवेश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## 4810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय

00

600 अन्य

(4)	03 रूफ टॉप सोलर पैनल /स्ट्रीट लाइट आदि			
	मूल	7,800.00		
			7,877.09	7,877.09
	पुनर्वि०	77.09		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर 2024 को ₹ 77.09 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 6801 बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण

(5)	04 यू०जे०वी०एन०एल० में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०)			
	मूल	0.00		
	पूरक	6,100.00	12,327.00	12,327.00
	पुनर्वि०	6,227.00		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 दिसंबर 2024 को ₹ 2,727.00 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 3,500.00 लाख की वृद्धि ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(6)	05 यू पी सी एल परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०)			
	मूल	0.00		
	पूरक	6,100.00	15,263.67	15,263.67
	पुनर्वि०	9,163.67		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 1,132.67 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 8,031.00 लाख की वृद्धि ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	12 पिटकुल हेतु ऋण (एस ए एस सी आई)			
	मूल	0.00		
		6,892.40	6,858.80	(-)33.60
	पुनर्वि०	6,892.40		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2025 को ₹ 694.40 लाख, दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 5,364.00 लाख, दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 246.00 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2025 को ₹ 588.00 लाख की वृद्धि ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2059	लोक निर्माण कार्य		
2216	आवास		
3054	सड़कें तथा सेतु		
<b>दत्तमत -</b>			
	मूल	15,65,55,75	
		17,29,55,75	15,60,36,30
			(-)1,69,19,45
	पूरक	1,64,00,00	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)		...
	अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 9,99,95 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।		
<b>भारित-</b>			
	मूल	47,40,00	
		47,40,00	47,26,04
			(-)13,96
	पूरक	...	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)		...
	अनुदान के राजस्व भारत अनुभाग में ₹ 3,05,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।		
<b>पूँजीगत:</b>			
4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय		
<b>दत्तमत -</b>			

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	मूल	14,04,30,00		
		14,04,30,00	13,72,41,84	(-31,88,16)
	पूरक	...		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

## टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 16,919.45 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 16,919.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 16,400.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	89,328.10	66,667.78	22,660.32
2020-21	98,685.65	76,969.95	21,715.70
2021-22	1,06,748.33	86,777.70	19,970.63
2022-23	1,04,943.22	90,235.38	14,707.84
2023-24	1,73,223.10	1,36,560.89	36,662.21

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2059 लोक निर्माण कार्य

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 निदेशन

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	6,842.10		
			6,822.10	(-)979.09
	पुनर्वि०	(-)20.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2025 को ₹ 20.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गई।			
	051 निर्माण			
(2)	03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखंड			
	मूल	56,859.64		
			56,879.64	(-)13,531.67
	पुनर्वि०	20.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2025 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	3054 सड़कें तथा सेतु			
	01 राष्ट्रीय राजमार्ग			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(3)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,000.00	4,000.00	(-)3,968.34
	03 राज्य राजमार्ग			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(4)	04 मोटर मार्ग अनुरक्षण कार्य हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था			
	मूल	800.00	800.00	(-)622.22

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

04 जिला एवं अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

(5) 05 मोटर मार्ग अनुरक्षण कार्य हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था

मूल	300.00	300.00	189.66	(-)110.34
-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

### 2059 लोक निर्माण कार्य

01 कार्यालय भवन

053 रखरखाव एवं मरम्मत

(1) 03 रखरखाव एवं मरम्मत (भारित)

मूल	0.00			
		1,000.00	0.00	(-)1,000.00
पूरक	1,000.00			

### 3054 सड़कें तथा सेतु

04 जिला एवं अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

(2) 98 नाबार्ड पोषित

मूल	0.00			
पूरक	5,000.00	565.73	0.00	(-)565.73
पुनर्वि०	(-)4,434.27			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2025 को ₹ 2,434.27 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 2,000.00 लाख की कमी अनुरक्षण में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 3054 सड़कें तथा सेतु

04 जिला एवं अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

(1) 03 अनुरक्षण एवं मरम्मत

मूल 55,867.00

पूरक 10,400.00 70,701.27 69,077.02 (-)1,624.25

पुनर्वि० 4,434.27

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2025 को ₹ 2,434.27 लाख तथा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

80 सामान्य

797 आरक्षित निधि /जमा में / से स्थानान्तरण खाता

(2) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 0.01 0.01 5,507.00 (+)5,506.99

राजस्व:

भारित-

(vii) ₹ 13.96 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) अनुदान के राजस्व भारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	746.00	469.00	277.00
2020-21	1,100.00	753.89	346.11
2021-22	972.00	855.21	116.79
2022-23	1,078.30	632.56	445.74
2023-24	1,130.00	908.92	221.08

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

पूँजीगत:

दत्तमत-

(ix) ₹ 3,188.16 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(x) ₹ 5,507.00 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

(xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,22,900.01	84,883.24	38,016.77
2020-21	1,27,970.02	1,04,463.80	23,506.22
2021-22	1,70,202.38	1,31,054.41	39,147.97
2022-23	1,56,580.00	1,23,513.74	33,066.26
2023-24	1,60,481.35	1,29,950.40	30,530.95

(xii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 02 लोक निर्माण (नए कार्य)

मूल	10.00	10.00	0.10	(-9.90)
-----	-------	-------	------	---------

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

## 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 जिला एवं अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

(2)	06 क्रोनिक स्लिप ज़ोन के उपचार हेतु व्यवस्था			
	मूल	1,000.00		
			500.00	471.57
				(-28.43)

पुनर्वि० (-)500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।

(3)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	35,000.00		
			23,465.13	21,552.51
				(-1,912.62)

पुनर्वि० (-)11,534.87

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2025 को ₹ 10,000.00 लाख तथा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 1,534.87 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।

902 घटाइये केन्द्रीय सड़क एवं अवसरंचना निधि से पूरी की गई धनराशि

(4)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	(-)0.01	(-)0.01	(-)5,507.00
				(-)5,506.99

₹ 5,507.00 लाख केन्द्रीय सड़क अवसरंचना निधि से व्यय के लिए प्राप्त हुए, जो कि प्रारंभ में मुख्य शीर्ष- 3054 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुए थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 जिला एवं अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

97 बाह्य सहायतित योजना

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xiv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 03 लोक निर्माण (चालू कार्य)

मूल	200.00			
-----	--------	--	--	--

	434.87	429.78	(-)5.09
--	--------	--------	---------

पुनर्वि०	234.87		
----------	--------	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 234.87 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

03 राज्य राजमार्ग

101 पुलों

(2) 03 पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण

## अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	5,000.00		
			6,300.00	6,219.56
				(-)80.44

पुनर्वि० 1,300.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 1300.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 04 जिला एवं अन्य सड़कें

## 337 सड़क निर्माण कार्य

## (3) 03 राज्य सेक्टर

	मूल	72,700.00		
			83,200.00	82,369.67
				(-)830.33

पुनर्वि० 10,500.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2025 को ₹ 10,000.00 लाख तथा दिनांक 18 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## (xv) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगिर्याँ-** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2024-25 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट- V** में दिया गया है।

## अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग			
2853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग			
3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	3,69,13,87		
		3,92,59,24	3,44,50,66 (-)48,08,58
पूरक	23,45,37		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 5,93 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।			
<b>पूँजीगत:</b>			
4851 ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			
4859 दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	50,60,01		
		50,60,01	38,67,13 (-)11,92,88
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

## अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,808.58 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 4,808.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 2,345.37 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	29,618.75	22,130.60	7,488.15
2020-21	36,847.68	22,220.87	14,626.81
2021-22	39,411.47	27,730.05	11,681.42
2022-23	39,061.58	32,525.19	6,536.39
2023-24	46,609.19	35,332.87	11,276.32

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 03 राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान

मूल	1,126.15	1,126.15	986.25	(-)139.90
-----	----------	----------	--------	-----------

## अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	<b>2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग</b>				
	00				
	101 औद्योगिक संपदा				
(2)	04 मेगा औद्योगिक/मेगा टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत अनुदान				
	मूल	3,500.00	3,500.00	2,500.00	(-1,000.00)
	102 लघु उद्योग				
(3)	03 अधिष्ठान व्यय				
	मूल	3,500.50			
	पुनर्वि०	40.65	3,541.15	2,622.05	(-919.10)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2025 को ₹ 40.65 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय व्यय, गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(4)	19 राज्य उद्योग मित्र एवं उद्यमिता विकास परिषद को सहायता				
	मूल	25.00	25.00	15.15	(-9.85)
(5)	23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूंजी उपादान सहायता				
	मूल	150.00			
	पुनर्वि०	(-40.65)	109.35	62.80	(-46.55)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2025 को ₹ 40.65 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।				
(6)	25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान				
	मूल	41.87	41.87	29.66	(-12.21)

## अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	51 निर्यात नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन				
	मूल	50.00	50.00	25.00	(-)25.00
(8)	52 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम				
	मूल	500.00	500.00	250.00	(-)250.00
<b>2853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग</b>					
02 खानों का विनियमन एवं विकास					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(9)	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान				
	मूल	2,646.51			
			2,681.98	1,793.55	(-)888.43
	पूरक	35.47			
102 खनिज अन्वेषण					
(10)	03 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व प्रबंध योजना				
	मूल	15.00	15.00	9.79	(-)5.21
<b>3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान</b>					
60 अन्य					
004 अनुसंधान और विकास					
(11)	09 उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान केन्द्र की स्थापना				
	मूल	535.00	535.00	467.00	(-)68.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	<b>2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग</b>			
	00			
	101 औद्योगिक संपदा			
(1)	05 स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (कार्यालय/सचिवालय)			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				(-)20.00
	102 लघु उद्योग			
(2)	21 क्लस्टर विकास योजना			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
(3)	29 एम०एस०एम०ई० अवस्थापना विकास			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
(4)	49 विभिन्न नीतियों के तहत विभिन्न उद्योगों को अनुदान			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00
				(-)1,000.00
(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	200.00	200.00	0.00
				(-)200.00
	103 हथकरघा उद्योग			
(6)	14 उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना			
	मूल	8.00	8.00	0.00
				(-)8.00

## अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## 2853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग

02 खानों का विनियमन एवं विकास

001 निदेशन तथा प्रशासन

(7) 04 राज्य खनिज विकास परिषद

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

(vi) ₹ 1,192.88 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	4,869.37	2,671.22	2,198.15
2020-21	11,050.04	1,010.71	10,039.33
2021-22	6,950.03	1,395.42	5,554.61
2022-23	15,956.02	12,039.62	3,916.40
2023-24	5,642.00	5,045.98	596.02

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 4851 ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 लघु उद्योग

## अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	11 ग्रोथ सेंटर का संचालन			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-10.00)
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	103 हथकरघा उद्योग			
(2)	02 हरिराम टम्टा पारंपरिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना एवं सहायता			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)
	<b>4859 दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	02 इलेक्ट्रॉनिक्स			
	004 अनुसंधान और विकास			
(3)	03 विज्ञान प्रौद्योगिकी इनोवेशन केंद्र की स्थापना			
	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00
				(-1,000.00)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2041 वाहन कर			
3053 सिविल उड्डयन			
3055 सड़क परिवहन			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	2,33,21,13		
		2,76,44,64	(-)28,53,83
पूरक	43,23,51		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			16,46,73
<b>पूँजीगत:</b>			
5053 सिविल उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय			
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
7055 सड़क परिवहन के लिए ऋण			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	2,73,50,06		
		2,78,42,07	(-)1,27,05,54
पूरक	4,92,01		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
<b>टिप्पणियां एवं टीकार्यें</b>			
<b>राजस्व:</b>			
<b>दत्तमत-</b>			

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(i) ₹ 2,853.83 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,646.73 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	12,236.09	10,280.67	1,955.42
2020-21	23,492.16	17,927.10	5,565.06
2021-22	21,836.30	15,440.84	6,395.46
2022-23	17,289.57	15,409.97	1,879.60
2023-24	19,197.19	18,025.93	1,171.26

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2041 वाहन कर

00

800 अन्य व्यय

(1) 03 स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलैट अधिष्ठान

मूल	101.84			
पूरक	17.50	89.58	89.58	0.00
पुनर्वि०	(-)29.76			

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 29.76 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## 3053 सिविल उड्डयन

02 विमान पट्टन

102 हवाई अड्डे

(2) 10 राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत अनुदान (टॉप अप)

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	1,013.28		
	पूरक	1,000.00	599.81	393.43
	पुनर्वि०	(-1,413.47)		(-206.38)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 1,413.47 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।

## (3) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

	मूल	1,700.00		
			1,200.00	1,200.00
	पुनर्वि०	(-500.00)		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 500.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।

## 80 सामान्य

## 003 प्रशिक्षण और शिक्षा

## (4) 03 नागरिक उड्डयन

	मूल	135.20		
			77.40	77.40
	पुनर्वि०	(-57.80)		0.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 57.80 लाख के अभ्यर्षण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## 3055 सड़क परिवहन

## 00

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

## (5) 03 परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	मूल	6,896.80		
	पूरक	106.00	5,443.63	5,443.63
	पुनर्वि०	(-),559.17		0.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,559.17 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता

(6) 13 चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहन चालको हेतु विश्राम, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा

	मूल	1,000.00		
			158.57	158.57
	पुनर्वि०	(-),841.43		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 841.43 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

### 3055 सड़क परिवहन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

11 अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम

	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-),000.00
--	-----	----------	----------	------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 3053 सिविल उड्डयन

02 विमान पट्टन

102 हवाई अड्डे

(1) 11 मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना (वी०जी०एफ०)

मूल 0.00

पूरक 500.00 2,413.47 2,413.47 0.00

पुनर्वि० 1,913.47

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 को ₹ 1,913.47 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 3055 सड़क परिवहन

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता

(2) 03 परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा की सुविधा / डीबीटी के लिए निगम को प्रतिकर भुगतान

मूल 2,600.00

पूरक 1,200.00 4,394.74 4,394.74 0.00

पुनर्वि० 594.74

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 594.74 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 12 उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति

मूल 3,000.00

पूरक 1,500.00 4,746.69 4,746.69 0.00

पुनर्वि० 246.69

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 246.69 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

- (vi) ₹ 12,705.54 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 12,705.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 492.01 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	17,350.02	3,047.35	14,302.67
2020-21	44,806.02	4,885.88	39,920.14
2021-22	43,059.80	10,963.31	32,096.49
2022-23	18,985.78	13,964.72	5,021.06
2023-24	28,600.07	16,466.74	12,133.33

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 5053 सिविल उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय

02 हवाई अड्डा

102 हवाई अड्डे

- (1) 03 हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण

मूल	4,000.00	4,000.00	2,195.50	(-1,804.50)
-----	----------	----------	----------	-------------

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(2)	07 हवाई पट्टी / हेलीपैड निर्माण / विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर/ अध्यापति / एन0पी0वी0 का भुगतान			
	मूल	10,400.00	10,400.00	840.66
				(-9,559.34)

## 5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

050 भूमि और भवन

(3)	16 नरेन्द्र नगर में बस अड्डे का निर्माण			
	मूल	250.00		
			150.00	149.41
				(-0.59)

पुनर्वि० (-)100.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2024 को ₹ 100.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।

(4)	17 व्हीकल टेस्टिंग सेंटर का निर्माण			
	मूल	2,000.00		
			398.03	394.11
				(-3.92)

पुनर्वि० (-)1,601.97

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 को ₹ 1,271.34 लाख तथा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 330.63 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।

## 7055 सड़क परिवहन के लिए ऋण

00

101 सड़क परिवहन निगमों को शाश्वत ऋण

(5)	05 बसों की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए अनुदान			
	मूल	1,000.00	1,000.00	160.83
				(-839.17)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

00

050 भूमि और भवन

- |     |  |             |      |      |
|-----|--|-------------|------|------|
| (1) | 10 हलद्वानी में आई०एस०बी०टी० की स्थापना (एस०पी०ए०)   |             |      |      |
|     | मूल  | 1,000.00    |      |      |
|     |  |             | 0.00 | 0.00 |
|     | पुनर्वि०   | (-1,000.00) |      |      |
|     | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 को ₹ 1,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।  |             |      |      |
| (2) | 18 हलद्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय /भवन निर्माण   |             |      |      |
|     | मूल  | 1,000.00    |      |      |
|     |  |             | 0.00 | 0.00 |
|     | पुनर्वि०   | (-1,000.00) |      |      |
|     | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 को ₹ 1,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।  |             |      |      |
| (3) | 19 प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण  |             |      |      |
|     | मूल  | 1,000.00    |      |      |
|     |  |             | 0.00 | 0.00 |
|     | पुनर्वि०   | (-1,000.00) |      |      |
|     | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 को ₹ 600.00 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 400.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई। |             |      |      |

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(4)	20 ई वी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण			
	मूल	1,000.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,000.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 1,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।			

(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	0.00		
			492.01	0.00
	पूरक	492.01		(-492.01

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

00

## 050 भूमि और भवन

(1)	03 परिवहन आयुक्त/ संभागीय कार्यालयों के अनावासीय भवन हेतु भूमि क्रय			
	मूल	700.00		
			1,082.91	1,082.91
	पुनर्वि०	382.91		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 को ₹ 600.00 लाख तथा दिनांक 17 दिसंबर 2024 को ₹ 20.22 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 144.12 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 93.19 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई।

## अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	15 बस अड्डो का निर्माण			
	मूल	4,000.00		
			9,386.13	0.00
	पुनर्वि०	5,386.13		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2024 को ₹ 3,271.34 लाख, दिनांक 17 दिसंबर 2024 को ₹ 100.00 लाख, दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 1,521.60 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 493.19 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2408 खाद्य, भंडारण तथा भंडारागारण			
3456 सिविल आपूर्ति			
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	3,31,68,17		
		3,32,49,67	2,18,43,97 (-)1,14,05,70
पूरक	81,50		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
<b>पूँजीगत:</b>			
4408 खाद्य भंडारण तथा भण्डारागारण पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	6,13,00,00		
		6,13,00,00	6,04,83,25 (-)8,16,75
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

## टिप्पणियां एवं टीकार्यें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- (i) ₹ 11,405.70 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 11,405.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 81.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

## अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	22,558.98	4,852.17	17,706.81
2020-21	22,314.17	9,213.81	13,100.36
2021-22	16,357.86	10,307.17	6,050.69
2022-23	26,329.73	18,143.61	8,186.12
2023-24	56,754.77	20,028.59	36,726.18

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2408 खाद्य, भंडारण तथा भंडारागारण

## 01 खाद्य

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	04 राज्य खाद्य आयोग			
	मूल	53.07		
			68.57	38.78
				(-)29.79
	पूरक	15.50		
(2)	05 खाद्य गोदामों /भवनो की मरम्मत एवं रख-रखाव			
	मूल	300.00	300.00	54.72
				(-)245.28
(3)	08 अन्त्योदय राशन कार्ड धारको को सस्ती दर पर नमक उपलब्ध कराना			
	मूल	3,436.02	3,436.02	2,508.87
				(-)927.15

## अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 खाद्य उपादान			
(4)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	8,180.01	8,180.01	4,759.00
				(-)3,421.01
(5)	05 शक्कर वितरण योजना के अंतर्गत परिवहन एवं कर का भुगतान			
	मूल	200.00	200.00	39.02
				(-)160.98
(6)	07 राज्य के समस्त लाभार्थियों के राशन कार्ड को ऑनलाइन किया जाना			
	मूल	10.00		
			21.00	6.96
				(-)14.04
	पूरक	11.00		
	<b>3456 सिविल आपूर्ति</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(7)	04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निदेशालय की स्थापना			
	मूल	1,507.25	1,507.25	1,118.86
				(-)388.39
	102 नागरिक आपूर्ति योजना			
(8)	02 निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान			
	मूल	5,500.00	5,500.00	2,000.00
				(-)3,500.00
	<b>3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ</b>			
	00			
	106 बाट और माप का विनियमन			
(9)	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	792.51	792.51	661.35
				(-)131.16
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।			

## अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2408 खाद्य, भंडारण तथा भंडारागारण

01 खाद्य

102 खाद्य उपादान

06 राज्य खाद्यान्न योजना

मूल	2,000.00			
		1,900.00	0.00	(-1,900.00)
पुनर्वि०	(-100.00)			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

(vi) ₹ 816.75 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹ 429.19 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4408 खाद्य भंडारण तथा भण्डारागारण पर पूँजीगत परिव्यय

02 भण्डारण एवं भण्डारागारण

800 अन्य व्यय

06 गोदामों का निर्माण

मूल	100.00	100.00	75.73	(-24.27)
-----	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>3452 पर्यटन</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	1,83,08,06		
		1,98,94,58	(-),12,30,48
पूरक	15,86,52		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...
<b>पूँजीगत:</b>			
<b>5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	2,07,75,02		
		2,57,75,02	(-),42,15,81
पूरक	50,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

## टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,230.48 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

## अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	9,875.11	5,752.30	4,122.81
2020-21	10,491.05	6,490.35	4,000.70
2021-22	12,868.91	7,919.95	4,948.96
2022-23	13,409.26	12,022.63	1,386.63
2023-24	15,159.76	14,612.34	547.42

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**3452 पर्यटन***80 सामान्य*

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	04 यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान			
	मूल	156.50		
			187.52	113.41
				(-74.11)
	पूरक	31.02		
(2)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)			
	मूल	401.00	401.00	333.56
				(-67.44)
(3)	11 दीनदयाल मात-पितृ तीर्थाटन योजना			
	मूल	100.00	100.00	88.71
				(-11.29)
(4)	12 होटल प्रबंधन संस्थान, नई टिहरी			
	मूल	300.00	300.00	184.49
				(-115.51)

## अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	104 प्रचार एवं प्रसार			
(5)	18 राजकीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान			
	मूल	445.56		
			501.06	(-)172.87
	पूरक	55.50		
(6)	26 उत्तराखंड पर्यटन नीति 2018 हेतु अनुदान			
	मूल	600.00	600.00	(-)500.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

18 फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट अल्मोड़ा को अनुदान

मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

(v) ₹ 4,215.81 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

## अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	13,260.02	8,869.07	4,390.95
2020-21	18,054.20	12,330.69	5,723.51
2021-22	15,239.81	11,122.53	4,117.28
2022-23	22,300.03	19,161.40	3,138.63
2023-24	16,045.00	13,579.10	2,465.90

(vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

## 01 पर्यटक अवसंरचना

## 101 पर्यटक केंद्र

## (1) 03 इको टूरिज्म

मूल	300.00	300.00	182.00	(-118.00)
-----	--------	--------	--------	-----------

## 80 सामान्य

## 104 प्रचार एवं प्रसार

## (2) 04 राज्य सेक्टर

मूल	19,275.01	19,275.01	15,202.21	(-4,072.80)
-----	-----------	-----------	-----------	-------------

## (3) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	100.00	100.00	75.00	(-25.00)
-----	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 27 वन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2406 वानिकी और वन्य जीवन			
3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	9,37,48,44		
		9,77,66,03	11,63,63,93 (+)1,85,97,90
पूरक	40,17,59		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			1,11,95,93
<b>पूँजीगत:</b>			
4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	1,23,63,00		
		1,23,63,00	1,10,33,62 (-)13,29,38
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			13,22,38
<b>टिप्पणियां एवं टीकार्यें</b>			
<b>राजस्व:</b>			
<b>दत्तमत-</b>			
(i) राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत ₹ 18,597.90 लाख (₹ 1,85,97,90,048) का व्ययाधिक्य है, जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है। उक्त व्ययाधिक्य मुख्य शीर्ष 2406 के अंतर्गत शुद्ध बजटन के कारण हुआ है।			
(ii) ₹ 18,597.90 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 4,017.59 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।			
(iii) ₹ 85,069.69 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।			

## अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2406 वानिकी और वन्य जीवन

## 01 वानिकी

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

## (1) 03 अधिष्ठान एवं क्षमता विकास (24060100104,06,07,00302 सम्मिलित)

मूल	62,430.01			
पूरक	375.00	55,937.26	55,937.26	0.00
पुनर्वि०	(-)6,867.75			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2025 को ₹ 35.00 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 50.00 लाख की कमी मजदूरी में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 6,782.75 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## 101 वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन

## (2) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	3,800.01			
		4,017.60	2,220.62	(-)1,796.98
पूरक	217.59			

## (3) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	569.51	569.51	224.53	(-)344.98
-----	--------	--------	--------	-----------

## 02 पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन

## 110 वन्य जीवन संरक्षण

## (4) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	3,985.00			
		3,816.10	2,206.51	(-)1,609.59
पुनर्वि०	(-)168.90			

## अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 168.90 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	916.79		
			1,085.69	601.76
				(-)483.93
	पुनर्वि०	168.90		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 168.90 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

## 04 वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास

103 राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण

(6)	03 राज्य प्राधिकरण			
	मूल	34,300.03		
	पूरक	100.00	30,287.69	30,287.69
	पुनर्वि०	(-)4,112.34		0.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 4,112.34 लाख के अभ्यर्षण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

902 कटौती - राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि से प्राप्त राशि

(7)	70 घटाएं वापसी			
	मूल	(-)34,300.03	(-)34,300.03	(-)85,069.69
				(-)50,769.66

वित्तीय वर्ष 2024-25 से सम्बंधित ₹ 30,287.69 लाख राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि से राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा हेतु प्रतिपूर्ति की गई, जो कि प्रारंभ में लेखा शीर्ष- 2406-04-103-03 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुई थी एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 से सम्बंधित ₹ 54,782.00 लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई।

## अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## 3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

03 पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक पुनर्जनन

102 पर्यावरण योजना और समन्वय

(8) 02 पर्यावरण निदेशालय (अनुदान 7 से स्थानान्तरित)

मूल	114.12	114.12	72.60	(-)41.52
-----	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

03 पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक पुनर्जनन

102 पर्यावरण योजना और समन्वय

05 सुन्दरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना

मूल	8.00	8.00	0.00	(-)8.00
-----	------	------	------	---------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

(vi) ₹ 1,329.38 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,322.38 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

## अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	9,059.96	3,676.14	5,383.82
2020-21	8,445.07	4,824.91	3,620.16
2021-22	7,543.23	4,569.03	2,974.20
2022-23	9,047.40	5,260.20	3,787.20
2023-24	7,470.59	5,867.03	1,603.56

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय****01 वानिकी**

101 वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन

(1) 08 वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन (44060110111,80009 सम्मिलित)

मूल 700.00

138.15 138.15 0.00

पुनर्वि० (-)561.85

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 27.97 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 533.88 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

**02 पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन**

110 वन्यजीव

(2) 06 मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास (44060110115,8001 सम्मिलित)

मूल 1,000.00

156.93 156.93 0.00

पुनर्वि० (-)843.07

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को ₹ 454.76 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 388.31 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 27 वन समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(ix) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

## 01 वानिकी

101 वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन

(1) 04 आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

मूल 200.00

227.97 227.97 0.00

पुनर्वि० 27.97

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 27.97 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 02 पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन

110 वन्यजीव

(2) 04 वन्य जीव प्रबंधन, राष्ट्रीय पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास तथा जू प्रबंधन (44060211002,03,11102 सम्मिलित)

मूल 2,550.00

2,896.16 2,896.16 0.00

पुनर्वि० 346.16

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को ₹ 454.76 लाख की वृद्धि वृक्षारोपण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 108.60 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
2403 पशुपालन			
2404 डेयरी विकास			
2405 मत्स्य पालन			

## दत्तमत -

मूल	6,48,54,21		
		6,66,46,77	5,38,39,75
			(-)1,28,07,02
पूरक	17,92,56		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			5,32,28

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,20,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,30,83 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 2,28,38 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

## पूँजीगत:

4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय
4404 डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय
4405 मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय
6404 डेयरी विकास के लिए ऋण

## दत्तमत -

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	मूल	1,43,00,01		
			1,77,80,58	(-56,57,45)
	पूरक	34,80,57		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			10,34,93

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 9,99,73 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

## टिप्पणियां एवं टीकायें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- ₹ 12,807.02 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 532.28 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 12,807.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 1,792.56 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- ₹ 102.41 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	34,401.62	29,372.10	5,029.52
2020-21	40,245.98	32,183.80	8,062.18
2021-22	40,340.64	33,014.51	7,326.13
2022-23	49,417.80	40,422.74	8,995.06
2023-24	57,658.63	49,857.15	7,801.48

- बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2403 पशुपालन</b>				
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 निदेशालय			
	मूल	31,357.16		
			31,350.60	27,583.28
				(-3,767.32)
	पुनर्वि०	(-6.56)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 6.56 लाख की कमी व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण की गई।			
	101 पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य			
(2)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,707.02		
			1,992.98	1,184.78
				(-808.20)
	पुनर्वि०	285.96		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 285.96 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	13 कृत्रिम गर्भाधान हेतु बीएआईएफ केन्द्रों का संचालन			
	मूल	323.06	323.06	254.82
				(-68.24)
(4)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	689.47		
			613.32	127.70
				(-485.62)
	पुनर्वि०	(-76.15)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 76.15 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 मवेशी और भैंस विकास			
(5)	09 पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य के लिए अनुदान			
	मूल	2,500.00		
			1,050.19	1,050.00
				(-)0.19
	पुनर्वि०	(-)1,449.81		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 209.81 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 1,240.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गई।			
(6)	11 पैरावेट को कृत्रिम गर्भाधान योजना			
	मूल	200.00	200.00	177.54
				(-)22.46
	106 अन्य पशुधन विकास			
(7)	22 पशु धन मिशन योजना ऋण पर ब्याज भुगतान			
	मूल	3,831.03	3,831.03	609.01
				(-)3,222.02
(8)	25 ग्राम्य गौ सेवक योजना			
	मूल	0.00		
			50.00	21.04
				(-)28.96
	पूरक	50.00		
	113 प्रशासनिक जांच और आंकड़े			
(9)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	184.92	184.92	160.47
				(-)24.45

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2404 डेयरी विकास</b>			
	00			
	102 डेयरी विकास परियोजनाएँ			
(10)	11 दूध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन			
	मूल	3,000.00		
			2,450.00	0.00
	पुनर्वि०	(-550.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 550.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गई।			
(11)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	200.00	154.59	(-45.41)
			200.00	
	<b>2405 मत्स्य पालन</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(12)	03 अधिष्ठान			
	मूल	2,040.01		
			1,524.93	0.00
	पुनर्वि०	(-515.08)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 515.08 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन			
(13)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,100.01		
	पूरक	230.83	2,000.44	(-3,880.40)
	पुनर्वि०	550.00		

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 550.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2405 मत्स्य पालन**

00

101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन

95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	550.02			
		0.02	0.00	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)550.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 550.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**2403 पशुपालन**

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य

(1) 12 नकुल स्वास्थ्य पत्र/ पशुधन संजीवनी

मूल	13.30			
		19.86	19.86	0.00
पुनर्वि०	6.56			

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2025 को ₹ 6.56 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## 2404 डेयरी विकास

00

102 डेयरी विकास परियोजनाएँ

(2) 15 सैलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना

मूल	3,000.00			
पूरक	1,000.00	5,790.00	5,790.00	0.00
पुनर्वि०	1,790.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 1,790.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## पूँजीगत:

## दत्तमत-

(viii) ₹ 5,657.45 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,034.93 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(ix) ₹ 5,657.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 3,480.57 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	3,762.69	1,322.73	2,439.96
2020-21	2,895.55	848.89	2,046.66
2021-22	3,049.30	814.54	2,234.76
2022-23	6,525.02	2,655.01	3,870.01
2023-24	7,975.00	6,814.38	1,160.62

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

106 अन्य पशुधन विकास

(1) 98 नाबार्ड पोषित

मूल	6,100.00	6,100.00	3,904.24	(-),195.76
-----	----------	----------	----------	------------

## 4404 डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 डेयरी विकास परियोजनाएँ

(2) 98 नाबार्ड पोषित

मूल	4,000.00	4,000.00	3,074.59	(-),925.41
-----	----------	----------	----------	------------

## 4405 मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन

(3) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	2,000.00			
पूरक	1,155.59	3,355.60	2,438.58	(-),917.02
पुनर्वि०	200.01			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 200.01 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(4)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	200.00		
	पूरक	74.98	74.97	74.97
	पुनर्वि०	(-)200.01		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 200.01 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			

(5)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	1,500.00		
			465.07	465.07
	पुनर्वि०	(-)1,034.93		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 1,034.93 लाख के अभ्यर्षण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## 6404 डेयरी विकास के लिए ऋण

00

	102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(6)	03 डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाँल्विंग फण्ड			
	मूल	0.00		
			1,500.00	1,000.00
	पूरक	1,500.00		(-)500.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व:</b>			
<b>2401 फसल कृषिकर्म</b>			
<b>दत्तमत -</b>			
मूल	4,44,04,47		
		4,45,97,11	3,17,78,42
			(-)1,28,18,69
पूरक	1,92,64		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में ₹ 7,12,78 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2025 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

**भारित-**

मूल	3,17,36		
		3,17,36	2,54,55
			(-)62,81
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

अनुदान के राजस्व भारत अनुभाग में ₹ 1,21,52 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व भारत अनुभाग में ₹ 84,30 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

**पूँजीगत:**

**4401 फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय**

**दत्तमत -**

## अनुदान सं० 29 औधानिक विकास क्रमशः...

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,31,00,00		
	1,31,00,00	52,43,95	(-78,56,05)
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			...

## टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 12,818.69 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 12,818.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 192.64 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	32,885.99	26,087.16	6,798.83
2020-21	42,067.36	32,351.15	9,716.21
2021-22	40,186.03	33,233.98	6,952.05
2022-23	53,674.41	39,512.59	14,161.82
2023-24	58,937.66	35,459.73	23,477.93

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2401 फसल कृषिकर्म

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

## अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,317.61		
			5,455.28	2,701.77
				(-2,753.51)
	पुनर्वि०	137.67		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 97.89 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 35.80 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 3.98 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	03 औद्योगिक विकास			
	मूल	21,439.53		
	पूरक	79.00	20,793.53	17,755.69
				(-3,037.84)
	पुनर्वि०	(-725.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 75.00 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 800.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।			
(3)	07 शहतूत की खेती एवं रेशमी विकास			
	मूल	2,180.22	2,180.22	1,887.57
				(-292.65)
(4)	09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान			
	मूल	800.00		
			880.00	780.00
				(-100.00)
	पूरक	80.00		
(5)	10 मधु मक्खी पालन की योजना			
	मूल	45.80	45.80	40.26
				(-5.54)

## अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना			
	मूल	69.01	69.01	51.15
				(-17.86)
(7)	26 सगन्ध पौधा केंद्र को अनुदान और सगन्ध पौधों के क्लस्टर विकास (09 से स्थानान्तरित)			
	मूल	2,450.00		
			2,470.00	2,170.00
				(-300.00)
	पूरक	20.00		
(8)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	1,028.58		
			815.91	256.84
				(-559.07)
	पुनर्वि०	(-212.67)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को ₹ 75.00 लाख, दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 97.89 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 35.80 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 3.98 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण तथा सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गई।			
(9)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	2,137.43	2,137.43	847.23
				(-1,290.20)
(10)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	2,000.00	2,000.00	1,544.00
				(-456.00)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2401 फसल कृषिकर्म

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

(1) 31 मिशन एप्पल योजना

मूल	3,500.00	3,500.00	0.00	(-)3,500.00
-----	----------	----------	------	-------------

(2) 36 औद्योगिक उत्पादों का ढुलान

मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
-----	------	------	------	---------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3) 98 नाबार्ड पोषित

मूल	500.01	500.01	0.00	(-)500.01
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

## 2401 फसल कृषिकर्म

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

34 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना

मूल	1,000.00			
		1,800.00	1,799.97	(-)0.03

पुनर्वि०	800.00			
----------	--------	--	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 800.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

राजस्व:

भारित-

(vii) ₹ 62.81 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	172.55	106.02	66.53
2020-21	157.55	145.66	11.89
2021-22	162.43	147.06	15.37
2022-23	199.48	165.01	34.47
2023-24	230.12	183.31	46.81

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2401 फसल कृषिकर्म

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

03 औद्योगिक विकास

मूल	317.36	317.36	254.55	(-)62.81
-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(x) ₹ 7,856.05 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

## अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xi) ₹ 819.04 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

(xii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4401 फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

98 नाबार्ड पोषित

मूल	9,500.00	9,500.00	4,008.27	(-5,491.73)
-----	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 4401 फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

(1) 13 राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण

मूल	200.00	200.00	0.00	(-200.00)
-----	--------	--------	------	-----------

(2) 14 रोपवे का निर्माण

मूल	100.00	100.00	0.00	(-100.00)
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-2,000.00)
-----	----------	----------	------	-------------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेलकूद और युवा सेवाएँ		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना एवं प्रचार		
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
2401	फसल कृषिकर्म		
2403	पशुपालन		
2404	डेयरी विकास		
2405	मत्स्य पालन		
2406	वानिकी और वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2505	ग्रामीण रोजगार		
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
2701	मध्यम सिंचाई		
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
2810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा		
2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	दत्तमत -			
	मूल	18,06,18,32		
		18,97,26,74	10,76,34,38	(-)8,20,92,36
	पूरक	91,08,42		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			9,68

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 62,49 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

## पूँजीगत:

- 4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय
- 4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
- 4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
- 4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय
- 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
- 4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
- 4405 मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय
- 4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय
- 4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
- 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
- 4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
- 4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
- 4810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजी परिव्यय
- 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
- 5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय
- 5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
दत्तमत -				
	मूल	3,78,46,26		
			3,97,16,15	(-)1,26,08,90
	पूरक	18,69,89		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)			7,92,62

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 82,092.36 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 9.68 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 82,092.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 9,108.42 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	1,20,953.24	82,957.32	37,995.92
2020-21	1,21,166.22	93,289.04	27,877.18
2021-22	1,50,760.08	87,061.78	63,698.30
2022-23	1,73,893.18	1,10,433.69	63,459.49
2023-24	1,79,199.82	1,19,523.06	59,676.76

- (iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारंभिक शिक्षा

112 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम पोषण)

- (1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	3,320.10	3,320.10	2,917.15	(-)402.95
-----	----------	----------	----------	-----------

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 माध्यमिक शिक्षा			
	106 पाठ्य पुस्तक			
(2)	02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तक			
	मूल	1,140.00		
			2,040.00	1,610.99
				(-)429.01
	पूरक	900.00		
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(3)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	2,477.05	2,477.05	2,152.68
				(-)324.37
	113 समग्र शिक्षा			
(4)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	10,072.00		
			13,737.00	11,738.06
				(-)1,998.94
	पूरक	3,665.00		
(5)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	1,008.00		
			1,528.00	1,304.23
				(-)223.77
	पूरक	520.00		

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	800 अन्य व्यय				
(6)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	625.00			
			1,854.83	798.51	(-)1,056.32
	पूरक	1,229.83			
(7)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	69.44			
			206.09	88.72	(-)117.37
	पूरक	136.65			
	03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	270.00	270.00	204.15	(-)65.85
	2204 खेलकूद और युवा सेवाएँ				
	00				
	104 खेलकूद और क्रीड़ा				
(9)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान				
	मूल	30.00	30.00	21.34	(-)8.66
	2205 कला तथा संस्कृति				
	00				
	102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्धन				
(10)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान				
	मूल	50.00	50.00	5.18	(-)44.82

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>				
<i>03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी</i>				
110 अस्पताल एवं औषधालय				
(11)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	1,800.01	1,800.01	42.64 (-)1,757.37
<i>06 लोक स्वास्थ्य</i>				
101 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण				
(12)	02 राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना			
	मूल	552.03	552.03	383.30 (-)168.73
(13)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन (पी0पी0पी0)			
	मूल	309.71	309.71	194.30 (-)115.41
<b>2211 परिवार कल्याण</b>				
<i>00</i>				
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ				
(14)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,255.01	1,255.01	744.61 (-)510.40
<b>2217 शहरी विकास</b>				
<i>03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास</i>				
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार मंडलों आदि को सहायता।				
(15)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,380.00	4,380.00	2,263.34 (-)2,116.66

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	850.00	850.00	318.20 (-)531.80
(17)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	525.00	525.00	423.50 (-)101.50
	800 अन्य व्यय			
(18)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	80.00	80.00	56.25 (-)23.75
<b>2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण</b>				
<i>01 अनुसूचित जाति का कल्याण</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(19)	07 एस.सी.पी./टी.एस.पी. नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	94.40	94.40	83.86 (-)10.54
(20)	08 अनुसूचित जाति आयोग का अधिष्ठान मूल	136.76	136.76	85.24 (-)51.52
102 आर्थिक विकास				
(21)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,185.00	1,775.00	430.04 (-)1,344.96
	पूरक	590.00		

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(22)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना			
	मूल	17.62	17.62	4.03
				(-)13.59
(23)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	185.00	185.00	118.55
				(-)66.45
	277 शिक्षा			
(24)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
	मूल	381.34	381.34	289.08
				(-)92.26
(25)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन			
	मूल	628.98		
			633.98	437.57
				(-)196.41
	पूरक	5.00		
(26)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास			
	मूल	604.19		
			609.51	434.86
				(-)174.65
	पूरक	5.32		
(27)	16 अनु० जाति के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति			
	मूल	1,265.00	1,265.00	310.30
				(-)954.70
(28)	18 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना			
	मूल	269.12	269.12	140.47
				(-)128.65

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(29)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	2,968.20	2,968.20	2,278.30	(-)689.90
	283 आवास				
(30)	02 अटल आवास योजना				
	मूल	670.80	670.80	547.40	(-)123.40
	793 अनुसूचित जाति घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता				
(31)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	500.00	500.00	172.68	(-)327.32
	<b>2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास</b>				
	02 रोजगार सेवा				
	101 रोजगार सेवाएँ				
(32)	02 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना				
	मूल	79.62	79.62	63.60	(-)16.02
	<b>2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
	02 समाज कल्याण				
	101 विकलांगों का कल्याण				
(33)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान				
	मूल	2,855.00	2,855.00	2,516.60	(-)338.40
	102 बाल कल्याण				
(34)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	4,750.59	4,750.59	330.70	(-)4,419.89

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(35)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	564.93	564.93	234.21	(-)330.72
	<i>03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>				
	789 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान				
(36)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	2,899.98			
			2,900.48	2,281.10	(-)619.38
	पुनर्वि०	0.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 0.50 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय तथा सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(37)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप				
	मूल	9,597.73			
			9,588.31	7,464.87	(-)2,123.44
	पुनर्वि०	(-)9.42			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2025 को ₹ 8.92 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 0.50 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गई।				
	<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम</i>				
	102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन				
(38)	03 किसान पेंशन योजना				
	मूल	840.00	840.00	340.50	(-)499.50

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2401 फसल कृषिकर्म</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(39)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,313.31		
	पूरक	591.09	3,989.70	2,315.91 (-)1,673.79
	पुनर्वि०	85.30		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को ₹ 11.63 लाख, दिनांक 06 फरवरी 2025 को ₹ 28.56 लाख तथा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 45.11 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(40)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	548.43		
	पूरक	0.19	463.32	203.30 (-)260.02
	पुनर्वि०	(-)85.30		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को ₹ 11.63 लाख, दिनांक 06 फरवरी 2025 को ₹ 28.56 लाख तथा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 45.11 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
	109 विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण			
(41)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,180.21		
	पूरक	597.00	1,843.99	1,124.56 (-)719.43
	पुनर्वि०	66.78		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को ₹ 6.89 लाख, दिनांक 22 जनवरी 2025 को ₹ 10.22 लाख, दिनांक 05 फरवरी 2025 को ₹ 28.89 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 20.78 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(42)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	196.80		
	पूरक	1.00	131.02	76.85 (-)54.17
	पुनर्वि०	(-)66.78		

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को ₹ 6.89 लाख, दिनांक 22 जनवरी 2025 को ₹ 10.22 लाख, दिनांक 05 फरवरी 2025 को ₹ 28.89 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 20.78 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण तथा सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गई।

114 तिलहन विकास

(43) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	19.00			
		19.67	7.32	(-)12.35

पुनर्वि० 0.67

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को ₹ 0.67 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

119 बागवानी और सब्जी फसलें

(44) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	1,372.72			
		1,400.83	474.50	(-)926.33

पुनर्वि० 28.11

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 23.44 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 4.20 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 0.47 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(45) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	171.75			
		143.64	27.64	(-)116.00

पुनर्वि० (-)28.11

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 23.44 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 4.20 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2025 को ₹ 0.47 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(46)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	372.00	372.00	111.75
				(-)260.25

**2403 पशुपालन**

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य

(47)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	442.43		
			475.73	311.95
				(-)163.78

पुनर्वि० 33.30

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 8.18 लाख तथा दिनांक 05 मार्च 2025 को ₹ 25.12 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(48)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	49.16		
			38.37	7.42
				(-)30.95

पुनर्वि० (-)10.79

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 8.18 लाख तथा दिनांक 05 मार्च 2025 को ₹ 2.61 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

(49)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
	पूरक	258.65	236.14	64.77
				(-)171.37

पुनर्वि० (-)22.51

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2025 को ₹ 22.51 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

**2405 मत्स्य पालन**

00

101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन

(50) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,025.10

1,139.00 381.13 (-)757.87

पुनर्वि० 113.90

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 113.90 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**2406 वानिकी और वन्य जीवन**

01 वानिकी

101 वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन

(51) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 135.00

135.00 11.19 (-)123.81

(52) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल 15.00

15.00 1.24 (-)13.76

02 पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन

110 वन्य जीवन संरक्षण

(53) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 392.00

392.00 167.19 (-)224.81

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(54)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	110.00	110.00	30.26 (-)79.74
	<i>04 वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास</i>			
	101 राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम			
(55)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	831.61	831.61	478.00 (-)353.61
(56)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	92.41	92.41	53.11 (-)39.30
	<b>2425 सहकारिता</b>			
	<i>00</i>			
	800 अन्य व्यय			
(57)	08 दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना मूल	1,800.00	1,800.00	1,468.10 (-)331.90
	<b>2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम</b>			
	<i>06 स्व-रोजगार कार्यक्रम</i>			
	102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
(58)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	56.70	56.70	26.77 (-)29.93
	<b>2505 ग्रामीण रोजगार</b>			
	<i>02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ</i>			
	101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून			

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(59)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	5,000.00	5,000.00	3,120.21	(-),879.79
(60)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	3,000.00	3,000.00	1,040.07	(-),959.93
<b>2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>					
00					
102 सामुदायिक विकास					
(61)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	28,549.12	28,549.12	4,222.44	(-),326.68
(62)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	3,172.12	3,172.12	371.49	(-),2,800.63
<b>2810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा</b>					
00					
101 ग्रिड इंटरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय शक्ति					
(63)	03 घरेलु उपभोक्ताओ को वाटर हीटर प्लांट, रूफ टॉप सोलर प्लांट हेतु उरेडा को सहायता				
	मूल	162.00	162.00	12.00	(-),150.00
102 ग्रामीण अनुप्रयोगो के लिए नवीकरणीय शक्ति					
(64)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान				
	मूल	359.56	359.56	35.20	(-),324.36

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## 3452 पर्यटन

80 सामान्य

104 प्रचार एवं प्रसार

(65) 03 दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना

मूल	150.00	150.00	99.42	(-)50.58
-----	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2202 सामान्य शिक्षा

03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

## 2203 तकनीकी शिक्षा

00

112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान

(2) 04 इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा को सहायक अनुदान

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

**2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**

02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ

789 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान

(3) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	800.00	800.00	0.00	(-)800.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(4) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	80.00	80.00	0.00	(-)80.00
-----	-------	-------	------	----------

03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी

110 अस्पताल एवं औषधालय

(5) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	18,000.01	18,000.01	0.00	(-)18,000.01
-----	-----------	-----------	------	--------------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण**

01 अनुसूचित जाति का कल्याण

102 आर्थिक विकास

(6) 08 सफाई कर्मचारियों की सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु होने पर अनुदान

मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	277 शिक्षा			
(7)	07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना			
	मूल	1,100.00	1,100.00	0.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-),1,100.00
	<b>2403 पशुपालन</b>			
	00			
	113 प्रशासनिक जांच और आंकड़े			
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16.00	16.00	0.00
				(-),16.00
	<b>2405 मत्स्य पालन</b>			
	00			
	101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन			
(9)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	113.90		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-),113.90		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 113.90 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
	<b>2406 वानिकी और वन्य जीवन</b>			
	01 वानिकी			
	102 सामाजिक और कृषि वानिकी			
(10)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	142.50	142.50	0.00
				(-),142.50

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	14.25	14.25	0.00	(-)14.25
<b>2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>					
00					
102 सामुदायिक विकास					
(12)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप				
	मूल	791.40	791.40	0.00	(-)791.40
<b>2701 मध्यम सिंचाई</b>					
80 सामान्य					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(13)	03 ट्यूबवेल, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य				
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(vi) ₹ 12,608.90 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 792.62 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(vii) ₹ 12,608.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 1,869.89 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	32,665.51	23,800.03	8,865.48
2020-21	42,818.73	30,320.38	12,498.35
2021-22	61,685.11	31,381.05	30,304.06
2022-23	35,597.84	23,357.81	12,240.03
2023-24	67,123.55	50,189.98	16,933.57

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

## 01 सामान्य शिक्षा

## 202 माध्यमिक शिक्षा

(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,600.00		
			7,676.55	5,408.73
				(-),2,267.82
	पूरक	76.55		
(2)	02 अनु०सू०जा० के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	200.00	200.00	153.38
				(-),46.62
(3)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	844.45	844.45	600.97
				(-),243.48

## 02 तकनीकी शिक्षा

## 105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान

(4)	05 इंजीनियरिंग कॉलेज घुडदौड़ी			
	मूल	100.00	100.00	50.00
				(-),50.00

## 4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय

## 01 जलापूर्ति

## 101 शहरी जल आपूर्ति

(5)	05 नगरीय पेयजल			
	मूल	220.00	220.00	64.78
				(-),155.22

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(6)	02 हैण्डपम्पो का अधिष्ठान			
	मूल	500.00	500.00	151.72
				(-)348.28
	02 सीवरेज एवं स्वच्छता			
	106 मलजल सेवाएँ			
(7)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,394.04	2,394.04	396.68
				(-)1,997.36
(8)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	266.00	266.00	29.45
				(-)236.55
	<b>4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
(9)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	1,005.32		
			819.37	119.74
				(-)699.63
	पुनर्वि०	(-)185.95		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2025 को ₹185.95 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
	800 अन्य व्यय			
(10)	03 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
	मूल	6,000.00	6,000.00	4,619.43
				(-)1,380.57

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>4405 मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन			
(11)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	360.00		
			400.00	56.23
				(-)343.77
	पुनर्वि०	40.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को ₹ 40.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	<b>4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
(12)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	1,000.01	1,000.01	452.87
				(-)547.14
	<b>4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	06 नलकूप, नहर एवं लिफ्ट निर्माण / पुनरोद्धार कार्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(13)	02 निर्माण कार्य			
	मूल	300.00	300.00	41.57
				(-)258.43
	<b>4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	101 सतही जल			
(14)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,260.00		
			938.82	938.82
				0.00
	पुनर्वि०	(-)321.18		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 321.18 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(15)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	450.00		
			17.20	0.00
	पुनर्वि०	(-432.80)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 432.80 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(16)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	140.00		
			102.72	(-14.32)
	पुनर्वि०	(-37.28)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 37.28 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	<b>4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(17)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	350.00	350.00	(-52.81)
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।			
	(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	<b>4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
(1)	03 राजकीय बहुशिल्प संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन का निर्माण / सुदृढीकरण			
	मूल	200.00	200.00	(-200.00)
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान			
(2)	04 इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ			
	102 खेलकूद स्टेडिआ			
(3)	03 इंडोर हॉल एवं छात्रावास का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
	04 कला और संस्कृति			
	800 अन्य व्यय			
(4)	03 सांस्कृतिक परिषद/कला केंद्र /विद्यालय/ऑडिटोरियम आदि का निर्माण			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)20.00
	4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
	03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान			
	101 आयुर्वेद			
(5)	02 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण			
	मूल	0.00		
			11.18	0.00
	पूरक	11.18		(-)11.18

## अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	01 जलापूर्ति			
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(6)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	1,140.00	1,140.00	0.00
				(-)1,140.00
	<b>4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश।			
(7)	03 अनुसूचित जाति निगम को स्वरोजगार के लिए अंश पूँजी			
	मूल	30.01	30.01	0.00
				(-)30.01
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	277 शिक्षा			
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	731.25	731.25	0.00
				(-)731.25
	283 भवन			
(9)	02 अनुसूचित जाति आयोग में वृहद निर्माण कार्य			
	मूल	200.01	200.01	0.00
				(-)200.01
	<b>4405 मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन			
(10)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	40.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)40.00		

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 40.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

**5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय**

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश

(11) 03 उत्तराखंड परिवहन निगम हेतु बस अड्डों का निर्माण

मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
-----	--------	--------	------	-----------

**5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

104 प्रचार एवं प्रसार

(12) 04 पर्यटन विकास की नई योजनाएं (राज्य सेक्टर)

मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
-----	--------	--------	------	-----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय**

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

277 शिक्षा

95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	0.01			
		185.96	185.96	0.00

पुनर्वि० 185.95

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2025 को ₹ 185.95 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	---

## राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेलकूद और युवा सेवाएँ		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना एवं प्रचार		
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
2401	फसल कृषिकर्म		
2403	पशुपालन		
2404	डेयरी विकास		
2405	मत्स्य पालन		
2406	वानिकी और वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2505	ग्रामीण रोजगार		
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
2701	मध्यम सिंचाई		
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
2810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा		
2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------	-------	------------	---------------	---------------------------------------

दत्तमत -

मूल	5,56,48,31			
		6,13,67,17	2,95,84,75	(-)3,17,82,42
पूरक	57,18,86			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)				82

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय			
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4405	मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजी परिव्यय			
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			

दत्तमत -

मूल	1,61,41,40			
		1,63,41,42	88,03,46	(-)75,37,96
पूरक	2,00,02			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2025)				4,94,14

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 62,37 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 31,782.42 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 0.82 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 31,782.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 5,718.86 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) ₹ 59.46 लाख की वसूली राजस्व दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- (iv) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	38,432.74	23,902.84	14,529.90
2020-21	39,264.30	28,014.30	11,250.00
2021-22	42,625.62	28,652.09	13,973.53
2022-23	46,640.97	27,194.94	19,446.03
2023-24	50,230.28	30,711.25	19,519.03

- (v) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारंभिक शिक्षा

112 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम पोषण)

- (1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	400.23	400.23	351.65	(-)48.58
-----	--------	--------	--------	----------

## अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 माध्यमिक शिक्षा				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(2)	02 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना				
	मूल	293.25	293.25	229.16	(-)64.09
	106 पाठ्य पुस्तक				
(3)	02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तक				
	मूल	145.00			
			265.00	203.52	(-)61.48
	पूरक	120.00			
	113 समग्र शिक्षा				
(4)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	4,324.00			
			4,579.00	1,212.07	(-)3,366.93
	पूरक	255.00			
(5)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	480.45			
			510.45	134.67	(-)375.78
	पूरक	30.00			
	800 अन्य व्यय				
(6)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,710.00			
			2,065.66	96.80	(-)1,968.86
	पूरक	355.66			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	38.33			
			77.85	10.76	(-)67.09
	पूरक	39.52			
	03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा				
	103 राजकीय कॉलेज और संस्थान				
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	180.00	180.00	115.20	(-)64.80
	<b>2205 कला तथा संस्कृति</b>				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(9)	02 जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेख, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना				
	मूल	20.00	20.00	1.60	(-)18.40
	<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>				
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी				
	110 अस्पताल एवं औषधालय				
(10)	02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना				
	मूल	374.56			
			466.97	389.68	(-)77.29
	पूरक	92.41			
(11)	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना				
	मूल	72.69	72.69	57.49	(-)15.20
(12)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	356.65	356.65	5.95	(-)350.70

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ			
	102 होम्योपैथी			
(13)	02 कालसी देहरादून में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	38.98	38.98	32.24 (-)6.74
	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण			
(14)	02 राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना			
	मूल	113.22	113.22	19.83 (-)93.39
	<b>2211 परिवार कल्याण</b>			
	00			
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ			
(15)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	477.46	477.46	80.57 (-)396.89
	<b>2217 शहरी विकास</b>			
	03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार मंडलों आदि को सहायता।			
(16)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	730.00	730.00	447.15 (-)282.85
(17)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	140.00	140.00	18.40 (-)121.60
	800 अन्य व्यय			
(18)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	18.00	18.00	10.75 (-)7.25

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण</b>				
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(19)	02 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का संचालन			
	मूल	180.24		
			305.95	(-)73.73
	पूरक	125.71		
(20)	03 जनजाति कल्याण निदेशालय			
	मूल	297.16	297.16	(-)87.99
(21)	04 उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान			
	मूल	93.86	93.86	(-)63.49
102 आर्थिक विकास				
(22)	02 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना			
	मूल	98.06	98.06	(-)37.02
(23)	06 बुक्सा और राजी जनजातियों का विकास			
	मूल	30.00	30.00	(-)5.60
277 शिक्षा				
(24)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,570.00	1,570.00	(-)688.84
(25)	03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रखरखाव			
	मूल	257.81	257.81	(-)60.91

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(26)	04 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रखरखाव				
	मूल	3,283.91	3,283.91	2,806.03	(-)477.88
(27)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना				
	मूल	668.34	668.34	546.26	(-)122.08
(28)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	140.00	140.00	34.00	(-)106.00
	283 आवास				
(29)	02 अटल आवास योजना				
	मूल	300.00	300.00	186.80	(-)113.20
	800 अन्य व्यय				
(30)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	120.00	120.00	63.00	(-)57.00
	<b>2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास</b>				
	02 रोजगार सेवा				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(31)	02 कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट रोजगार केंद्र				
	मूल	48.85	48.85	37.23	(-)11.62
	101 रोजगार सेवाएँ				
(32)	02 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना				
	मूल	62.26	62.26	51.51	(-)10.75

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
	<i>02 समाज कल्याण</i>				
	102 बाल कल्याण				
(33)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,391.32	1,391.32	679.18	(-)712.14
(34)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	154.34	154.34	68.34	(-)86.00
	200 अन्य कार्यक्रम				
(35)	02 किसान पेंशन योजना				
	मूल	95.00	95.00	46.88	(-)48.12
	<i>03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>				
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना				
(36)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप				
	मूल	1,781.98			
			1,064.50	971.04	(-)93.46
	पुनर्वि०	(-)717.48			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर 2024 को ₹ 72.95 लाख, दिनांक 25 अक्तूबर 2024 को ₹ 32.76 लाख, दिनांक 24 जनवरी 2025 को ₹ 270.10 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 98.37 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 243.30 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गई।

## अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

## 2401 फसल कृषिकर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(37) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 551.11

555.49 67.01 (-)488.48

पुनर्वि० 4.38

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को ₹ 1.80 लाख, दिनांक 06 फरवरी 2025 को ₹ 0.79 लाख, दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 1.23 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 0.56 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(38) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल 62.91

58.53 4.91 (-)53.62

पुनर्वि० (-)4.38

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को ₹ 1.80 लाख, दिनांक 06 फरवरी 2025 को ₹ 0.79 लाख, दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 1.23 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2025 को ₹ 0.56 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

109 विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण

(39) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 280.41

283.85 76.86 (-)206.99

पुनर्वि० 3.44

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को ₹ 1.08 लाख, दिनांक 22 जनवरी 2025 को ₹ 1.58 लाख तथा दिनांक 05 फरवरी 2025 को ₹ 0.78 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(40)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	31.15		
			27.71	
	पुनर्वि०	(-3.44)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2025 को ₹ 1.08 लाख, दिनांक 22 जनवरी 2025 को ₹ 1.58 लाख तथा दिनांक 05 फरवरी 2025 को ₹ 0.78 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
	119 बागवानी और सब्जी फसलें			
(41)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	275.48		
			279.15	
	पुनर्वि०	3.67		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 3.67 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(42)	06 मधुमक्खी पालन योजना			
	मूल	13.70	13.70	
			1.56	(-)12.14
(43)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	27.02		
			23.35	
	पुनर्वि०	(-3.67)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2025 को ₹ 3.67 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
(44)	96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	60.00	60.00	
			7.26	(-)52.74

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2403 पशुपालन</b>				
00				
101 पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य				
(45)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	161.81		
			165.90	132.37
				(-)33.53
	पुनर्वि०	4.09		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 4.09 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(46)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	17.98		
			13.89	3.73
				(-)10.16
	पुनर्वि०	(-)4.09		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को ₹ 4.09 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
(47)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
			137.89	1.18
				(-)136.71
	पूरक	137.89		

## अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2405 मत्स्य पालन</b>				
00				
101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन				
(48)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	707.40		
			786.00	318.12
				(-467.88)
	पुनर्वि०	78.60		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 78.60 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
<b>2406 वानिकी और वन्य जीवन</b>				
01 वानिकी				
101 वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन				
(49)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	496.41	496.41	151.22
				(-345.19)
(50)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	53.61	53.61	16.80
				(-36.81)
02 पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन				
110 वन्य जीवन संरक्षण				
(51)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	392.00	392.00	146.99
				(-245.01)
(52)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	205.00	205.00	28.02
				(-176.98)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2425 सहकारिता</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
(53)	02 दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना			
	मूल	700.00	700.00	492.03 (-)207.97
	<b>2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम</b>			
	01 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	003 प्रशिक्षण			
(54)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,615.25	4,615.25	399.11 (-)4,216.14
(55)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	512.81	512.81	44.35 (-)468.46
	06 स्व-रोजगार कार्यक्रम			
	102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
(56)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	51.30	51.30	4.49 (-)46.81
(57)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	5.70	5.70	0.50 (-)5.20
	<b>2505 ग्रामीण रोजगार</b>			
	02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ			
	101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ			
(58)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,616.48	1,616.48	492.66 (-)1,123.82

## अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(59)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	538.83	538.83	164.22	(-)374.61
<b>2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>					
<i>00</i>					
102 सामुदायिक विकास					
(60)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	3,353.27			
			7,298.56	2,411.50	(-)4,887.06
	पूरक	3,945.29			
(61)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	372.60			
			810.97	247.44	(-)563.53
	पूरक	438.37			
<b>2701 मध्यम सिंचाई</b>					
<i>80 सामान्य</i>					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(62)	04 ट्यूबवेल, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य				
	मूल	250.00	250.00	17.00	(-)233.00
<b>2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास</b>					
<i>01 बाढ़ नियंत्रण</i>					
103 सिविल निर्माण कार्य					
(63)	02 बाढ़ सुरक्षा कार्यो हेतु				
	मूल	400.00	400.00	33.48	(-)366.52

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

**2810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा**

00

796 जनजाति क्षेत्र उप योजना

(64) 05 लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना

मूल	92.00	92.00	55.66	(-)36.34
-----	-------	-------	-------	----------

**3452 पर्यटन**

80 सामान्य

104 प्रचार एवं प्रसार

(65) 02 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

मूल	150.00	150.00	90.81	(-)59.19
-----	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2202 सामान्य शिक्षा**

03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

103 राजकीय कॉलेज और संस्थान

(1) 95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2203 तकनीकी शिक्षा</b>			
	00			
	105 बहुशिल्प			
(2)	03 सामान्य बहुशिल्प			
	मूल	47.25	47.25	0.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)47.25
	112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान			
(3)	04 इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)10.00
	<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>			
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
(4)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	300.00	300.00	0.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)300.00
(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	30.00	30.00	0.00
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी			
	110 अस्पताल एवं औषधालय			
(6)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,209.87	3,209.87	0.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)3,209.87

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण</b>				
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(7)	05 जनजातीय सलाहकार परिषद			
	मूल	38.50	38.50	0.00 (-)38.50
102 आर्थिक विकास				
(8)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	800.00	800.00	0.00 (-)800.00
277 शिक्षा				
(9)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति और अनावृत्ति			
	मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
(10)	10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों सिविल एवं एलाइड सेवाओं के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग			
	मूल	70.00	70.00	0.00 (-)70.00
वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
794 जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता				
(11)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	400.00	400.00	0.00 (-)400.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(12)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	800.00	800.00	0.00 (-)800.00
वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2401 फसल कृषिकर्म</b>			
	00			
	119 बागवानी और सब्जी फसलें			
(13)	17 पर ड्राप मोर क्राप के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (राज्य)			
	मूल	60.00	60.00	0.00
				(-60.00)
	<b>2403 पशुपालन</b>			
	00			
	113 प्रशासनिक जांच और आंकड़े			
(14)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	8.00	8.00	0.00
				(-8.00)
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	0.00		
			134.01	0.00
				(-134.01)
	पूरक	134.01		
	<b>2405 मत्स्य पालन</b>			
	00			
	101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन			
(16)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	78.60		
			0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	(-78.60)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 78.60 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

**2406 वानिकी और वन्य जीवन**

01 वानिकी

102 सामाजिक और कृषि वानिकी

(17) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	22.50	22.50	0.00	(-)22.50
-----	-------	-------	------	----------

**2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

00

102 सामुदायिक विकास

(18) 96 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के सापेक्ष टॉप अप

मूल	121.80	121.80	0.00	(-)121.80
-----	--------	--------	------	-----------

**2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास**

80 सामान्य

103 सिविल निर्माण कार्य

(19) 03 रखरखाव

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

**2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण**

03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

796 जनजाति क्षेत्र उप योजना

01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	मूल	794.86		
		1,512.34	1,496.49	(-)15.85

पुनर्वि० 717.48

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 अक्तूबर 2024 को ₹ 72.95 लाख, दिनांक 25 अक्तूबर 2024 को ₹ 32.76 लाख, दिनांक 24 जनवरी 2025 को ₹ 270.10 लाख, दिनांक 26 मार्च 2025 को ₹ 98.37 लाख तथा दिनांक 27 मार्च 2025 को ₹ 243.30 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय तथा सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(viii) ₹ 7,537.96 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 494.14 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(ix) ₹ 7,537.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह अगस्त 2024 को प्राप्त ₹ 200.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(x) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2019-20	13,221.59	9,777.38	3,444.21
2020-21	15,766.54	8,589.47	7,177.07
2021-22	21,407.23	11,918.13	9,489.10
2022-23	15,277.30	10,707.99	4,569.31
2023-24	23,109.40	15,753.47	7,355.93

(xi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय**

*01 सामान्य शिक्षा*

*202 माध्यमिक शिक्षा*

(1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	3,270.00			
		3,450.00	701.29	(-)2,748.71
पूरक	180.00			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	355.89			
			375.89	77.92	(-)297.97
	पूरक	20.00			
	<i>02 तकनीकी शिक्षा</i>				
	104 बहुशिल्प				
(3)	03 राजकीय बहुशिल्प संस्थाओ के (पुरुष/महिला) भवन का निर्माण / सुदृढीकरण				
	मूल	300.00	300.00	145.05	(-)154.95
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान				
(4)	03 इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी, पौड़ी को सहायक अनुदान				
	मूल	100.00	100.00	50.00	(-)50.00
	<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ</i>				
	101 युवा हॉस्टल				
(5)	02 मिनी स्टेडियम / खेल मैदान				
	मूल	100.00	100.00	83.35	(-)16.65
	<b>4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
	<i>01 जलापूर्ति</i>				
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति				
(6)	02 हैण्डपम्पो का अधिष्ठान				
	मूल	133.00	133.00	66.20	(-)66.80

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 सीवरेज एवं स्वच्छता				
	106 मलजल सेवाएँ				
(7)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	435.28	435.28	32.84	(-402.44)
(8)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	48.36	48.36	3.17	(-45.19)
	<b>4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
	02 अनुसूचित जनजातियों का वालफेयर				
	277 शिक्षा				
(9)	05 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण				
	मूल	150.00	150.00	102.21	(-47.79)
(10)	06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण				
	मूल	300.00	300.00	167.31	(-132.69)
(11)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाएं				
	मूल	150.00	150.00	95.31	(-54.69)
	800 अन्य व्यय				
(12)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,662.39	1,662.39	792.70	(-869.69)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

**4405 मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय**

00

101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन

(13) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 225.00

250.00 55.75 (-)194.25

पुनर्वि० 25.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय**

04 नलकूपों का निर्माण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(14) 02 निर्माण कार्य

मूल 200.00 200.00 175.29 (-)24.71

06 नलकूप, नहर एवं लिफ्ट निर्माण / पुनरोद्धार कार्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(15) 02 निर्माण कार्य

मूल 300.00 300.00 51.14 (-)248.86

**4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय**

00

101 सतही जल

(16) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,260.00

981.37 981.37 0.00

पुनर्वि० (-)278.63

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 278.63 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	120.00		
			39.27	0.00
	पुनर्वि०	(-80.73)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 80.73 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(18)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	140.00		
			105.24	(-34.24)
	पुनर्वि०	(-34.76)		
	दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 34.76 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	<b>4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(19)	03 सिविल निर्माण कार्य			
	मूल	300.00	300.00	(-264.10)
	<b>5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	04 जिला एवं अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(20)	04 सड़क/भवन/पुल आदि के लिए भूमि अधिग्रहण			
	मूल	195.00	195.00	(-68.79)

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 प्रचार एवं प्रसार

(21)	02 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
	मूल	50.00	50.00	6.40
				(-43.60)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

203 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(1)	03 राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावास/भवनों का निर्माण			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-100.00)		0.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹ 100.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अन्तर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

02 तकनीकी शिक्षा

105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान

(2)	05 इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ			
	102 खेलकूद स्टेडिआ			
(3)	03 इंडोर हॉल एवं छात्रावास का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
	04 कला और संस्कृति			
	800 अन्य व्यय			
(4)	02 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक भवन /सामुदायिक केंद्र का निर्माण			
	मूल	40.00	40.00	0.00
				(-)40.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	<b>4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	01 जलापूर्ति			
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(5)	95 केन्द्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	190.00	190.00	0.00
				(-)190.00
	<b>4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	794 जनजाति क्षेत्र उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(6)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	250.00	250.00	0.00
				(-)250.00
	वर्ष 2023-24 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.**

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

**4405 मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय**

00

101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन

(7) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल 25.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)25.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2024 को ₹ 25.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गई।

**5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय**

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश

(8) 03 उत्तराखंड परिवहन निगम हेतु बस अड्डो का निर्माण

मूल 485.00

485.00 0.00 (-)485.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2025)।

## परिशिष्ट -I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश प्रष्ठ सं०-xiii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2024 - 2025 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्योरे -

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1	04	2014 - न्याय का प्रशासन	58,39
2	06	2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	74,47
3	07	4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	2,81,25
4	09	2051 - लोक सेवा आयोग	5,00,00
5	10	4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	25,00,00
6	11	4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	35,36,37
7	12	4210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	9,20,00
8	15	4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	53,00,00
9	15	4235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	89,76,00
10	17	2415 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	23,56,64
11	20	2700 - मुख्य सिंचाई	2,06,00
12	21	2810 - नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	45,00,00
13	22	3054 - सड़कें तथा सेतु	9,99,95
14	28	2403 - पशुपालन	6,20,00
15	29	2401 - फसल कृषिकर्म	1,21,52
16	30	2403 - पशुपालन	62,49
योग			<b>3,10,13,08</b>

## परिशिष्ट- II

(सन्दर्भ - प्रष्ठ सं० - xiv तालिका )

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया  
अनुदानावर विवरण

क्रम संख्या	अनुदान	बजट	प्राक्कलन	
			राजस्व (₹ हजार में)	पूँजीगत
1	0004-न्याय प्रशासन	2,69,69		...
2	0006-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	21,53,00,00		...
3	0007-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवाएं	1		...
4	0011-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	7,51,50,00		...
5	0015-कल्याण योजनाएं	61,63,18		...
6	0017-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	66,14		2
7	0018-सहकारिता	...		1
8	0019-ग्राम्य विकास	...		...
9	0020-सिंचाई एवं बाढ़	91,85		...
10	0022-लोक निर्माण कार्य	...		1
11	0025-खाद्य	...		2
12	0027-वन	3,43,00,03		...
13	0028-पशुपालन संबंधी कार्य	1,25,35		...
14	0029-औद्योगिक विकास	...		1
15	0031-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,25,25		...
<b>योग</b>		<b>33,15,91,50</b>		<b>7</b>

वास्तविक		बजट प्रावधानों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+)	
		कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
35,72	...	(-)2,33,97	...
21,53,00,00	...		...
4,01,03	1,08,27	(+)4,01,02	(+)108,27
1,59,23,35	...	(-)5,92,26,65	...
54,93,92	...	(-)6,69,26	...
20,00	26,47,37	(-)46,14	(+)26,47,35
...	18,38	...	(+)18,37
...	29,87,08	...	(+)29,87,08
79,58	...	(-)12,27	...
...	55,07,00	...	(+)55,06,99
...	4,29,19	...	(+)4,29,17
8,50,69,69	...	(+)5,07,69,66	...
1,02,41	...	(-)22,94	...
...	8,19,04	...	(+)8,19,03
59,46	...	(-)65,79	...
<b>32,24,85,16</b>	<b>1,25,16,33</b>	<b>(-)91,06,34</b>	<b>(+)1,25,16,26</b>

## परिशिष्ट -III

[संदर्भ: - टिप्पणी (xv), अनुदान-20]

उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2024 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2024-25	31 मार्च 2025 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
<b>2701-मध्यम सिंचाई</b>						
उचंत स्टॉक	(-)93.53	...	...	...	...	(-)93.53
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)49.75	...	...	...	...	(-)49.75
कार्यशाला उचंत	(-)44.38	...	...	...	...	(-)44.38
<b>योग</b>	<b>(-)187.66</b>	...	...	...	...	<b>(-)187.66</b>
<b>2702-लघु सिंचाई</b>						
उचंत स्टॉक	...	...	...	...	...	...
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	...	...	...	...	...	...
कार्यशाला उचंत	...	...	...	...	...	...
<b>योग</b>	...	...	...	...	...	...

## परिशिष्ट -IV

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xv), अनुदान 20]

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूँजीगत प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2024 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2024-25	31 मार्च 2025 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
<b>4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
उचंत स्टॉक	(+)94.62	...	...	...	...	(+)94.62
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)111.18	...	...	...	...	(-)111.18
<b>योग</b>	<b>(-)16.56</b>	...	...	...	...	<b>(-)16.56</b>
<b>4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
उचंत स्टॉक	(+)35.76	...	...	...	...	(+)35.76
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)2.35	...	...	...	...	(+)2.35
<b>योग</b>	<b>(+)38.11</b>	...	...	...	...	<b>(+)38.11</b>
<b>4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
उचंत स्टॉक	(+)508.79	...	...	...	...	(+)508.79
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)12.00	...	...	...	...	(-)12.00
कार्यशाला उचंत	...	...	...	...	...	...
<b>योग</b>	<b>(+)496.79</b>	...	...	...	...	<b>(+)496.79</b>

## परिशिष्ट -V

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xv), अनुदान-22]

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2024 को आदि शेष (नामे + ) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2024-25	31 मार्च 2025 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे + ) (जमा - )
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-) 953.97	...	...	...	...	(-) 953.97
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,704.58	...	...	...	...	(+) 2,704.58
<b>योग</b>	<b>(+) 1,750.61</b>	...	...	...	...	<b>(+) 1,750.61</b>



© भारत के नियंत्रक  
एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/hi>

